सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड

Satluj Jal Vidyut Nigam Ltd.

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report 2008 - 2009

Generating Power...Benefitting Society

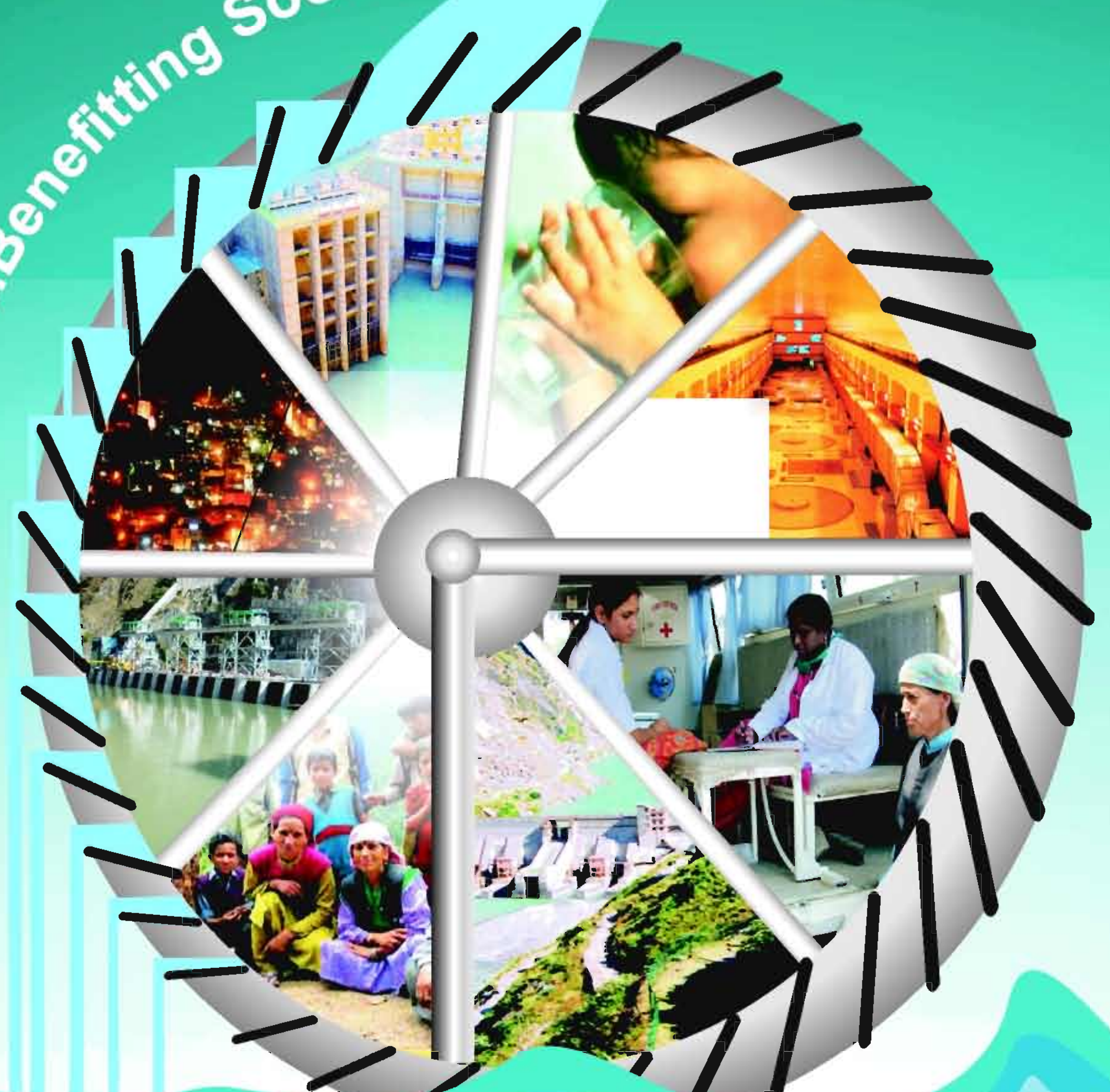

Presenting interim dividend to the
Govt. of India and Govt. of Himachal Pradesh
for the year 2009-10

विषय-सूची
CONTENTS

अध्यक्षीय संबोधन Chairman's Statement	7
निदेशक मण्डल की रिपोर्ट Directors' Report	9
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report	29
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ Comments of the C & AG	35
वार्षिक लेखा 2008-09 Annual Accounts 2008-09	36

कंपनी सचिव	:	पी.एस.आर.मूर्ति	Company Secretary	:	P.S.R. Murthy
लेखा परीक्षक	:	आर. बंसल एण्ड कं० सनदी लेखाकार, चण्डीगढ़	Auditors	:	R. Bansal & Co. Chartered Accountants, Chandigarh
बैंकर्स	:	– आई.डी.बी.आई. बैंक – ऐक्सिस बैंक – पंजाब नैशनल बैंक – स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	Bankers	:	- IDBI Bank - AXIS Bank - Punjab National Bank - State Bank of India
पंजीकृत कार्यालय	:	हिमफेड बिल्डिंग न्यू शिमला – 171009	Registered Office	:	Himfed Building New Shimla-171009

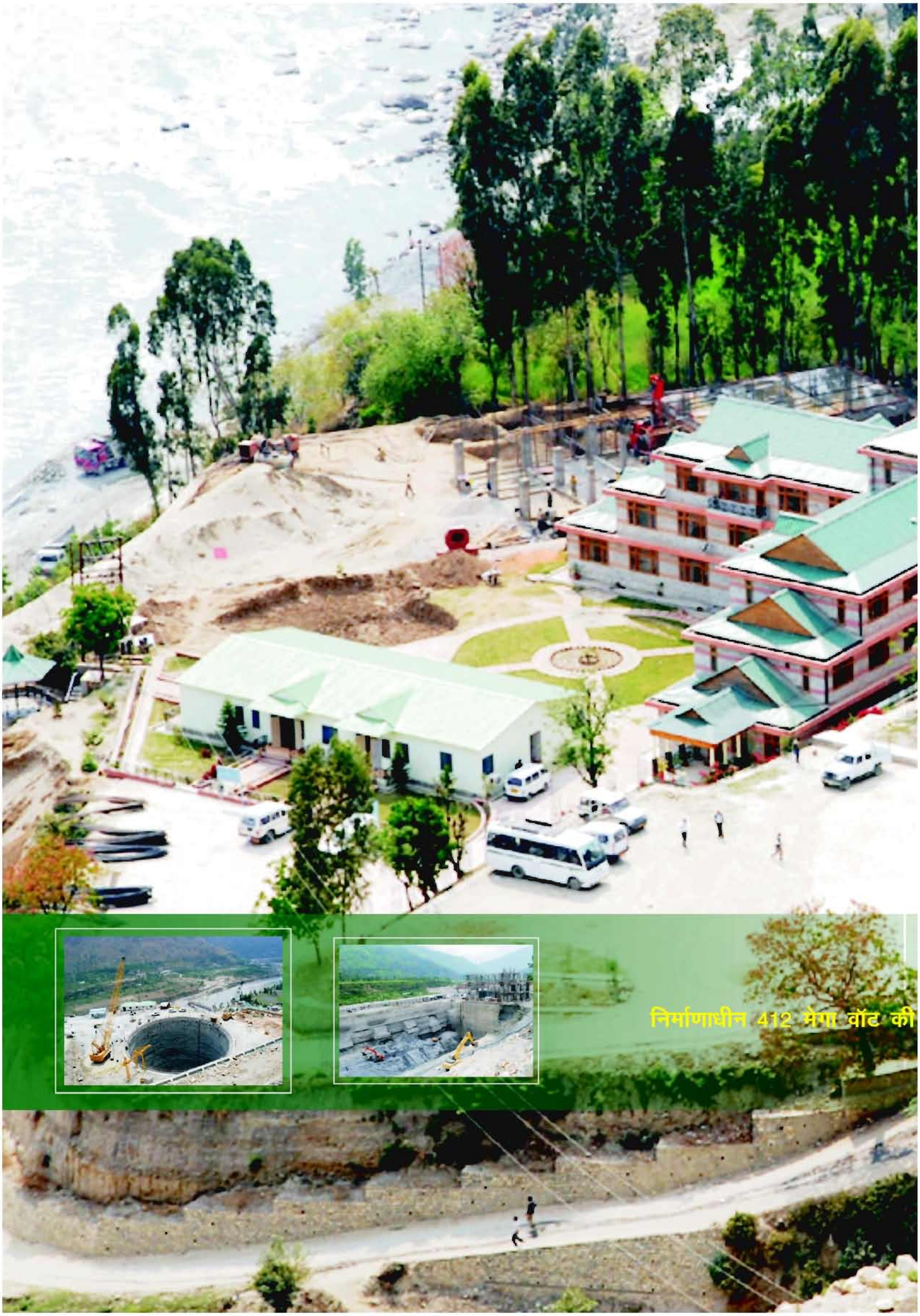
निर्माणाधीन 412 मेगा वॉट की

The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.

Robert Frost

रामपुर परियोजना के दृश्य

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

श्री एच. के. शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Shri H.K. Sharma
Chairman & Managing Director

श्री आर. एस. कटोच
निदेशक (कार्मिक)
Shri R.S. Katoch
Director (Personnel)

श्री के.के. गर्ग
निदेशक (वित्त)
Shri K.K. Garg
Director (Finance)

श्री आर.पी. सिंह
निदेशक (विद्युत)
Shri R.P. Singh
Director (Electrical)

श्री गुरदयाल सिंह
सदस्य (एचई), के०वि०प्रा०
Shri Gurdial Singh
Member (HE), CEA

श्री जे. एस कावले
संयुक्त सचिव (जल विद्युत), विद्युत मंत्रालय
Shri J.S Kawale
Joint Secretary (Hydro) Ministry of Power

श्री अरविन्द मेहता
प्रधान सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार
Shri Arvind Mehta
Principal Secretary (Finance), Govt. of Himachal Pradesh

श्री एस.एम.लोढा
स्वतंत्र निदेशक
Shri S.M. Lodha
Independent Director

श्री के.एस. गिल
स्वतंत्र निदेशक
Shri K.S. Gill
Independent Director

श्री के.एस. शर्मा
स्वतंत्र निदेशक
Shri K.S. Sarma
Independent Director

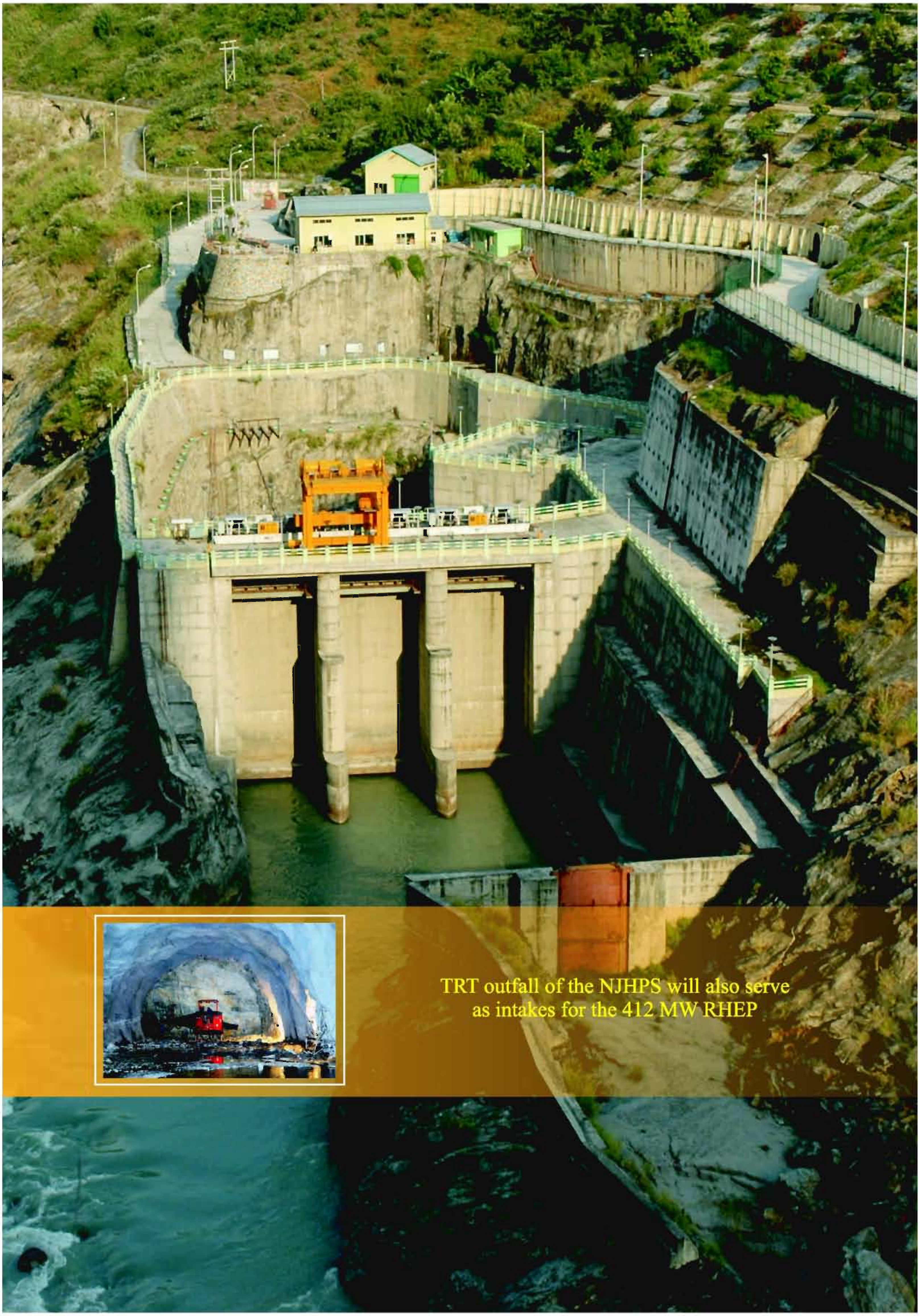

TRT outfall of the NJHPS will also serve as intakes for the 412 MW RHEP

CHAIRMAN'S STATEMENT
अध्यक्षीय संबोधन

मान्यवर,

आज गुरुवार, 10 सितंबर,2009 को पहाड़ों की रानी शिमला में आयोजित होने जा रही 21वीं वार्षिक आम बैठक में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। वर्ष 2008-09 के परीक्षित वार्षिक लेखे सहित लेखा परीक्षकों एवं निदेशक मंडल की रिपोर्ट आपके पास पहले से ही उपलब्ध है तथा आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ा हुआ मान लेता हूँ।

वर्ष 2008-09 को अभूतपूर्व वैश्विक आर्थिक संकट के कारण स्टाक बाजार में मंदी, मुद्रा की कम उपलब्धता, औद्योगिक क्षेत्र में गिरावट और रोजगार के अवसरों में कमी का सामना करना पड़ा। हालांकि संकट की शुरूआत मूलतः धनी देशों में हुई, परंतु भारत जैसे विकासशील देशों पर इसका काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। हमारे देश में भी स्टाक बाजार में मंदी, रोजगार के अवसरों में कमी, पूँजीगत निवेश में कमी होने जैसी समस्याएँ हमारे सम्मुख आई। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय पर की गई वित्तीय एवं मौद्रिक पहल और विदेशी मुद्रा भण्डार की पर्याप्त उपलब्धता के कारण यह संकट लम्बे समय तक नहीं रहा।

विशिष्ट घटनाक्रम

उक्त संकट के बावजूद हमारी कंपनी का कामकाज अबाध गति से सौहार्दपूर्ण रहा। समीक्षाधीन अवधि के दौरान बिजली का रिकार्ड उत्पादन हुआ। पिछले वर्ष के 6448.977 मिलियन यूनिट की तुलना में इस वर्ष 6608.691 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ।

जहाँ तक वित्तीय निष्पादन का संबंध है, पिछले वर्ष के 764.51 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष कंपनी ने 1015.32 करोड़ रुपए का कर उपरांत शुद्ध लाभ कमाया। कंपनी के निदेशक मण्डल ने पिछले वर्ष के 244 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष 320 करोड़ रुपए के लाभांश की संस्तुति की। वर्ष 2004 में नाथपा झाकड़ी जलविद्युत स्टेशन (एनजेएचपीएस) से वाणिज्यिक बिजली उत्पादन शुरू होने के साथ ही साल दर साल बढ़ती आय, लाभ एवं पूंजीगत लाभ हमारी निरंतर प्रतिबद्धता का द्योतक है।

चालू वर्ष के लाभ को देखते हुए वर्ष 2009-10 के लिए 80 करोड़ रुपए अंतरिम लाभांश के तौर पर दिए जा चुके हैं।

Dear Members,

I have a great pleasure in welcoming you all to the 21st Annual General Meeting scheduled today, the Thursday, 10th September, 2009 in the Queen of Hills. The Annual Audited Accounts along with the Report of the Auditors and Directors for the year 2008-09 are already with you, and with your permission, I would take them as read.

The year 2008-09 faced unprecedented global economic crisis leading to fall in the stock markets, liquidity crunch, negative industrial growth and fall in the employment. Although the origin of the crisis began in Wealthiest Nations, it left enormous adverse effects on the developing Nations like India. In our Country too, we had witnessed fall in the stock market, loss of employment, reverse flow of investments etc. Thanks to the timely fiscal and monetary initiatives of Government of India and Reserve Bank of India and also adequate foreign exchange reserves, the negative effect of the crisis had not survived for long.

HIGHLIGHTS OF THE YEAR

Inspite of the above crisis, the operations of your company remained sound and cordial. The year's generation has set a new record. During the year, 6608.691 MUs of power was generated as compared to the previous year's generation of 6448.977 MUs.

As regards Financial performance, your company earned Net profit after tax of Rs.1015.32 crore as against Rs.764.51 crore during the previous year and your Board recommended dividend of Rs.320 crore as against Rs.244 crore for the previous year. The rising income, profits and return on investments year after year since 2004, when the NJHPS started commercial operation is, indeed, witness to the promised growth.

Considering the current year's profits too, a sum of Rs.80 crore has been paid as interim dividend for the year 2009-10.

भविष्य की योजनाएँ

गत वर्ष के अपने संबोधन में मैंने नई आबंटित परियोजनाओं और उनकी निष्पादन संबंधी स्थिति का उल्लेख किया था। इसके आगे मैं आपको यह सहर्ष बताना चाहूंगा कि विद्युत मंत्रालय ने भूटान में खोलोंग्चू जल विद्युत परियोजना (486 मेगावाट) एवं वांगचू जल विद्युत परियोजना (900 मेगावाट) नामक दो परियोजनाएँ प्रारंभ में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण हेतु सौंपी हैं। हमें यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं विद्युत मंत्रालय के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। हमने पूरी तन्मयता से कार्य शुरू कर दिया है और आशा है कि सर्वेक्षण कार्य पूरा होने के बाद विद्युत मंत्रालय इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य भी सतलुज जल विद्युत निगम को सौंपने पर विचार करेगा। मैं यह भी सूचित करना चाहूंगा कि विद्युत मंत्रालय ने मणिपुर राज्य में स्थित 1500 मेगावाट क्षमता वाली तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना में सतलुज जल विद्युत निगम को हिस्सेदार बनाया है। स्पेशल पर्पज व्हीकल के जरिए निर्मित की जाने वाली इस परियोजना में हमारी कंपनी की 26%, एनएचपीसी की 69% एवं मणिपुर सरकार की 5% इक्विटी होगी।

वर्तमान में निर्माणाधीन रामपुर जल विद्युत परियोजना (412 मेगावाट) के सिविल कार्यों, विशेषतः एचआरटी पैकेज की निर्माण गति शेड्यूल के मुताबिक नहीं है। इसका मुख्य कारण एडिटों/एचआरटी के अन्दर मजबूत चट्टानों का न होना है। विश्व बैंक के विशेषज्ञों के साथ इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गई है। उनके परामर्श को ध्यान में रखते हुए निर्माण तकनीक में परिवर्तन कर आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। मुझे आशा है कि अगले कुछ महीनों में निर्माण की गति में तेजी आएगी।

कंपनी द्वारा किए जा रहे प्रयासों के आधार पर मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इससे न केवल हमारी कंपनी समृद्ध होगी, बल्कि देश और देश की जनता की भी उन्नति होगी।

आभार

अंत में, मैं निदेशक मंडल के सभी सदस्यों, भारत सरकार, नेपाल सरकार, भूटान सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, उत्तराखण्ड सरकार तथा अन्य सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी एजेन्सियों तथा कर्मचारियों, वित्तीय संस्थानों, ठेकेदारों और आपूर्तिकर्त्ताओं से प्राप्त सहायता और मार्गदर्शन के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

सधन्यवाद।

आपका,

(हेमंत कुमार शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः शिमला
दिनांकः 10 सितंबर, 2009

FUTURE PLANS

In my last year's address, I had mentioned about the new projects allotted and their status of implementation. Further to that, I am happy to inform you that the Ministry of Power allotted two projects in Bhutan, namely, Kholongchu HEP (486 MW) and Wangchu HEP (900 MW) initially for survey and investigation. I propose to place "big thanks" to the Ministry of Power for this opportunity. We have taken up the work in all sincerity and hope that the MOP will consider SJVN for execution also after the survey work is completed. I would also like to add that Ministry of Power also considered SJVN as a Partner in Tipaimukh HEP, a 1500 MW HEP in the State of Manipur. The Project will be executed by an SPV in which your company will hold equity of 26%; NHPC 69%; and Govt. of Manipur 5%.

The progress of Civil works at Rampur Project, 412 MW, which is presently under construction is not keeping pace with the schedule, particularly in HRT Package. This is mainly due to adverse rock conditions in Adits/HRT and this aspect was discussed in detail with Technical Experts and World Bank Experts. Keeping in view their advise, accelerated measures by changing the construction methodology are undergoing and I hope the rate of progress will increase in the next few months.

With the opportunities and efforts being put in, I have no doubt to say that your Company shall not only prosper but also bring prosperity to the Country and her people.

ACKNOWLEDGEMENT

At the end, I would like to place on record my gratitude for the assistance, guidance and co-operation received from all the Members of the Board, Government of India, Government of Nepal, Government of Bhutan, Government of Himachal Pradesh, Government of Uttarakhand, and all the other governmental and non-governmental agencies and the Employees, Financial Institutions, Contractors and Suppliers.

Thanking you,

Yours sincerely,

(H.K. Sharma)
Chairman & Managing Director

Place : Shimla
Date : 10th Sep. 2009

निदेशक मंडल की रिपोर्ट 2009
DIRECTORS' REPORT 2009

मान्यवर,

आपके निदेशक मंडल को दिनांक 31 मार्च,2009 को समाप्त वर्ष से संबंधित लेखा परीक्षित खाते, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित कंपनी की इक्कीसवीं वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आपको यह विदित है कि नाथपा झाकड़ी जलविद्युत स्टेशन(एनजेएचपीएस) की पहली यूनिट से व्यावसायिक बिजली उत्पादन 30 मार्च,2004 को आरंभ होने के बाद से हमने सफलता के पाँच साल पूरे कर लिए हैं। पिछली बार की तरह वर्ष 2008-09 के वित्तीय नतीजे भी शानदार रहे हैं, जो निम्नलिखित हैं:

1. वित्तीय परिणाम

(रु.करोड़ में)

आय	2008-09	2007-08
समायोजन पश्चात् बिजली की शुद्ध बिक्री	1759.59	1250.34
अन्य आय	269.65	331.87
कुल आय	**2029.24**	**1582.21**
व्यय		
उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	171.35	106.43
मूल्यह्रास	233.25	259.81
गत वर्षों के रिट्टेन बैक के रूप में मूल्यह्रास संबंधी प्रावधान	शून्य	(506.93)
प्रावधान एवं रिट्टेन बैक	8.23	0.15
ब्याज एवं वित्त प्रभार	332.49	288.18
पूर्व अवधि समायोजन	(1.98)	550.34
कुल व्यय	**743.34**	**697.98**
कर पूर्व लाभ	**1285.90**	**884.23**
कर हेतु प्रावधान	270.58	119.72
कर पश्चात् शुद्ध लाभ	**1015.32**	**764.51**
विनियोग:		
अंतरिम लाभांश (प्रदत्त)	110.00	136.00
प्रस्तावित लाभांश	210.00	108.00
कुल लाभांश	**320.00**	**244.0**
आरक्षित निधि में अंतरिम राशि	**640.94**	**479.05**

Dear Members,

Your Directors are pleased to present the Twenty-first Annual Report of the Company for the year ended March 31, 2009 along with the Audited Statement of Accounts, Report of Auditors and Comments of the Comptroller and Auditor General of India. As you are all aware, we have completed five successful years since the beginning of the commercial operations of the first unit on 30th March 2004 of NJHPS. As in the past, the year 2008-09 also proved to be an impressive year which could be evidenced from the following financial results:.

1 FINANCIAL HIGHLIGHTS

(Rs. in crore)

INCOME	2008-09	2007-08
Net Sales after adjustments	1759.59	1250.34
Other Income	269.65	331.87
Total Income	**2029.24**	**1582.21**
EXPENDITURE		
Generation, Admn., & Other Exp.	171.35	106.43
Depreciation	233.25	259.81
Depreciation prov. of earlier yrs written back	Nil	(506.93)
Provisions & write back	8.23	0.15
Interest and Finance charges	332.49	288.18
Prior Period Adjustment	(1.98)	550.34
Total Expenditure	**743.34**	**697.98**
Profit before Tax	**1285.90**	**884.23**
Provision of Tax	270.58	119.72
Profit after Tax	**1015.32**	**764.51**
Appropriations		
Interim dividend paid	110.00	136.00
Proposed Dividend	210.00	108.00
Total Dividend	**320.00**	**244.00**
Amount transferred to Reserves	**640.94**	**479.05**

2. बिजली उत्पादन

पिछले वर्ष के 6448.977 मिलियन यूनिट की तुलना में इस वर्ष के दौरान विद्युत उत्पादन 6608.691 मिलियन यूनिट हुआ।

पर्यावरणीय पहलुओं की खातिर नदी में न्यूनतम 15% बहाव सुनिश्चित करने, जलाश्य की फ्लशिंग की वजह से संयंत्र बन्द रखने, सिल्ट की मात्रा स्वीकृत सीमा से अधिक होने जैसे महत्वपूर्ण कारकों के परिप्रेक्ष में 90% डिपेन्डेबल वर्ष में गत स्वीकृत 6951 मिलियन यूनिट की तुलना में आपकी कंपनी ने संशोधित 6255 मिलियन यूनिट डिजाइन विद्युत उत्पादन का प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण(सीईए) को प्रस्तुत किया है। सीईए ने इन कारकों पर पुनर्विचार करके संशोधित 6612 मिलियन यूनिट डिजाइन विद्युत उत्पादन के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

Growth in Power Generation

3. बिक्री

वर्ष 2004-05 से 2008-09 की अवधि का अंतिम टैरिफ आदेश वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ। कंपनी ने उक्त आदेश के मुताबिक संशोधित दरों के आधार पर अंतरीय टैरिफ को बिलों में डाल लिया है। यथोक्त अंतरीय टैरिफ समेत बिजली की बिक्री से कंपनी का वर्ष के दौरान सकल टर्नओवर 1886.60 करोड़ रुपए रहा। 127.01 करोड़ रुपए के मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम एवं टैरिफगत समायोजन के पश्चात् बिजली की शुद्ध बिक्री 1759.59 करोड़ रुपए रही।

4. लाभांश

कंपनी ने वर्ष के दौरान 1015.32 करोड़ रुपए का कर पश्चात् शुद्ध लाभ अर्जित किया है और आपके निदेशकों ने पिछले वर्ष के 244 करोड़ रुपए की तुलना में रु.320 करोड़ (पहले ही प्रदत्त रु.110 करोड़ के अंतरिम लाभांश सहित) के लाभांश की संस्तुति की है। लाभांश का भुगतान आपके अनुमोदन के पश्चात् कर दिया जाएगा।

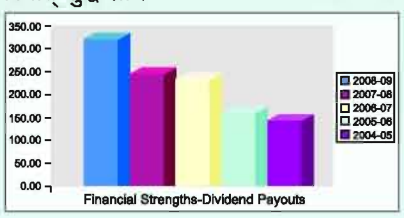

Financial Strengths-Dividend Payouts

5. नई परियोजनाओं की स्थिति

5.1 रामपुर जल विद्युत परियोजना (412 मेगावाट)

मुख्य सुरंग, सर्ज शाफ्ट, विद्युतगृह परिसर आदि के दो पैकेजों में 01.02.2007 को अवार्ड किए गए मुख्य सिविल कार्यों की गति अप्रत्याशित वर्ग एवं मात्रा में प्रतिकूल चट्टानें सम्मुख आ जाने की वजह से वर्तमान स्तर पर बनाकर नहीं रखी जा सकी। कशोली एडिट तथा गोसाई डाऊनस्ट्रीम एवं अपस्ट्रीम मुख्य सुरंग वर्तमान में खतरनाक रास्ते में पड़ रहे हैं। पहले एक और एडिट बनाने से भी अपेक्षित नतीजे नहीं निकले। मुख्य सुरंग की दोबारा अलाइनमेंट करने, लैटिस गर्डर इन्केस्ड शार्टक्रीट सुपोर्ट की उन्नत तकनीक अपनाने, ट्विन कटर लगाने आदि जैसे अधिक त्वरित उपाय परीक्षणाधीन हैं तथा सकारात्मक परिणाम निकलने पर विलंब को यथासंभव रोकने के लिए निर्माण प्रविधि यथोचित रूप से आशोधित की जाएगी। इन त्वरित उपायों के साथ परियोजना चालू करने में अब लगभग 8 माह का विलंब है।

कंपनी के निदेशक यह आश्वस्त करते हैं कि बेहतर प्रगति हासिल करने और कमीशनिंग पहले सुनिश्चित करने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। विश्व बैंक द्वारा मंजूर न किए जाने के कारण पुनर्निविदित इलेक्ट्रो-मैकेनिकल पैकेज सितंबर,2008 में अवार्ड किया गया । यह पैकेज पूर्व निर्णीत 52.5 माह के बजाय 42 माह में पूर्ण होगा।

परियोजना पूरी होने पर 90% डिपेंडेबल वर्ष में 1770 मिलियन यूनिट डिजाइन विद्युत का उत्पादन होगा। यह परियोजना मूलतः फरवरी, 2012 तक अर्थात् 11वीं पंचवर्षीय योजना में पूरी की जानी है।

2. GENERATION

During the year, 6608.691 MUs of power was generated as compared to the previous year's generation of 6448.977 MUs.

Keeping in view the important factors, such as, ensuring minimum flow of 15% discharge in the river for environm-ental considerations, shutdown of the plant during flushing of Reservoir and silt level exceeding the permissible limits, your company proposed revised design energy at 6255 MUs in a 90% dependable year as against 6951 MUs approved earlier and submitted a proposal to CEA. CEA re-considered these factors and approved revised design energy as 6612 MUs.

3. SALES

The final tariff order for the period 2004-05 to 2008-09 was received during the year. Based on revised rates as per the said order, the company has billed for the differential in tariff. The gross turnover from sale of energy for the year including differential in tariff as above stood at Rs.1886.60 crore. The net sale of energy after provision on account of advance against depreciation and tariff adjustment of Rs.127.01 crore stood at Rs.1759.59 crore.

4. DIVIDEND

The Company earned a net profit after tax of Rs. 1015.32 crore during the year and as such your Directors had recommended a dividend of Rs.320 crore (including interim dividend of Rs.110 crore already paid) as against dividend of Rs.244 crore for the previous year. The dividend shall be paid after your approval.

5. STATUS OF NEW PROJECTS

5.1 RAMPUR PROJECT (412 MW)

The Major Civil Works consisting of HRT, Surge Shaft, Power house complex etc., awarded on 1st February 2007 in two packages could not keep the current pace of progress due to unaccountable class and quantity of bad rock encountered. Presently, Kasholi adit and Goshai HRT downstream and upstream are in the critical path. The earlier measures of adding one more adit did not yield the desired results. More accelerated measures such as re-alignment of HRT, switching over to advance technology of lattice girder encased shotcrete support, deployment of Twin cutter etc. are under trial and once the results being positive, the construction methodology shall be suitably modified for containing the delay as much as possible. As of now, with these accelerated measures, the delay in project commissioning is about 8 months. Your Directors assure that all out efforts are being made to achieve better progress and ensure early commissioning. The Electro-Mechanical Package, which was re-tendered due to non-clearance by the World Bank, was awarded in September 2008 to be completed in 42 months as against 52.5 months decided earlier.

When completed, the project design energy would be 1770 MUs in a 90% dependable year. The project is originally scheduled to be completed by Feb. 2012 i.e. within the 11th plan.

5.2 अरुण-III परियोजना (402 मेगावाट)

परियोजना के लिए संभाव्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), बोली दस्तावेज, ड्राईंगे तैयार करने, अन्वेषण कार्यों सहित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(ईआईए)/पर्यावरण प्रबन्ध योजना (ईएमपी) अध्ययन संबंधी संविदा अगस्त,2009 के प्रथम सप्ताह में अवार्ड की गई। ये सभी कार्य दिसंबर,2010 तक पूरे हो जाएंगे। इस बीच गेज, डिस्चार्ज साइटों तथा सिल्ट प्रेक्षणशालाओं ने काम करना शुरू कर दिया है। भूमि के चिन्हीकरण, अधिग्रहण प्रक्रिया, पहुँच सड़कों के लिए आकलन कार्य तैयारी में है।

इस बात का ध्यान रखते हुए कि विदेश में बूट आधार पर कंपनी की यह पहली परियोजना है, सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा करने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं।

5.3 भूटान स्थित परियोजनाएँ

भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने खोंलोंग्चू जल विद्युत परियोजना (486 मेगावाट) तथा वांगचू जलविद्युत परियोजना (900 मेगावाट) नामक दो परियोजनाएँ अन्वेषण एवं सर्वेक्षण कार्यों के लिए निगम को जुलाई,2008 में सौंपी थी। खोलोंग्चू परियोजना के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(ईआईए) एवं पर्यावरण प्रबन्ध योजना (ईएमपी) संबंधी विचारणीय विषय भूटान सरकार के अनुमोदनाधीन हैं। इस बीच संभाव्यता अध्ययन रिपोर्ट (एफएसआर) एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए परामर्शकों हेतु बोलियां पहले ही जून,2009 में खोली जा चुकी हैं और मूल्यांकनाधीन हैं। जहाँ तक वांगचू परियोजना का संबंध है, सरकार टी ओ आर अनुमोदित कर चुकी है तथा संभाव्यता अध्ययन रिपोर्ट (एफएसआर) एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए परामर्शकों की नियुक्ति संबंधी निविदा कार्यवाही शुरू की जा रही है।

5.4 लूहरी परियोजना (775 मेगावाट)

हिमाचल प्रदेश सरकार एवं सतलुज जल विद्युत निगम के बीच परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर 27 अक्तूबर,2008 को हस्ताक्षर किए गए। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अगस्त,2007 में भेजी गई तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की जल विज्ञान एवं भू-विज्ञान संबंधी अभ्युक्तियों पर कार्रवाई की जा रही है। विश्व बैंक की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(ईआईए), पर्यावरण प्रबन्ध योजना (ईएमपी) एवं सीएटी संबंधी अभ्युक्तियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। 7 वर्ष की अनुमानित निर्माण अवधि के साथ मुख्य सिविल कार्य नवम्बर,2010 तक अवार्ड करने का लक्ष्य है। ड्रिफ्टिंग का चल रहा कार्य सितंबर,2009 में पूरा करने का प्रस्ताव है। भू-अधिग्रहण एवं वन भूमि के हस्तांतरण संबंधी कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है।

5.5 धौलासिद्ध परियोजना

हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 27 अक्तूबर,2008 को हस्ताक्षर किए गए। पीईसी हेतु आवेदन नवम्बर,2008 में प्रस्तुत किया गया। संभाव्यता अध्ययन रिपोर्ट (एफएसआर) एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), बोली दस्तावेजों आदि की तैयारी हेतु संविदा अगस्त,2009 में अवार्ड की गई, जो अगस्त,2010 तक तैयार हो जाएंगी। यह परियोजना दिसंबर,2014 तक पूरी किया जाना प्रस्तावित है।

5.6 उत्तराखण्ड परियोजनाएँ

उत्तराखण्ड सरकार ने रन-ऑफ-दि रिवर स्कीम के रूप में स्टेज-I देवसरी ज. वि. परियोजना (252 मेगावाट) के निर्माण के लिए 4 अक्तूबर,2007 को मन्जूरी दे दी थी। पीईसी अप्रैल 2008 में प्रदान किया गया। प्रारंभिक सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जनवरी,2009 में टीईसी के लिए प्रस्तुत की गई और यथा सुझाई गई ड्रिफ्ट की खुदाई प्रगति पर है। भू-अधिग्रहण एवं

5.2 ARUN-III PROJECT (402 MW)

Contract for preparation of Feasibility Report, Detailed project report, bid documents, drawings, EIA/EMP studies including investigation works for the project was awarded in the first week of August 2009. All the works shall be completed by December 2010. Meanwhile, gauge, discharge sites and silt observatories have been made functional. Identification of land, acquisition process, estimates for access roads are under preparation.

This being the first venture of your company on foreign land, on BOOT basis, all out efforts are being put in to achieve the milestones at all levels.

5.3 PROJECTS IN BHUTAN

The Ministry of Power, Government of India, entrusted survey and investigation of Kholongchu HEP (486 MW) and Wangchu HEP (900 MW) in July 2008 to your Company. Terms of reference for EIA and EMP studies for Kholongchu project are under approval by Govt. of Bhutan. Meanwhile, bids for Consultants for preparation of FSR and DPR already opened in June 2009 are under evaluation. In respect of Wangchu project, the TOR were already approved by the Government and tendering action for appointment of consultant for preparation of FSR and DPR is being initiated.

5.4 LUHRI PROJECT (775 MW)

An MoU for the project between Govt. of Himachal Pradesh and SJVN was signed on 27th October 2008. DPR of the project was submitted to CEA in August 2007 and copy of MoU in November 2008 and the observations of the CEA on hydrology and geology are being attended to. The observations of the World Bank on EIA, EMP and CAT Plans are also being attended to. The target for award of major civil works is November 2010 with tentative execution period of 7 years. The present on-going drifting is proposed to be completed in September 2009. Action on Land acquisition and diversion of forest land has also been initiated.

5.5 DHAULASIDH PROJECT

An MoU with Government of Himachal Pradesh was signed on 27th October 2008. Application for PEC was submitted in November 2008. Contract for preparation of FSR, DPR, Bid documents etc. was awarded in August 2009 to be completed by August 2010. The project is planned for commissioning by December 2014.

5.6 UTTARAKHAND PROJECTS

The Govt. of Uttarakhand accorded clearance for implementation of stage-I Devasari HEP (252 MW) on 4th October 2007 as a run of the river scheme. PEC was accorded in April 2008. Preliminary survey works were completed. DPR was submitted to CEA in January 2009 for TEC and drift excavation as suggested is in progress. Land acquisition and Forest clearance are under progress. The

Shri H.K. Sharma, CMD
in a meeting with Chief Ministers of Uttarakhand and Himachal Pradesh

Shri H.K. Sharma, CMD
at a site of RHEP

Receiving Environment Excellence Awards
from Greentech Foundation

वनीय मंजूरी के कार्य प्रक्रियाधीन हैं। मुख्य सिविल कार्य जनवरी,2011 में, पाँच वर्ष की निर्माणावधि के साथ, अवार्ड करने का लक्ष्य है।

जहाँ तक नैटवार मोरी का संबंध है, परियोजना का विस्तृत टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण पूरा किया गया तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) ने जुलाई,07 में पीईसी प्रदान किया। उत्तराखण्ड सरकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जुलाई,2008 में प्रस्तुत की गई। टीईसी अभी प्राप्त होनी है। वनीय भूमि के हस्तांतरण के लिए राज्य वन विभाग के पास आवेदन अप्रैल,2008 में प्रस्तुत किया गया और निजी भूमि का अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है। मुख्य सिविल कार्य फरवरी,2010 में अवार्ड करने का लक्ष्य, परियोजना 42 माह में पूरी करने सहित रखा गया है।

जहाँ तक जाखोल सांकरी का संबंध है, परियोजना पर्यावरणीय मन्जूरी संबंधी विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सलाह के अनुसार वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र के प्रमुख से अनापत्ति प्रमाण-पत्र अप्रैल,2009 में प्राप्त किया गया और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) से पीईसी भी प्राप्त किया गया। संभाव्यता अध्ययन रिपोर्ट (एफएसआर) का प्रारूप मई,2009 में प्राप्त हुआ और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस बीच, भूमि का चिन्हीकरण भी शुरू किया गया है।

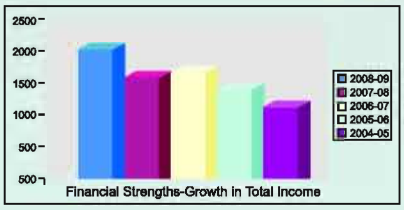

6. मौजूदा निष्पादन 2009-10

30 जून,2009 को समाप्त तिमाही तक 2208.59 मिलियन यूनिट के लक्ष्य की तुलना में 2155.21 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन हुआ और पिछले वर्ष की इसी तिमाही के दौरान 416.62 करोड़ रुपए की दर्ज आय की तुलना में इस वर्ष की तिमाही में 446.29 करोड़ की आय हुई और पिछले वर्ष की इसी तिमाही के 165.61 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ की तुलना में अनुमानित शुद्ध लाभ 156.38 करोड़ रुपए हुआ।

6.1 अंतरिम लाभांश 2009-10

मौजूदा वित्तीय निष्पादन के दृष्टिगत निदेशक मण्डल ने दोनों शेयरधारकों को, 31.03.09 को कंपनी में इक्विटीगत अनुपात के अनुसार,वर्ष 2009-10 के लिए 80 करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश देने हेतु मन्जूरी दी है।

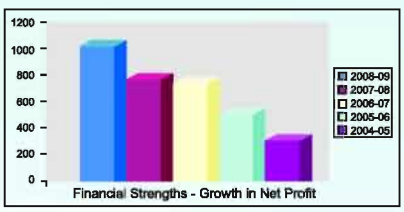

7. पर्यावरण

कंपनी ने एक कारपोरेट पर्यावरणीय मिशन वक्तव्य तथा पर्यावरणीय नीतियां अंगीकृत की हैं। कंपनी के मिशन संबंधी वक्तव्य में देश, राज्य एवं स्थानीय समुदायों के लिए कार्यकुशल, किफायती, पर्यावरणीय रूप से सातत्यशील एवं सामाजिक रूप से दायित्वपूर्ण जल विद्युत का विकास एवं आपूर्ति करने का जिक्र है और सभी परियोजनाओं में पर्यावरणीय मसलों के प्रबन्धन की पर्याप्त दीर्घावधिक क्षमता विकसित करने की जरूरत पर बल है।

इस उद्देश्य के लिए कंपनी ने नाथपा झाकड़ी जल विद्युत स्टेशन एवं रामपुर जल विद्युत परियोजना में क्रमशः 35.85 एवं 45.52 करोड़ रुपए लागत की एक विस्तृत पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना आरंभ की है। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत स्टेशन एवं रामपुर जल विद्युत परियोजना में अब तक क्रमशः 21.50 करोड़ रुपए एवं 20.00 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं।

पर्यावरणीय गतिविधियों संबंधी प्रयासों की मान्यता के रूप में कंपनी को ग्रीनटेक फांउडेशन, नई दिल्ली से वर्ष 2008-09 का पुरस्कार प्राप्त हुआ।

target for award of major civil works is January 2011 with execution period of five years.

In respect of Naitwar Mori, detailed topographical survey of the project was completed and PEC was accorded by MOEF in July 2007. The DPR was submitted to Govt. of Uttarakhand in July 2008. TEC is yet to be received. Application for diversion of forest land was submitted to State Forest Department in April 2008 and acquisition of private land is in progress. The target for award of major civil works has been kept in February 2010 with completion period of the project in 42 months.

As regards Jakhol Sankri, as per the advice of the Expert Appraisal Committee for Project Envinronment Clearance, NOC from Chief Wild Life Sanctuary area was obtained in April 2009 and PEC from MOEF was also received. Draft FSR was received in May 2009 and DPR work will be taken up shortly. Meanwhile, land identification etc has also been taken up.

6. CURRENT PERFORMANCE 2009-10

For the quarter ending 30th June 2009, the power generated was 2155.21 MUs as against the target of 2208.59 MUs and the total Income recorded was Rs.446.29 crore (Rs.416.62 crore during corresponding quarter of the previous year) and estimated net profit was Rs.156.38 crore (Rs.165.61 crore during corresponding quarter of the previous year).

6.1 INTERIM DIVIDEND 2009-10

Considering the current financial performance, your Directors approved payment of interim dividend of Rs.80 crore for the year 2009-10 to be paid to both the share holders in accordance with the equity ratio in the company as on 31st March 2009.

7. ENVIRONMENT

Your company has adopted a Corporate Environmental Mission Statement and environmental policies. The company's mission statement which, interalia, stated that developing and supplying to the Nation, State and Local communities, an efficient economic environmentally sustainable and socially responsible hydro power stresses the need to develop adequate long-term capacity to manage environmental issues in all projects.

Towards this end, your company launched a comprehensive environment management plan of Rs.35.85 crore and Rs.45.52 crore in NJHEP and RHEP respectively. A sum of Rs.21.50 crore and about Rs.20.00 crore in NJHEP & RHEP were spent so far.

In recognition of the efforts on Environmental activities, your Company was in receipt of Awards in the year 2008-09 from Greentech Foundation, New Delhi.

8. पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन

परियोजना प्रभावित विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन करना कंपनी का प्राथमिक कर्त्तव्य है। निर्धारित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीतियों का पूर्णतः पालन किया जाता है। पिछली बार की तरह इस साल के दौरान कंपनी ने 5.01 करोड़ रुपए खर्च किए। इसमें से नाथपा झाकड़ी जल विद्युत स्टेशन में ढांचागत कार्यों के लिए 1.49 करोड़ रुपए तथा रामपुर जल विद्युत परियोजना में स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में मौजूदा शिक्षा सत्र के दौरान व्यावसायिक/आईटीआई कोर्स करने के लिए रामपुर जल विद्युत परियोजना के परियोजना क्षेत्र से 35 छात्र ट्यूशन फीस एवं वजीफे की व्यवस्था सहित प्रायोजित किए गए।

9 मानव-संसाधन

सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की कुल जनशक्ति 31 मार्च,2008 की 956 की तुलना में 31 मार्च,2009 को 1018 थी। उक्त तिथि को प्रतिनियुक्ति पर एचपीएसईबी/हि.प्र.सरकार की जनशक्ति गत वर्ष 772 की तुलना में 726 थी। उक्त तिथि को अनुसूचित जाति, अनु.जन.जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की जनशक्ति क्रमशः 215, 56 एवं 95 है, जो गत वर्ष 171, 52 एवं 84 थी।

कार्यकुशलता के उन्नयनीकरण को आपकी कंपनी सर्वाधिक महत्व देती है और इस हेतु सभी विधाओं के लिए सभी स्तरों पर आंतरिक एवं बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। परिणामतः वर्ष के दौरान 1221 कर्मचारियों को 4036 मानव दिवसों का प्रशिक्षण दिया गया।

9.1 औद्योगिक-संबंध

नीतिगत मामलों सहित स्थानीय मुद्दों का समाधान करने की दृष्टि से विभिन्न एसोसिएशनों/कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित की गईं। निगम द्वारा विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक एवं खेल-कूद कार्यक्रमों सहित अन्य मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रबंधन वर्ग द्वारा उठाए गए इन कदमों के परिणामस्वरूप कर्मचारी-नियोक्ता संबंधों को बेहतर बनाए रखने में सफलता मिली है तथा वर्ष के दौरान कुल मिलाकर औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं।

10. सांविधिक एवं अन्य सूचनाएँ

कंपनी अधिनियम,1956, सरकारी दिशा-निर्देशों तथा कंपनी की कारपोरेट अभिशासन संहिता के अनुसार निम्नलिखित मामलों संबंधी अपेक्षित सूचना अनुलग्नक "क" में दी गई है :

क) प्रबन्धन चर्चा एवं विश्लेषण

ख) कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट

ग) विद्युत संरक्षण, टेक्नोलॉजी का अंगीकरण, विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय संबंधी सूचना

घ) कंपनी नियम (कर्मचारियों संबंधी विवरण) 1975 के अनुसार सूचना

11 निदेशकों का दायित्व पूर्ण कथन

निदेशक पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च,2009 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखे तैयार करते समयः-

- स्थापित नीतियों से हटने की स्थिति में (यदि कोई हो तो) उचित स्पष्टीकरणों के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है।
- निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन कर उनका अनुकूल रूप से प्रयोग करते हुए (लेखा संबंधी टिप्पणियों में यथोल्लिखित रूप को छोड़कर) निर्णय एवं आकलन किए हैं, जो कि सर्वथा उचित एवं विवेकपूर्ण हैं, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति का सत्य एवं उचित चित्रण किया जा सके।

8. REHABILITATION AND RESETTLEMENT

Resettlement of Displaced Project Affected Persons is one of the primary duties of your company. The laid down policies on Rehabilitation and Resettlement are followed in letter and spirit. During the year, as in the past, your company spent a sum of Rs.5.01 crores. Out of this, Rs.1.49 crore towards Infrastructure works of NJHPS and Rs.3.5 crore towards local area development of RHEP. Apart from the above, 35 students from project area of RHEP were sponsored with tuition fee and scholarship for pursuing vocational/ITI courses in Himachal Pradesh for the current academic session

9. HUMAN RESOURCES

The total manpower on the rolls of SJVN was 1018 as on 31st March 2009 as against 956 as on 31st March 2008. The strength of HPSEB/HP Govt. on deputation on the above date was 726 as against 772 on the above date of the previous year. The strength of SC, ST and OBC employees as on the above date was respectively 215, 56 and 95 as against 171, 52 and 84 during the previous year.

Your company gives utmost importance for the enrichment of skills and towards this in-house and external training programmes are organized in all disciplines and all levels. As a result, during the year, 1221 employees were trained for 4036 man days.

9.1 INDUSTRIAL RELATIONS

Regular Meetings are held with the representatives of the various Associations/Unions to sort out the local issues as well as policy related matters. Recreational, Cultural and Sports functions on different occasions were also held, thus, resulting better employee-employer relations and cordial industrial relations during the year .

10. STATUTORY AND OTHER INFORMATIONS

The information required to be furnished as per the Companies Act 1956, Government Guidelines, and, Code of Corporate Governance of your Company, on the following matters is placed at Annexure 'A"

a) Management Discussion and Analysis

b) Report on Corporate Governance

c) Information on Conservation of Energy, technology Absorption and Foregin exchange earnings and out go

d) Information as per Companies (Particulars of Employees) Rules 1975

11. DIRECTORS' RESPONSIBILITIES STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2009:

- the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- that the directors had selected such accounting policies and applied them consistently except as disclosed in the Notes on Accounts and made judgment and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year;

- निदेशकों ने कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप लेखा अभिलेखों का सही ढ़ंग से रख-रखाव करने के लिए उचित एवं पर्याप्त कदम उठाए हैं, ताकि कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा की जा सके और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोका जा सके तथा उनका पता लगाया जा सके; और
- निदेशकों ने वार्षिक लेखों को चल रहे कारोबार के आधार पर तैयार किया है।

12 लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

मैसर्स आर.बंसल एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार, चंडीगढ़ को सीएण्डएजी द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

दिनांक 31.3.2009 को समाप्त वर्ष के लेखों के संबंध में सदस्यों को संबोधित सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट तथा सांविधिक लेखा-परीक्षकों की टिप्पणियों के संदर्भ में प्रबंधन वर्ग के उत्तर क्रमशः अनुलग्नक'ख' एवं'ग' में दिए गए हैं।

भारत के सी. एण्ड ए.जी. ने दिनांक 27.08.09 के पत्र संख्याःआरएपी/एनएचपीसी/एसजेवीएनएल/2-2/08-09/562 के जरिए कंपनी अधिनियम,1956 के खण्ड 619(4) के तहत 31.03.09 को समाप्त हुए लेखे के विषय में'शून्य' टिप्पणियाँ भेजी हैं। पत्र की प्रतिलिपि अनुलग्नक 'घ' के रूप में है।

12.1 लागत लेखा-परीक्षा

केन्द्रीय सरकार ने कंपनी द्वारा यथा रखे गए लागत लेखा रिकार्ड्स की लेखा-परीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। तदनुसार, आपकी कंपनी ने कंपनी मामलों के मंत्रालय की स्वीकृति से श्री के.एस.बर्क, लागत लेखाकार को वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए लेखा परीक्षा हेतु बतौर लागत लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

13. कंपनी का नाम, उद्देश्य तथा संस्थागत अन्तर्नियम

हिमाचल से देश के अन्य राज्यों एवं विदेश में कंपनी की गतिविधियों का विस्तार होने, पवन विद्युत आदि जैसे नए कार्यक्षेत्र में उतरने और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदले जाने के दृष्टिगत कारपोरेट अभिशासन के मानदण्ड अपनाने के परिप्रेक्ष में कंपनी का नाम, उद्देश्यों एवं संबंधित ज्ञापन के अन्तर्नियमों (आर्टिकल ऑफ मेमोरेन्डम) तथा संस्थागत अंतर्नियमों को बदलने का प्रस्ताव है। कंपनी का अधिकृत शेयर पूंजी 4500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7000 करोड़ रुपए करने और शेयर की 1000/- रुपए की फेस वैल्यू को उप-विभाजित करके 10 रुपए प्रत्येक करने का भी प्रस्ताव है। उक्त बदलावों पर आपके अनुमोदन के पश्चात् अमल किया जाएगा।

14. निदेशक मंडल

पिछली रिपोर्ट के उपरांत श्री जे.के.शर्मा, पूर्णकालिक निदेशक(सिविल) का पद उनके एन.एच.पी.सी. में निदेशक नियुक्त होने की वजह से दिनांक 09 अप्रैल,2009 से रिक्त हो गया है। जहाँ तक अंशकालीन निदेशकों का संबंध है श्री राजेश वर्मा एवं श्री अजय मित्तल, अंशकालिक निदेशकों के पद उनकी नई तैनातियों के कारण क्रमशः 26 मार्च,2009 एवं 19 मई,2009 से रिक्त हो गए हैं। निदेशक मंडल उक्त निदेशकों द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान दिए गए योगदान का संज्ञान लेते हुए उनकी सेवाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है।

15. राजभाषा कार्यान्वयन

राजभाषा संबंधी विभिन्न गतिविधियों में - हिन्दी पखवाड़े का आयोजन, हिन्दी प्रश्न-मंच, हिन्दी कार्यशाला, समय-समय पर राजभाषा गृहपत्रिका अर्थात् 'हिमशक्ति' का प्रकाशन तथा मैनुअल आदि का हिन्दी अनुवाद करना सम्मिलित है। दैनंदिन कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करने की दृष्टि से वर्ष के दौरान 292 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। 3 कर्मचारियों को हिन्दी टाइपलेखन में भी प्रशिक्षित किया गया। वर्ष

- that the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities; and
- that the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis.

12. AUDITORS' REPORT

M/s R. Bansal & Co., Chartered Accountants, Chandigarh, were appointed by C&AG as Statutory Auditors of the Company for the financial year 2008-09.

The report of the Statutory Auditors to the Members on the Accounts for the year ended 31.3.2009 and replies of the Management on the qualifications of Statutory Auditors are placed at Annexures `B' and `C'.

The C&AG of India vide letter no. RAP/NHPC/SJVNL/2-2/08-09/562, dated 27th August 2009 communicated **"NIL"** comments under section 619(4) of the Companies Act 1956 on the Accounts for the year ended 31.3.2009. A copy of communication is placed at Annexure `D'

12.1 COST AUDIT

Pursuant to the Central Government directions to audit Cost Accounting Records as maintained by the Company, your Company appointed Shri K.S.Berk, Cost Accountant, as Cost Auditor for the year 2008-09 with the approval of Ministry of Corporate Affairs for the audit.

13. CHANGES IN NAME, OBJECTS AND ARTICLES OF ASSOCIATION

Pursuant to your company's expansion activities from Himachal to other States in India and abroad, venturing into new activities such as wind power etc., and with a view to convert in to public limited company for adopting Corporate Governanace norms, your company proposes change in the Name, Objects and relevant Articles of Memorandum and Articles of Association. Your company also proposes increase in Authorised Share Capital from Rs.4500 crore to Rs.7000 crore and sub-division of face value of share from Rs.1000 each to Rs.10 each. The above changes shall be implemented after your approval.

14. BOARD OF DIRECTORS

Since the last Report, Shri J.K.Sharma, whole time Director (civil) ceased with effect from 9th April 2009 on his being appointed as Director in NHPC. As regards part-time Directors, Shri Rajesh Verma and Shri Ajay Mittal ceased to be the part-time Directors with effect from 26th March 2009 and 19th May 2009 respectively on account of their new postings. The Board noted the contributions made by the above Directors during their tenure and placed on record its highest appreciation for their services.

15.IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

Celebration of Hindi Fortnight, quiz competitions, workshops, publication of house journal i.e. "Himshakti" and translation of manuals into Hindi from time to time are regular features. During the year, 292 employees were imparted training in usage of Hindi in day to day work. Three employees were also trained in Hindi typing. In recognition of efforts for the year 2007-08, in

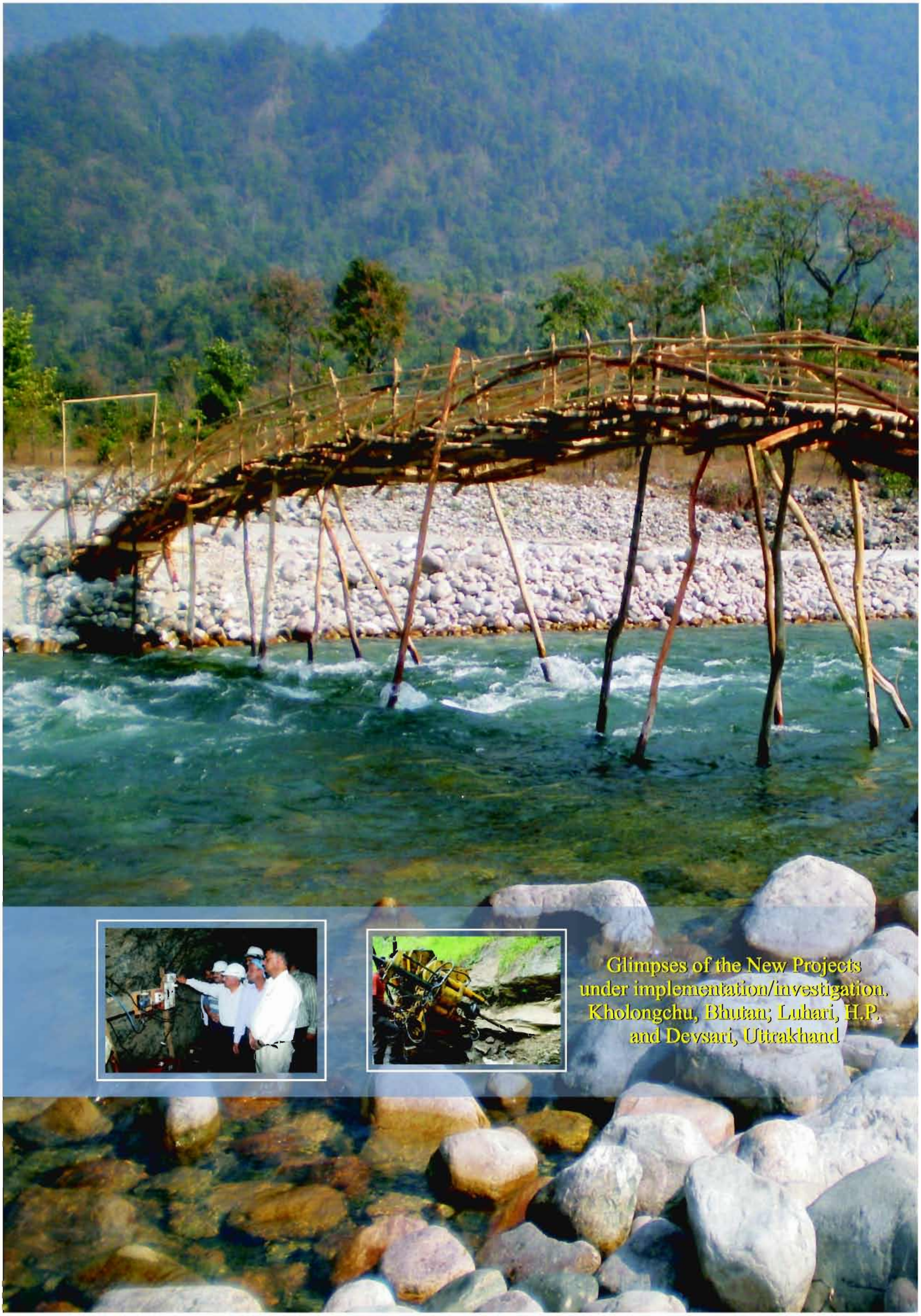

Glimpses of the New Projects under implementation/investigation. Kholongchu, Bhutan; Luhari, H.P. and Devsari, Uttrakhand

2007-08 में राजभाषा के क्रियान्वयन संबंधी प्रयासों की मान्यता के रूप में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, शिमला ने आपकी कंपनी को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति राजभाषा शील्ड (प्रथम पुरस्कार) तथा विद्युत मंत्रालय ने सर्वोत्तम कार्य-निष्पादन के लिए एनटीपीसी राजभाषा शील्ड (तृतीय पुरस्कार) से नवाजा है।

16. आभार

निदेशक मंडल केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, विशेषतया विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय जल आयोग, भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण, नेपाल सरकार, भूटान सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार विशेषतया विद्युत विभाग, वित्त विभाग, वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखण्ड सरकार, राज्य विद्युत बोर्डों, विश्व बैंक, वित्तीय संस्थानों एवं अन्य बैंकों द्वारा दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान किए गए अमूल्य सहयोग के प्रति एवं निगम के कर्मचारियों तथा निगम में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड/हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों द्वारा किए गए समर्पित प्रयासों एवं उनके अथक परिश्रम के लिए उनका भी आभारी है।

सधन्यवाद।

निदेशक मंडल के लिए एवं इसकी ओर से

(हेमंत कुमार शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः शिमला
दिनांकः 10 सितंबर,2009

implementation of official language, your company was awarded TOLIC Rajbhasha Shield (First Prize) by Town Official Language Committee, Shimla, and NTPC Rajbhasha Shield (Third Prize) by Ministry of Power for best performance.

16. ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors acknowledge with thanks the guidance and help extended by various Ministries/ Departments of the Government of India, particularly, Ministry of Power, Ministry of Finance, Ministry of External Affairs, MOEF, Central Electricity Authority, Central Water Commission, Geological Survey of India, the Government of Nepal, the Government of Bhutan, the Government of Himachal Pradesh, particularly, Deptt. of Power, Deptt. of Finance, Deptt. of Forests, Pollution Control Board, Government of Uttarakhand, State Electricity Boards, World Bank, Financial Institutions and Banks etc.

The Board also records its deep appreciation of valued cooperation extended by the Office of the Comptroller and Auditor General of India and the Auditors. Last, but not the least, the Board commends the hard work and dedicated efforts put in by the employees of the Corporation including the employees on deputation at all levels.

Thanking you,

For and on behalf of Board of Directors

(H..K. SHARMA)
CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

Place : Shimla
Date : 10th September, 2009

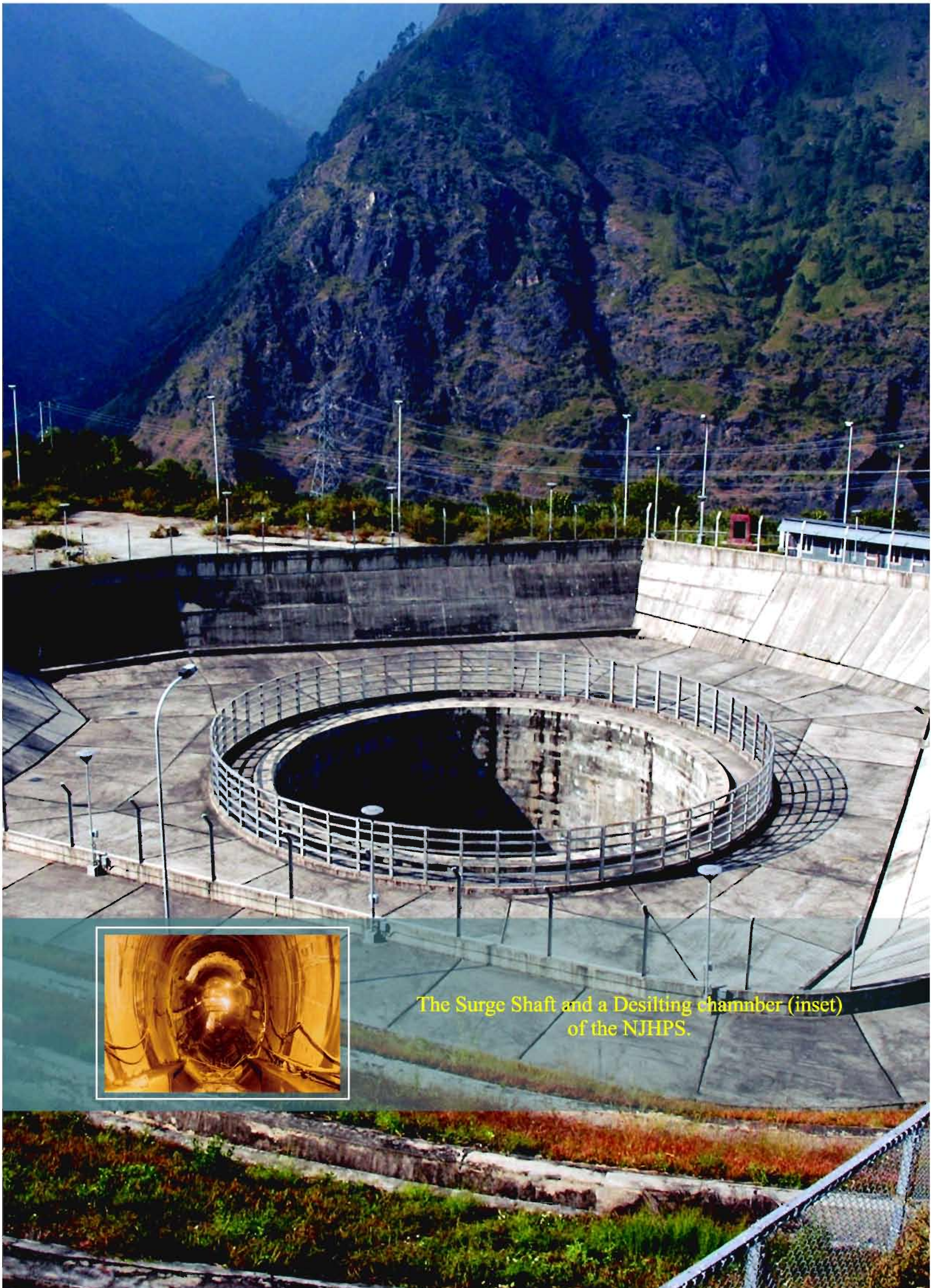

The Surge Shaft and a Desilting chamnber (inset) of the NJHPS.

अनुलग्नक-क (संदर्भः पैरा 10(क)

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

उद्योगगत दृश्यावलोकन

विद्युत आर्थिक विकास का आधार है। भारत को गरीबी उन्मूलन एवं मानव विकास के अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अगले 25 वर्षों में 8% से 10% की आर्थिक उन्नति की दर बनाकर रखनी पड़ेगी। सन 2031-32 तक 8% की सतत उन्नति दर प्राप्त करने और सभी लोगों की विद्युतगत जरूरतें पूरी करने के लिए भारत को अपनी प्राथमिक विद्युत आपूर्ति को कम से कम 3 से 4 गुणा और विद्युत उत्पादन क्षमता को 2003-04 के स्तर से 5 से 6 गुणा बढ़ाना होगा। इसके लिए भारत की व्यावसायिक विद्युत आपूर्ति को 5.2% से 6.1% प्रतिवर्ष की दर से और इसकी सकल प्राथमिक विद्युत आपूर्ति को 4.3% से 5.1% वार्षिक की दर से बढ़ाना होगा। सन 2031-32 तक विद्युत उत्पादन क्षमता को सभी कैपेटिव संयंत्रों सहित मौजूदा लगभग 1,60,000 मेगावाट की क्षमता से बढ़ाकर अनिवार्यतः लगभग 8,00,000 मेगावाट करना होगा।

भारत में मौजूद लगभग 1,50,000 मेगावाट की संभावित जल विद्युत क्षमता में से मात्र 36,917 मेगावाट का दोहन हुआ है। हिमालयी क्षेत्र के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, अरूणाचल प्रदेश एवं सिक्किम राज्यों की जल विद्युत क्षमता के काफी बड़े हिस्से का अभी दोहन होना है। आने वाले समय में विद्युत कारोबार संबंधी उद्योगगत उक्त दृश्यावलोकन पर्याप्त अवसरों की उपलब्धता का द्योतक है।

सामर्थ्य

विद्युत क्षेत्र में अग्रणी रहने के लिए जरूरी है कि एसजेवीएन जल विद्युत के साथ-साथ अन्य नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में परियोजनाएं हासिल करके उनका निर्माण करे। नए मुकामों तक पहुंचने के लिए एसजेवीएन की सामर्थ्य विकसित करने हेतु आंतरिक रूप से एक सबदलता दुर्बलता जोखिम अवसर संबंधी (एसडब्ल्यूओटी) विश्लेषण करवाया गया था।

संक्षेप में कहें तो नाथपा झाकड़ी जल विद्युत स्टेशन (1500 मेगावाट) के निर्माण में अर्जित अनुभव, सफल प्रचालन एवं अनुरक्षण, सिल्ट का प्रबन्धन, आंतरिक डिजाइन क्षमता, परियोजना प्रबन्धन, बेहतरीन वित्तीय मजबूती हमारी सबलता है। कर्मचारियों की बड़ी संख्या, राज्य सरकारों द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं के आबंटन में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता देना हमारी दुर्बलताएं है। उद्योगगत दृश्यावलोकन में जैसे पहले उल्लेख है कि मौके बहुत और पर्याप्त हैं। चट्टान संबंधी अनियंत्रणीय परिस्थितियों के कारण परियोजना में संभावित विलंब के जोखिम हैं।

संपूर्ण सामर्थ्य दृश्यावली पर नजर डाली जाए तो सबलताएं एवं अवसर अन्य कारकों पर भारी पड़ते हैं तथा इनके आधार पर एसजेवीएन आगे बढ़ सकता है और यह इस तथ्य में झलकता है कि पाँच साल पहले एसजेवीएन एकल परियोजना तक सीमित था। आज एसजेवीएन के पास विभिन्न क्षमताओं एवं निर्माण/सर्वेक्षण तथा अन्वेषण की भिन्न भिन्न अवस्थाओं वाली 9 परियोजनाएं हैं जिनका उल्लेख पहले ही निदेशकों की रिपोर्ट में है।

Annexure-A (Ref: para-10 (a)

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

INDUSTRY OVERVIEW

Power is the backbone for economic development. India needs to sustain 8% to 10% economic growth rate over the next 25years, if it is to eradicate poverty and meet its human development goals. To deliver a sustained growth rate of 8% through 2031-32 and to meet the lifeline energy needs of all citizens, India needs at least increase in its primary energy supply by 3 to 4 times and its electricity generation capacity by 5 to 6 times of 2003-04 levels. With this base, India's commercial energy supply would need to grow from 5.2% to 6.1% per annum, while its total primary energy supply would need to grow at 4.3% to 5.1% annually. By 2031-32, power generation capacity must increase to nearly 8,00,000 MW from the current capacity of around 1,60,000 MW inclusive of all captive plants.

As regards hydro potential, India has an estimated hydro potential of about 1,50,000 MW of which only about 36917 MW has been commissioned so far. The bulk of the potential yet to be developed is along the Himalayas i.e. hill states of Himachal, Uttarakhand, Arunachal Pradesh, Sikkim. The above Industry scenario signifies that there is an ample opportunity for consistent growth in the business of power sector in the times to come.

CAPABILITY

To be a leader in the Power sector, SJVN need to secure and execute projects not only in Hydro but also other renewable and non-renewable sources of energy. To establish the capabilities of SJVN's ability to reach to the heights, an exercise of SWOT analysis was done internally.

Briefly, the strengths are experience gained in execution of 1500 MW Nathpa Jhakri HE Project, successful O&M managing silt, In-house Design, Project Management, remarkable financial strengths. The weaknesses are a good turnover of employees, preference of State Governments to allot power projects to private players. The opportunities are plenty and abundant as already pointed out in Industry Overview. The threats are possible project delays on account of unmanageable rock conditions, floods etc.

When the entire capability scenario is puts together, the strengths and opportunities outweigh the other elements and due to this factor, SJVN can move forward, which is already evidenced from the fact that till five years ago, the SJVN was limited to one project. Today SJVN has 9 projects of different capacities and in different stages of construction/survey and investigation, the details of which are already stated in the Directors Report.

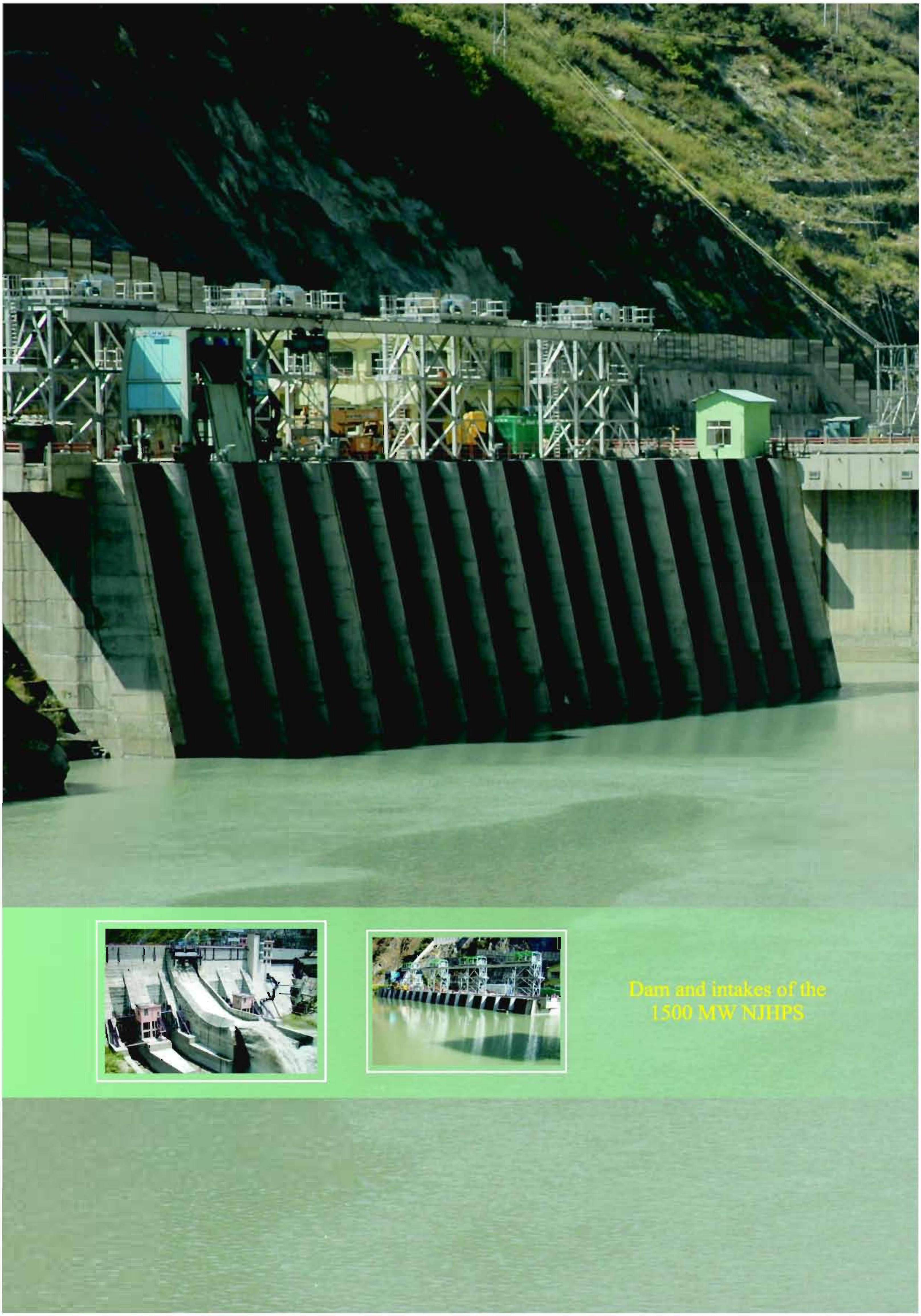

Dam and intakes of the 1500 MW NJHPS

वित्तीय निष्पादन

आय

पिछले वर्ष की 1582.21 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2008-09 में सकल आय 28% बढ़कर 2029.24 करोड़ रुपए हुई। इसका विवरण निम्नवत् है :

(करोड़ रुपए में)

	2008-09		2007-08	
1. बिजली की बिक्री	1886.60		1504.26	
घटाएं: समायोजन	127.01		253.92	
शुद्ध बिक्री		1759.59		1250.34
परामर्शक कार्य		0.56		0.97
2. अन्य आय				
क) ब्याज				
- जमा पर	118.65		75.13	
- कर्मचारियों एवं ठेकेदारों को अग्रिम पर	0.66		0.58	
- उपभोक्ताओं से	112.07		0.10	
कुल ब्याज		231.38		75.81
ख) मुनाफे की हानि के लिए बीमा दावा				236.68
ग) विदेशी मुद्रा विचलन समायोजन		12.07		14.37
घ) अन्य		25.64		4.04
कुल आय		2029.24		1582.21

गत वर्ष के मुकाबले हुए बदलावों के पीछे मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

बिजली की बिक्री

कंपनी द्वारा बिजली की बिक्री भारत सरकार द्वारा जारी टैरिफ नीति के अनुसरण में केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग(सीईआरसी) द्वारा तय टैरिफ से अभिशासित है। सीईआरसी ने 2004-2009 टैरिफ अवधि के लिए लागू अंतिम टैरिफ आदेश वर्ष के दौरान जारी किए। तदनुसार, पिछले वर्ष अस्थायी टैरिफ के आधार लेखागत किए जाने की तुलना में चालू वर्ष में बिजली की बिक्री अंतिम टैरिफ आदेश के आधार पर लेखागत की गई है। अंतिम टैरिफ आदेश जारी होने के फलस्वरूप विगत टैरिफ अवधि के वर्षों की **117.34 करोड़** रुपए की टैरिफगत अंतरीय राशि के कारण बिल राशि में वृद्धि हुई है। कंपनी द्वारा बिजली उत्पादन के कारोबार से कमाए गए लाभ पर आयकर मौजूदा टैरिफगत नीति के अनुसार ग्राहकों से वसूला जाना है और यह बिक्री राशि में शामिल है। पिछले वर्ष के 84.13 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष के लिए कर घटक (गत वर्षों सहित चालू वर्ष में मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम (एएडी) पर **96.23 करोड़** रुपए के कर सहित) 255.39 करोड़ रुपए था। टैरिफ के जरिए ऋणों के पुनर्भुगतान को कवर करने के लिए मूल्यह्रास का स्वीकृत घटक अपर्याप्त होने के कारण एडीडी कंपनी के लिए स्वीकृत एक ऐसा टैरिफगत घटक है, जो वह सीईआरसी के विनियमनों के मुताबिक चार्ज कर सकती है। एडीडी को ऋणावधि की समाप्ति तक अग्रिम रूप से हुई आय के रूप में लेखागत किया गया है और यह उतरवर्ती वर्षों के दौरान आय में डाली जाएगी। सीईआरसी ने 2009-14 की टैरिफगत अवधि के लिए लागू टैरिफ विनियमनों में मूल्यह्रास की दरें बढ़ा दी हैं। परिणामतः, अब एडीडी उपलब्ध नहीं होगा।

बिक्री से समायोजन प्राथमिकतः मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम का घटक है, जिसे सकल बिलिंग में अग्रिम रूप में प्राप्त हुई आय के रूप में लेखागत किया गया है।

अन्य आय

ब्याज

हालांकि, डीपीई के दिशा-निर्देशों के मुताबिक राशि कार्ड दरों पर जमा करवाने के कारण ब्याज कम मिला। फिर भी, पूंजीगत आधार में वृद्धि एवं अधिशेष निधि के विवेकपूर्ण एवं अग्रसक्रिय ढंग से किए गए निवेश के कारण जमा राशियों पर मिलने वाली ब्याज राशि में वृद्धि हुई। अंतिम टैरिफ आदेश के आधार पर टैरिफ अवधि 2004-2009 के लिए अंतरीय टैरिफ की चालू वर्ष में ग्राहकों से 107.75 करोड़ रुपए ब्याज की बिलिंग होनी है।

FINANCIAL PERFORMANCE

INCOME:

The total income for the year 2008-09 was Rs. 2029.24 cr. which represented an increase of 28% over the total income of Rs. 1582.21 cr. for the previous year. The details are as under:

(Rs. in crore)

	2008-09		2007-08	
1. Sale of electricity	1886.60		1504.26	
Less: adjustments	127.01		253.92	
Net sales		1759.59		1250.34
Consultancy works		0.56		0.97
2. Other income				
a) Interest				
- On deposits	118.65		75.13	
-On advances to employees & contractors	0.66		0.58	
- From customers	112.07		0.10	
Total interest		231.38		75.81
b) Insurance claim for loss of profit				236.68
c) Foreign currency fluctuation adjustment		12.07		14.37
d) Others		25.64		4.04
Total income		2029.24		1582.21

The main reasons of changes over the previous year are given below:

Sale of electricity

The sale of electricity by the Company is governed by the tariff fixed by the Central Electricity Regulatory Commission (CERC) pursuant to the tariff policy issued by the Govt. of India. During the year, CERC has issued the final tariff orders applicable for the tariff period of 2004-2009. Accordingly, the sale of electricity for the current year has been accounted for based on the final tariff order as against accounting for the previous year based on provisional tariff. The issuance of final tariff order has also resulted in increased billing due to differential tariff amounting to **Rs.117.34 cr.** for earlier years of the tariff period. As per the prevailing tariff policy, income tax on profit earned by the Company from generation business is also recoverable from customers and is included in the sales. This tax component for the year (including tax of **Rs. 96.23 cr.** on Advance Against Depreciation (AAD) for the current as well as earlier years) was Rs. 255.39 cr. as compared to Rs. 84.13 cr. for the previous year. AAD is a component of tariff that the Company is permitted to charge under CERC regulations because the component of depreciation allowed through tariff is insufficient to cover repayment of debts. AAD is accounted for as income received in advance until the tenure of the loan and will be transferred to income in the subsequent years. CERC, in the tariff regulations applicable for the tariff period 2009-14, has increased the rates of depreciation and as a result, the AAD shall no longer be available.

Adjustments from the sales are primarily the AAD component which has been accounted for as income received in advance from the amount of gross billing.

Other income

Interest

Increase in interest income on deposits is due to increase in investable base and by adopting prudent and proactive approach for investment of surplus fund even though the interest was lower due to making deposits at Card rates as per the DPE guidelines. Interest of Rs. 107.75 cr. from customers for the current year is for billing for differential tariff for the tariff period 2004-2009 based on final tariff order.

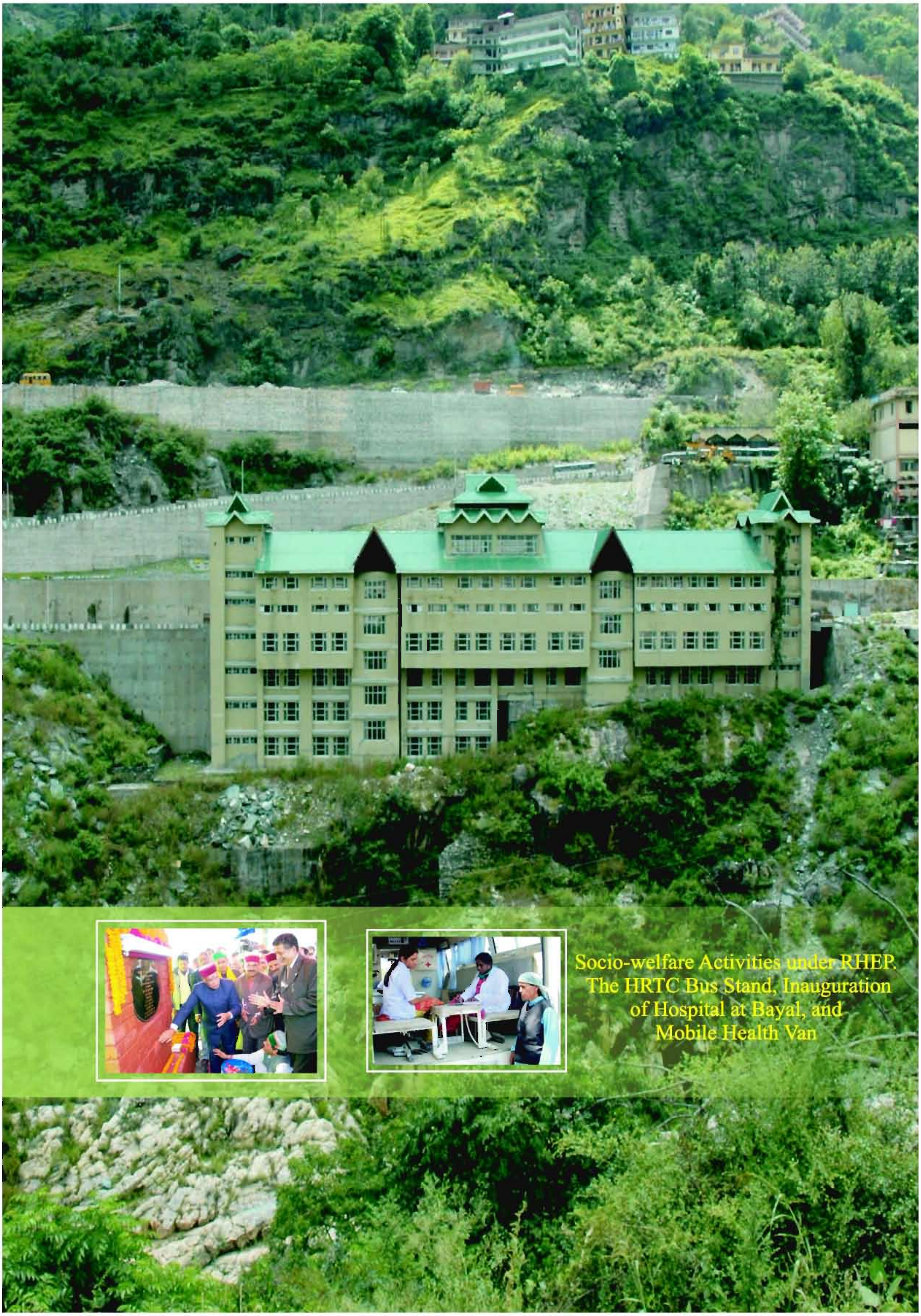

Socio-welfare Activities under RHEP. The HRTC Bus Stand, Inauguration of Hospital at Bayal, and Mobile Health Van

मुनाफागत हानि के लिए बीमा दावा

यह गत वर्ष की अवधि के लिए लेखागत किया गया है और 2005-06 के दौरान घटित बाढ़ के कारण हुई कारोबारी हानि से संबद्ध है।

अन्य

इसमें चालू वर्ष के दौरान निपटाए गए विवादित दावों के लिए गए ब्याज के अतिरिक्त प्रावधान के तौर पर चालू वर्ष के दौरान बट्टाकृत 22.27 करोड़ रुपए की राशि सम्मिलित है।

व्यय

गत वर्ष के 697.98 करोड़ रुपए की तुलना में पूर्व अवधि समायोजन सहित वर्ष के दौरान कुल व्यय 743.24 करोड़ रुपए था।

- 01.01.06/01.01.07 से लागू पारिश्रमिक संशोधन के लिए 24.49 करोड़ रुपए का प्रावधान ।
- टैरिफ अवधि 2004-2009 के लिए टैरिफगत अन्तर के कारण ऋणात्मक बिलिंग के लिए ग्राहकों को देय ब्याज में 56.20 करोड़ रुपए की वृद्धि।
- उस हानि, जिसके लिए पिछले वर्ष से पहले व्यय किया गया था, की एवज में बीमा दावे की राशि प्राप्त होने के कारण व्यय में 23.19 करोड़ रुपए की कमी होने की वजह से पिछले वर्ष के दौरान मरम्मत एवं अनुरक्षण पर कम व्यय।
- गत वर्षों से संबद्ध मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के प्रावधान और मूल्यह्रास प्रावधान को बट्टाकृत किए जाने की वजह से गत वर्ष के दौरान पूर्व अवधि व्यय के रूप में 45.39 करोड़ रुपए का अधिक व्यय।

कर पूर्व लाभ

पिछले वर्ष के 884.23 करोड़ रुपए की तुलना में चालू वर्ष के दौरान कर पूर्व लाभ 45% बढ़कर 1285.90 करोड़ रुपए हो गया।

कराधान के लिए प्रावधान

कंपनी को वित्तीय वर्ष 2004-05 से आयकर अधिनियम,1961 की धारा 80 आई.ए. के तहत कर अवकाश की सुविधा मिली हुई है। कंपनी चालू कर, आस्थगित कर, संपत्ति कर एवं आनुषंगिक लाभ कर का प्रावधान करती है। टैरिफगत विनियमनों के मुताबिक कंपनी बिजली उत्पादन के कारोबार से होने वाली आय पर देय वास्तविक कर की वसूली अपने ग्राहकों से और अन्य सभी कार्यकलापों से हुई आय पर कर का भुगतान कंपनी करती है। उपलब्ध सुविधाओं की वजह से कंपनी वर्तमान में न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) अदा कर रही है। पिछले वर्ष के 119.72 करोड़ रुपए की तुलना में चालू वर्ष के लिए कर का प्रावधान 270.58 करोड़ रुपए है। यह बढ़ोत्तरी वर्ष के लिए बढ़े हुए लाभ और चालू एवं गत वर्षों के लिए मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के प्रावधान पर उच्च कर प्रावधान के कारण हुई है।

कर पश्चात् लाभ

पिछले वर्ष के 764.51 करोड़ रुपए की तुलना में चालू वर्ष में कर पश्चात् लाभ 33% बढ़कर 1015.32 करोड़ रुपए हो गया।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां

कंपनी के पास पर्याप्त नियंत्रण प्रणालियां है तथा लेन-देन/प्रक्रियाएं अधिकारों के प्रत्यायोजन, प्रलेखित नीतियों, मार्ग-निर्देशों एवं संहिताओं से निर्देशित हैं। किसी सोपानात्मक स्तर विशेष पर संबद्ध संरचित प्राधिकार/दायित्व के संदर्भ में सुपरिभाषित सांगठनिक संरचना है।

सभी नियंत्रणों, संतुलनों एवं आंतरिक प्रणालियों की कार्यात्मकता सुनिश्चित करने के लिए सनदी लेखाकारों की एक फर्म द्वारा निगम के अपने आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग के साथ समन्वयन से नियमित आंतरिक लेखा-परीक्षा संपन्न की जाती है। लेखा परीक्षा की अभ्युक्तियां एवं की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्टें स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष रखी जाती है।

Insurance claim for loss of profit

This was accounted for during the previous year and pertains to the business loss due to floods occurred during 2005-06.

Others

Includes write-back of Rs. 22.27 cr. during the current year being the excess provision of interest against disputed claims settled during the current year.

EXPENDITURE:

The total expenditure including prior period adjustments for the year was Rs. 743.24 cr. as against Rs. 697.98 cr. for the previous year. Main reasons for increase are:-

- Provision of Rs.24.49 cr. for wage revision applicable from 01.01.06/01.01.07.
- Increase in interest of Rs. 56.20 cr. payable to customers for negative billing due to differential in tariff for the tariff period 2004-2009.
- Lower repairs & maintenance expenditure during the previous year due to reduction of Rs. 23.19 cr. on account of receipt of insurance claim against loss against which expenditure was incurred prior to the previous year.
- Higher prior period expenses of Rs. 45.39 cr. during the previous year on account of provision for Advance Against Depreciation and write-back of provision for depreciation relating to earlier years.

PROFIT BEFORE TAX:

Profit before tax for the current year was Rs. 1285.90 cr., an increase of 45 % over the profit before tax of Rs. 884.23 cr. for the previous year.

PROVISION FOR TAXATION:

The Company is availing tax holiday u/s 801 A of the Income-Tax Act, 1961 starting from FY 2004-05. The Company provides for current tax, deferred tax, wealth tax and fringe benefit tax. As per the tariff regulations, the Company recovers actual tax payment on income from generation business from its customers while the taxes on income from all other activities are borne by the Company. Due to the tax benefits available, the Company is currently paying Minimum Alternate Tax (MAT). The tax provision for the current year was Rs. 270.58 cr. as compared to Rs.119.72 cr. for the previous year. The increase is due to higher tax provision on increased profit for the year and on Advance Against Depreciation for the current year as well as earlier years.

PROFIT AFTER TAX:

Profit after tax for the current year was Rs. 1015.32 cr., an increase of 33% over the profit after tax of Rs.764.51 cr. for the previous year.

INTERNAL CONTROL SYSTEMS:

The Company has adequate control systems and the transactions/processes are guided by delegation of powers, documented policies, guidelines and manuals. The Organizational structure is well defined in terms of the structured authority/responsibility involved at a particular hierarchy level.

In order to ensure that all checks and balances are in place and internal control systems are in order, regular internal audit is conducted by firms of Chartered Accountants in close coordination with Company's own Internal Audit Department. Audit Observations and Action Taken Reports are placed before the Audit Committee headed by an Independent Director.

अनुलग्नक-क (संदर्भः पैरा 10(ख))

कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट

हमारे कारोबारी चलन में सभी स्टेकहोल्डरों द्वारा हमसे प्रत्याशित सर्वोत्तम कार्य व्यवहारों को अमलीजामा पहनाने के लिए एसजेवीएन सतत प्रयासरत रहता है। हालांकि, कंपनी वर्तमान में प्राइवेट लिमिटेड है और असूचीबद्ध है, लागू सीमा तक विषय संबंधी सूचना नीचे दी गई है:

1. निदेशक मण्डल

1.1 निदेशक मण्डल का आकार

एसजेवीएनएल कंपनी अधिनियम,1956 के खण्ड 617 के अर्थ में एक सरकारी कंपनी है। वर्तमान में भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य शेयर होल्डिंग 75:25 है। संस्थागत अन्तर्नियमों के मुताबिक निदेशकों की नियुक्ति भारत के राट्रपति करते हैं। निदेशक मण्डल के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 6 एवं अधिकतम 15 होगी, जिनमें सभी पूर्णकालिक एवं अंशकालीन निदेशक शामिल हैं।

1.2 निदेशक मण्डल की संरचना एवं कालावधि

31 मार्च,2009 को निदेशक मण्डल में 13 सदस्य थे, जिनमें 5 पूर्णकालिक निदेशक तथा भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में 5 अंशकालीन सरकारी निदेशक एवं 3 स्वतंत्र निदेशक थे।

सभी फंक्शनल निदेशक 5 वर्ष या अधिवर्षिता तक या आगामी अनुदेशों, जो भी पहले घटित हो, तक नियुक्त किए जाते हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित फंक्शनल (पूर्णकालिक) निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है। भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि सरकार द्वारा नामांकित निदेशक मंत्रालय/प्रशासनिक विभाग के अधिकारी रहने तक निदेशक मण्डल के सदस्य रहते हैं। स्वतंत्र निदेशक 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं।

1.3 निदेशक मण्डल की बैठकें

निदेशकों की बड़ी प्रतिभागिता की दृष्टि से निदेशक मण्डल की बैठकें आम तौर पर नई दिल्ली में आयोजित की जाती हैं। हालांकि, बैठकें शिमला एवं परियोजना स्थल पर आयोजित किए जाने के भी प्रयास किए जाते हैं।

वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल की 29 अप्रैल, 03 जून, 27 जून, 29 जुलाई, 30 अगस्त, 15 सितंबर, 30 अक्तूबर, 29 दिसंबर, 6 फरवरी, 20 फरवरी एवं 4 मार्च को 11 बैठकें आयोजित की गई। इस अवधि के दौरान किन्हीं भी दो बैठकें के बीच अधिकतम अंतराल 59 दिन था। वर्ष में निदेशक मण्डल की बैठकों की संख्या, निदेशकों की उपस्थिति, पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में उपस्थिति, निदेशकता/समिति सदस्यता आदि संबंधी विवरण निम्नवत् है :-

Annexure-A (Ref:para 10(b))

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

SJVN continusouly strive to bring the best practices expected of us by all the stake holders in the conduct of our business. Though, the company is a private limited and unlisted company as on date, to the extent applicable, the information on the subject is furnished as under:

1. Board of Directors

1.1 Size of the Board

SJVNL is a Government Company within the meaning of Section 617 of the Companies Act, 1956. The present share-holding is 75:25 between the Government of India and Government of Himachal Pradesh. As per Articles of Association, the power to appoint Directors vests with the President of India. The Strength of the Board shall not be less than 6 and not more than 15. These numbers include all whole-time, part-time Directors.

1.2 Composition & Tenure of the Board

As on 31st March 2009, the Board comprises of 13 members, consisting of 5 whole-time Directors; 5 part-time official-directors representing Government of India and Government of Himachal Pradesh and 3 Independent Directors.

All the Functional Directors are appointed for a period of 5 years or till superannuation or till further instructions whichever event occurs earlier. The age limit of the Functional (whole-time) Directors including Chairman & Mg. Director is 60. Government Nominee Directors representing Government of India and Government of Himachal Pradesh retire from the Board on ceasing to be officials of the Ministry/Administrative Department. Independent Directors are appointed for a period of 3 years.

1.3 Board Meetings

The Board Meetings are held normally at New Delhi to facilitate large participation of Directors. However, efforts are also made to hold the meetings at Shimla and also at Project.

During the year, 11 Board Meetings were held on 29th April, 03rd June, 27th June, 29th July, 30th August, 15th Sept, 30th Oct, 29th Dec, and 6th Feb, 20th Feb, and 4th Mar., The maximum interval between any two meetings during this period was 59 days. Details of number of Board Meetings, attendance of the Directors, attendance at last AGM, Directorships/Committee membership etc. for the year is stated as under:

BOARD MEETINGS

Sr. No.	Directors	Meetings held during respective tenure of Directors	No. of Board Meetings attended	Attendance at last AGM (20th) held on 30.08.2008	No. of other Directorship held on 31.03.09	No. of Committee memberships in other companies on 31.03.09	
						As Chairman	As Member
	Functional Directors						
1	Shri H.K. Sharma Chairman & Mg. Director	11	11	Yes	Nil	----	---
2	Shri J.K. Sharma Director (Civil)	11	11	Yes	Nil	---	---
3	Shri R.S. Katoch Director (Personnel)	11	11	Yes	Nil	---	---
4	Shri K.K. Garg Director (Finance)	11	11	Yes	Nil	---	---
5	Shri R.P. Singh Director (Electrical)	11	11	Yes	Nil	---	-
	Part Time Official Directors (Government Nominees)						
6	Shri Gurdial Singh Member (Hydro), CEA	11	7	Yes	3	1	---
7	Shri Rajesh Verma JS & FA, Ministry of Power	11	10	Yes	3	----	2
8	Shri J.S. Kawale JS (H), Ministry of Power	11	7	No	4	----	2
9	Shri Arvind Mehta Pr. Secy (Finance),GOHP.	11	8	Yes	8	---	---
10	Shri Ajay Mittal Pr. Secy (Power), GOHP	11	3	Yes	4	---	---
	Independent Directors						
11	Shri S.M. Lodha	10	8	No	4	---	---
12	Shri K.S. Sarma	10	9	Yes	2	2	---
13	Shri K.S. Gill	10	10	Yes	----	---	---

बोर्ड की बैठकें

क्र.सं.	निदेशक	निदेशकों की संबंधित कालावधि के दौरान हुई बैठकें	निदेशक मण्डल की बैठकों में उपस्थिति	30.08.2008 को हुई पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति	31.03.09 को धारित अन्य निदेशकताओं की संख्या	31.03.09 को अन्य कंपनियों में समिति सदस्यता की संख्या	
						अध्यक्ष के तौर पर	सदस्य के तौर पर
	फंक्शनल निदेशक						
1	श्री एच.के.शर्मा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	11	11	हाँ	शून्य	—	—
2	श्री जे.के.शर्मा निदेशक (सिविल)	11	11	हाँ	शून्य	—	—
3	श्री आर.एस.कटोच निदेशक (कार्मिक)	11	11	हाँ	शून्य	—	—
4	श्री के.के.गर्ग निदेशक (वित्त)	11	11	हाँ	शून्य	—	—
5	श्री आर.पी.सिंह निदेशक (विद्युत)	11	11	हाँ	शून्य	—	—
	अंशकालिक निदेशक (सरकार द्वारा नामांकित)						
6	श्री गुरदयाल सिंह सदस्य (हाइड्रो),सीईए	11	7	हाँ	3	1	—
7	श्री राजेश वर्मा संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, विद्युत मंत्रालय	11	10	हाँ	3	—	2
8	श्री जे.एस.कावले संयुक्त सचिव (एच), विद्युत मंत्रालय	11	7	नहीं	4	—	2
9	श्री अरविन्द मेहता, प्रधान सचिव(वित्त),हिमाचल प्रदेश सरकार	11	8	हाँ	8	—	—
10	श्री अजय मित्तल, प्रधान सचिव(विद्युत), हिमाचल प्रदेश सरकार	11	3	हाँ	4	—	—
	स्वतंत्र निदेशक						
11	श्री एस.एम.लोढा	10	8	नहीं	4	—	—
12	श्री के.एस.शर्मा	10	9	हाँ	2	2	—
13	श्री के.एस.गिल	10	10	हाँ	—	—	—

The HVOF coating workshop
established at NJHPS.
The damaged and repaired parts (inset)

1.4 कारपोरेट अभिशासन संहिता

एसजेवीएनएल द्वारा तैयार की गई कारपोरेट अभिशासन संहिता को निदेशक मण्डल ने 04.08.2009 को संपन्न हुई अपनी 182वीं बैठक में मंजूरी प्रदान की। संहिता की रचना डीपीई के मार्ग निर्देशों, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के अनुसचिवीय मानकों के आधार पर की गई है। इस संहिता में निदेशक मण्डल के समक्ष रखे जाने वाले मामले, लेखा परीक्षा समिति एवं अन्य समितियों अर्थात पारिश्रमिक समिति, निवेश समिति, शेयर आबंटन एवं हस्तांतरण समिति, अधिकार प्राप्त समिति के कार्य, दायित्व एवं अधिकार तथा वार्षिक रिपोर्ट में बताए जाने वाले मामले शामिल हैं। जन सामान्य के सूचनार्थ यह संहिता कंपनी की वेबसाइट में भी डाली गई है।

1.5 लेखा परीक्षा समिति

वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल के निम्नलिखित सदस्यों से युक्त एक समिति गठित की गई है। स्वतंत्र निदेशकों के शामिल होने पर निदेशक मण्डल ने 03.06.2008 को हुई अपनी 170वीं बैठक में समिति का पुनर्गठन किया। वित्तीय वर्ष के दौरान 29 अप्रैल 2008, 29 जुलाई 2008, 30 अक्तूबर 2008 एवं 06 फरवरी,2009 को लेखा परीक्षा समिति की चार बैठकें आयोजित की गई। लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थिति निम्नवत रही:-

क्र.सं.	निदेशक	निदेशकों की संबंधित अवधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति की संख्या
1	श्री जे.के.शर्मा, निदेशक (सिविल)	1	1
2	श्री राजेश वर्मा, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, विद्युत मंत्रालय	1	1
3	श्री अरविन्द मेहता, प्रधान सचिव (वित्त),हिमाचल प्रदेश सरकार	4	3
4	श्री एस.एम.लोढा	3	3
5	श्री के.एस.शर्मा	3	3

1.6 सीटिंग फीस

वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को सीटिंग फीस निम्नवत् अदा की गई :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	बोर्ड बैठक	लेखा परीक्षा समिति	अन्य बैठकें
1.	श्री एस.एम.लोढा	रु.80,000	रु.30,000	रु.60,000
2.	श्री के.एस.शर्मा	रु.90,000	रु.30,000	रु.10,000
3.	श्री के.एस.गिल	रु.1,00,000	–	रु.10,000

1.7 आचार संहिता

निदेशक मण्डल ने निदेशक मण्डल के सदस्यों और उप महाप्रबंधक स्तर से ऊपर के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता बनाई है।

निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबन्धन अधिकारियों ने 31 मार्च,2009 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है

(एच.के.शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

1.4 Code of Corporate Governance

SJVNL developed a Code of Corporate Governance which was approved by the Board in its 182nd Meeting held on 04th August 2009. The Code was formulated keeping in view the guidelines of the DPE, Secretarial Standards of the Institute of Company Secretaries of India. The Code consists of Matters to be placed before the Board, the functions, responsibilities and powers of the Audit Committee and other Committees, namely, Remuneration Committee, Investment Committee, Share Allotment and Transfer Committee, Empowered Committee and the matters to be stated in the Annual Report. The Code is also placed on the website of the Company for information of general public.

1.5 Audit Committee

During the year, the Audit committee was constituted with the following members of the Board. With the induction of the Independent Directors, the Board re-constituted the Committee in its 170th meeting held on 03rd June 2008. During the financial year, 4 (four) Audit Committee Meetings were held on 29th April 2008; 29th July 2008 30th October 2008 and 06th Feb 2009. The details of attendance in the Audit Committee are as under:

Sr. No.	Directors	Meetings held during respective tenure of Directors	No. of Meetings attended
1	Shri J.K. Sharma Director (Civil), SJVNL	1	1
2	Shri Rajesh Verma JS & FA, Ministry of Power	1	1
3	Shri Arvind Mehta Pr. Secy (Finance), Govt. of H.P.	4	3
4	Shri S.M. Lodha	3	3
5	Shri K.S. Sarma	3	3

1.6 Sitting Fees

The Sitting Fees paid to Independent Directors during the year is as under:

Sr. No.	Name of the Director	Board Meetings	Audit Committee	other meetings
1.	Shri S.M.Lodha	Rs.80,000	Rs.30,000	Rs.60,000
2.	Shri K.S.Sarma	Rs.90,000	Rs.30,000	Rs.10,000
3.	Shri K.S.Gill	Rs.1,00,000	--	Rs.10,000

1.7 Code of Conduct

The Board of Directors has laid down Code of Conduct for Board Members and Senior Management above the level of Deputy General Manager.

All the Members of the Board and Senior Management personnel have affirmed compliance of the Code of Conduct for the financial year ended 31st March 2009.

(H.K.Sharma)
Chairman & Managing Director

अनुलग्नक-क (संदर्भः पैरा 10(ग))

कंपनी नियम (1988) के अन्तर्गत अपेक्षित विवरण (निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में विवरण का उल्लेख)

1. ऊर्जा संरक्षण

एनजेएचपीएस में इसकी टाऊनशिप एवं कार्यालयों की जलगत जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले यह व्यवस्था 2 x 120 हार्सपावर विद्युत चालित पंपों के जरिए एक खड्ड में से की जाती है। वर्तमान में इस व्यवस्था को बदलकर वाल्व हाऊस चैम्बर के सीपेज पानी का उपयोग करके ग्रेविटी जल आपूर्ति योजना द्वारा पानी की व्यवस्था की जा रही है। संपूर्ण जल आपूर्ति अब 40 एचपी के मात्र एक विद्युत चालित पंप के जरिए हो जाने से प्रतिवर्ष 6.57 लाख यूनिट बिजली की (लगभग 30 लाख रुपए राशि की) भारी बचत हो रही है।

बिजली की खपत में बचत के और उपाय तलाशने के लिए ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो के जरिए विद्युत लेखा परीक्षा चल रही है। कार्यालयों/टाऊनशिप में इनकैन्डेसेंट लैपों की जगह सीएफएल लैंप/किफायती ट्यूबें लगाना एक अनवरत प्रक्रिया है।

2. प्रौद्योगिकी अंगीकरण

विद्युत उत्पादन इकाईयों में अपरदन इतना भारी हुआ कि अपरदित कल-पुर्जों को बदलने के लिए इनमें से अधिकांश को अगस्त/सितम्बर में बन्द करना पड़ा। परिणामतः विद्युत उत्पादन की हानि हुई। काफी अनुसंधान के बाद सिल्ट अपरदन की समस्या को न्यूनतम करने के लिए एचवीओएफ कोटिंग करना एक समाधान के रूप में सामने आया। तदनुसार, इस पर चरणबद्ध तरीके से अमल किया गया, जिससे विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई और अनुरक्षण व्यय भी काफी कम हो गया। अब सीईए ने भी देश में बनने वाली जलविद्युत परियोजनाओं में इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

समय बचाने और हार्ड कोटिंग के लिए ठेके के जरिए टरबाईनों के कल-पुर्जे परियोजना क्षेत्र से बाहर ले जाने की लागत को बचाने के लिए कंपनी ने परियोजना स्थल पर ही हार्ड कोटिंग सुविधा सफलतापूर्वक संस्थापित करके चालू कर दी है। हार्ड कोटिंग का कार्य करने के लिए छह एक्सिस रोबोट का इस्तेमाल करने की यह नवीनतम प्रौद्योगिकी है और इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वाला देश का यह पहला जल विद्युत स्टेशन है।

3. विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय

वर्ष के दौरान कोई विदेशी मुद्रा विनिमय नहीं हुआ। विदेशी मुद्रा ऋणों पर ब्याज, ठेकेदारों को अदायगी एवं उपस्करों के आयात इत्यादि पर 125.87 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा व्यय की गई।

अनुलग्नक-क (संदर्भः पैरा 10(घ))

कंपनी अधिनियम,1956 के खण्ड 217(2ए) के अनुसरण में कर्मचारी संबंधी विवरण

31 मार्च,2009 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के खण्ड 217(2ए) के अंतर्गत सूचना शून्य है।

Annexure-A (Ref:para 10(c))

PARTICULARS REQUIRED UNDER THE COMPANIES (DISCLOSURE OF PARTICULARS IN THE REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS) RULES 1988

1. CONSERVATION OF ENERGY

In NJHPS, in order to meet the requirement of water in its township and offices, earlier the same was being lifted from a khad by using 2 x 120 HP electric driven pumps. Recently, the scheme has been replaced by Gravity water supply scheme utilizing the seepage water in the Valve House Chamber. The entire water supply scheme now requires only one no. 40 HP electric driven pump resulting substantial energy conservation to the tune of 6.57 lac units per year amounting to Rs. 30 lacs approx.

Energy audit through Bureau of Energy Efficiency to identify more energy conservation measures is in process. Replacement of incandescent lamps with CFL lamps/energy efficient tubes at offices/ Township is a continuous process.

2. TECHNOLOGY ABSORPTION

The extent of erosion was so severe that most of the generating units had to be shut down in August/September 2004 to replace the eroded components leading to loss of generation. After lot of research HVOF coating was one of the solutions to minimise the problem of silt erosion. Accordingly, the same was implemented in a phased manner which was successful leading to increase in generation and considerable saving in terms of maintenance cost. Now CEA has also issued guidelines to use this technology in the upcoming hydro projects in the country.

To overcome the time, costs of transportation of turbine components for hard coating through contract out side the project area, the company has successfully installed and commissioned Hard coating facility at Project site. This is the latest and "*state of art*" technology using six axis robot for carrying out the hard coating job and the First Hydro Station in the country to use this technology.

3. FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

There were no foreign exchange earnings during the year. The total foreign exchange outgo during the year was Rs.125.87 crore on account of interest on foreign currency loans, payment to contractors and import of equipment etc.

Annexure-A (Ref. para 10 (d))

PARTICULARS OF EMPLOYEES PURSUANT TO SECTION 217(2A) OF THE COMPANIES ACT 1956

The information under Section 217(2A) of the Companies Act, 1956, for the year ending 31st March, 2009 is nil.

अनुलग्नक - 'ख'

आर.बंसल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में
सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड
के सदस्यों को लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

1. हमने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के 31 मार्च,2009 को समाप्त वर्ष के सलंग्न तुलन-पत्र एवं इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते तथा कैश-फ्लो स्टेटमेंट की लेखा-परीक्षा की है और हमारी रिपोर्ट यह है कि इन वित्तीय विवरणों का दायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। हमारा दायित्व इन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर अपना मत प्रकट करने का है।

2. हमने अपनी लेखा परीक्षा, भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की है । उन मानकों में अपेक्षित है कि हम लेखा परीक्षा का नियोजन तथा निष्पादन यह औचित्यपूर्ण आश्वासन लेने के लिए करें कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण अयथार्थ विवरणों से मुक्त हैं। लेखा परीक्षा में परीक्षण आधार पर राशि का समर्थन करने वाले साक्ष्य तथा वित्तीय विवरणों का खुलासा करते हुए जाँच करना शामिल होता है । प्रयोग में लाए गए लेखा सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करना तथा साथ ही साथ समग्र रूप से वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी लेखा परीक्षा में शामिल होता है । हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट हमारे मत के लिए एक औचित्यपूर्ण आधार प्रदान करती है।

3. चूंकि कंपनी विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम,2003 के तहत नियंत्रणाधीन है, अतः इसके नियमों के साथ पठित इस अधिनियम के प्रावधान (जहां कहीं भी ये कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों से असंगत है) लागू हुए हैं।

4. कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 227 (4-ए) के अनुसार भारत सरकार द्वारा कंपनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) (संशोधित) आदेश 2004 के साथ पठित कंपनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2003 द्वारा यथा अपेक्षित हम उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में विनिर्दिष्ट विषयों संबंधी विवरण संलग्न कर रहे हैं।

5. **हम निम्नलिखित की ओर ध्यान दिलाते हैं :**

i) **अनुसूची 20 में नीति सं 3.1**

विषयः उन मामलों में अचल परिसंपत्तियों के अंतिम मूल्य का निर्धारण, जिनमें ठेकेदारों के बिलों का निबटान लंबित/विवादाधीन है। समायोजन के प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

ii) **अनुसूची-20 में टिप्पण सं. 16(*i*) से 16(*ii*)**

विषयः लेखागत नीतियों में बदलाव और इनका प्रभाव निम्नवत् है:- लाभ में रु.2957 लाख की वृद्धि, ईडीसी में रु.2043 लाख की वृद्धि, मूल्यह्रास में रु.5262 लाख की कमी तथा मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय में रु.262 लाख की वृद्धि।

Annexure – 'B'

R. Bansal & Co.
Chartered Accountants
AUDITORS' REPORT

To,
The Members,
Satluj Jal Vidyut Nigam Limited,

1. We have audited the attached Balance Sheet of Satluj Jal Vidyut Nigam Ltd. as at 31st March, 2009, Profit & Loss Account and the Cash Flow Statement for the year ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express on opinion on these financial statements based on our audit.

2. We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit report provides a reasonable basis for our opinion.

3. As the Electricity Act, 2003, governs the Company, the provisions of the said Act read with the rules there under have prevailed wherever the same have been inconsistent with the provisions of the Companies Act, 1956.

4. As required by the Companies (Auditors' Report) Order 2003, read with Companies (Auditors' Report) (Amendment) Order, 2004 issued by the Government of India in terms of Section 227 (4A) of the Companies Act, 1956, we enclose in the Annexure, a statement on the matters specified in paragraphs 4 and 5 of the said order.

5. **We draw attention to:**

i) **Policy No.3.1 of Schedule-20**

Reg.: Determination of final value of fixed assets in cases where final settlement of bills with the contractors is pending/under dispute. The impact of adjustments is not ascertainable.

ii) **Note No.16 (i) and 16(ii) of Schedule-20**

Reg.: Change in Accounting Policies and impact thereof is as under:
Increase in profit by Rs 2957 lakh, Increase in EDC by Rs. 2043 lakh, Decrease in depreciation by Rs. 5262 lakh and Increase in Repair and Maintenance expenses by Rs.262 lakh

6. उक्त पैरा 5 तथा तुलन-पत्र के अंग के रूप में लेखागत टिप्पणियों में हमारी दी गई टिप्पणियों के अतिरिक्त हमारी रिपोर्ट यह है कि :

क) हमारे द्वारा सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए गए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे।

ख) हमारी राय में कंपनी ने कानून के अनुसार अपेक्षित लेखा बहियाँ रखी हैं, ऐसा हमारे द्वारा कंपनी की बहियों की जाँच से पता चलता है।

ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा कैश फ्लो विवरण लेखा-बहियों के अनुरूप हैं।

घ) हमारे अपने विचार से तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार इस रिपोर्ट के तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा कैश-फ्लो विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3सी) में वर्णित प्रयोज्य सीमा तक लेखा-मानकों के अनुरूप हैं।

ड.) कंपनी मामलों के मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्तूबर, 2003 की अपनी अधिसूचना सं.एफ.नं.8/5/2001-सीएल. वी. के माध्यम से यह अधिसूचित किया है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग 274(1)(जी) के प्रावधान किसी सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

च) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441 ए के अंतर्गत देय अधिभार राशि का केन्द्र सरकार ने निर्धारण नहीं किया है, यह राशि जमा करवाने के विषय में कंपनी की नियमितता या अन्यथा स्थिति के बारे में हम कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं।

छ) हमारे विचार से तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुरूप, लेखा नीतियों (जो कि लेखों का भाग है) के साथ पठित उक्त लेखा, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी ढंग से देते हैं तथा लेखा सिद्धांतों (जो कि भारत में सामान्यतः स्वीकार्य हैं) के अनुसार स्पष्ट एवं सही दृश्य प्रस्तुत करता है:

i) कंपनी के कामकाज संबंधी मामलों के दिनांक 31 मार्च, 2009 के तुलन-पत्र के संबंध में और

ii) उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ के विषय में लाभ एवं हानि खाते के संबंध में।

iii) उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो के संबंध में कैश फ्लो विवरण।

कृते आर.बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

(आर.एस. बंसल)
भागीदार
सदस्यता सं.013000

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 4 अगस्त, 2009

6. Further to our comments in para 5 above and Notes on Accounts forming part of Balance Sheet, we report that:

a. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

b. In our opinion, the Company as required by Law, has kept proper books of account so far as appears from our examination of books of the Company.

c. The Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

d. In our opinion and to the best of our information, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the Accounting Standards referred to in Section 211 (3C) of the Companies Act, 1956, to the extent applicable.

e. The Ministry of Companies Affairs vide their Notification No. F. No.8/5/2001-CL.V dated 21st October 2003 has notified that provision of Section 274 (I) (g) of the Companies Act, 1956, shall not apply to a Government Company.

f. The Central Government has not prescribed the amount of cess payable under Section 441A of the Companies Act, 1956, we are not in a position to comment upon the regularity or otherwise of the Company in depositing the same.

g. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts read together with the Accounting Policies and Notes thereon forming part of accounts, give the information required by the Companies Act, 1956 in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

i. In the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2009.

ii. In the case of the Profit & Loss Account, of the profit of the Company for the year ended on that date, and

iii. In case of cash flow statement, of the cash flow for the year ended on that date.

For R.Bansal & Co.
Chartered Accountants

(R.S.Bansal)
Partner
Membership No 013000

Place: New Delhi
Date : 4th August, 2009

दिनांक 31 मार्च,2009 को समाप्त वर्ष से संबंधित सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के खातों संबंधी लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध।

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के पैरा-4 में निर्दिष्ट

(i) (क) कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों के मात्रात्मक एवं इनके स्थान संबंधी जानकारी सहित पूर्ण जानकारी दर्शाने वाले माकूल रिकार्ड रखे हैं।

(ख) हमें सूचित किया गया है कि अचल परिसंपत्तियों का वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया गया है। हमारे विचार से सत्यापन की आवृत्ति तर्कसंगत है। प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना के अनुसार वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित की गई अचल परिसंपत्तियों के संबंध में बही रिकार्ड की तुलना में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं पाई गई है।

(ग) वर्ष में परिसंपत्तियों के किसी पर्याप्त हिस्से का निपटान नहीं किए जाने के कारण वित्तीय विवरण तैयार करने की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ii) (क) प्रबंधन द्वारा संपत्ति-सूची का यथोचित अंतरालों पर प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया गया है।

(ख) हमारी राय में प्रबंधन वर्ग द्वारा सामग्री की प्रत्यक्ष जाँच की अपनायी गयी प्रक्रिया, कंपनी के फैलाव तथा इसके व्यवसाय के स्वरूप को देखते हुए औचित्यपूर्ण एवं पर्याप्त है।

(ग) कंपनी संपत्ति सूची का उचित रिकार्ड रख रही है। संपत्ति सूची के भौतिक सत्यापन के समय पाई गई कमियों का लेखा बहियों में उचित ढंग से निपटान किया गया है।

(iii) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर के तहत शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से/को कंपनी ने कोई प्रतिभूति प्राप्त या गैर-प्रतिभूति प्राप्त ऋण न तो लिए हैं और न ही इस प्रकार के ऋण स्वीकृत किए हैं। इसके परिप्रेक्ष में आदेश के अनुच्छेद 4 का खंड iii लागू नहीं होता।

(iv) हमारी राय में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों एवं सूचना के अनुसार संपत्ति सूची की मदों तथा अचल परिसंपत्तियों की खरीद तथा बिजली एवं सेवाओं की बिक्री के लिए कंपनी के आकार तथा बिजनेस के स्वरूप के अनुरूप कंपनी के पास सामान्यतः पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण है। आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई बड़ी कमी नहीं है।

(v) हमें दी गई सूचना के अनुसार पाँच लाख रुपए से अधिक की राशि का कोई भी सौदा नहीं हुआ है, जिसकी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अनुरूप रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी आवश्यक है।

(vi) कंपनी ने जनता से किसी भी प्रकार की जमाराशियाँ प्राप्त नहीं की हैं। परिणामस्वरूप, कंपनी पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58-क एवं 58-क-क और कंपनी (जमाराशि स्वीकार करना) नियम, 1975 के प्रावधान लागू नहीं होते।

ANNEXURE TO THE AUDITORS REPORT ON THE ACCOUNTS OF SATLUJ JAL VIDYUT NIGAM LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2009.

Referred to in para 4 of our report of even date.

(i) (a) The Company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of fixed assets.

(b) We are informed that the fixed assets have been physically verified by the management during the year. In our opinion the frequency of verification is reasonable. As per the information given to us by the management, no material discrepancies as compared to book records were noticed in respect of fixed assets physically verified during the year.

(c) Since there is no disposal of a substantial part of fixed assets during the year, the preparation of financial statements on a going concern basis is not affected on this account.

(ii) (a) The inventory has been physically verified by the management at reasonable intervals.

(b) In our opinion, the procedure of physical verification of inventories followed by management are reasonable and adequate in relation to the size of the Company and the nature of its business.

(c) The Company is maintaining proper records of inventory. The discrepancies noticed on physical verification of inventories, wherever material, have been properly dealt within the books of account.

(iii) The Company has neither granted nor taken any loans, secured or unsecured, to/from Companies, firms or other parties covered in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956. Accordingly, clause iii of paragraph 4 of the Order is not applicable.

(iv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, in general there is an adequate internal control procedure commensurate with the size of the Company and the nature of its business for the purchase of inventories, fixed assets and for the sale of power and services. There is no major weakness in internal control systems.

(v) As informed to us, there is no transaction exceeding rupees five lacs, which need to be entered in a register in pursuance of section 301 of the Companies Act, 1956.

(vi) The Company has not accepted any deposits from the public and consequently the provisions of section 58A and 58AA of the Companies Act, 1956 and the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975 are not applicable.

(vii) यद्यपि कंपनी का अपना आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग है तथा कुछ क्षेत्रों की लेखा परीक्षा सनदी लेखाकारों की फर्म द्वारा भी कराई जाती है। तथापि, इसमें सम्मिलित किए गए कार्य का क्षेत्र, रिपोर्टिंग प्रणाली एवं तत्संबंधी अनुपालन और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है।

(viii) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(घ) के अंतर्गत अपेक्षित लागत संबंधी रिकार्ड रखे हैं। यद्यपि, ये रिकार्ड सही एवं पूर्ण हैं, यह तय करने के लिए हमने इनकी विस्तृत जाँच नहीं की है।

(ix) क) कंपनी ने छोटे-मोटे ठेकेदारों के श्रम संबंधी मामलों (जहाँ प्राधिकारियों द्वारा पी.एफ. कोड का आबंटन नहीं किया गया है) को छोड़कर भविष्य निधि, आयकर, संपत्ति कर, सेवा कर, बिक्री कर सहित सभी प्रकार के गैर-विवादित सांविधिक देय तथा 95.68 लाख रुपए की अनुसंधान एवं विकासगत अधिभार कर देयता प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा कराए हैं। हमें बताया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड के मुताबिक यथोचित प्राधिकारियों के समक्ष लंबित विवादित मामलों के संबंध में उठाई गई निम्नलिखित मांगों को छोड़कर कंपनी के रिकार्ड के अनुरूप लेखा बहियों में आय कर/बिक्री कर/संपत्ति कर/ सेवा कर/ सीमा-शुल्क/आबकारी कर/अधिभार के लिए कोई विवादित बकाया शेष नहीं है।

अधिनियम का नाम	देयता का स्वरूप	राशि (लाख रु. में)	जिस फोरम में मामला लंबित है
केन्द्रीय आबकारी अधिनियम, 1944	आबकारी शुल्क दंड	1.00	सीईएसटीएटी
सेवा कर अधिनियम	सेवा कर	1236	उत्पाद एवं सेवा कर आयुक्त, चण्डीगढ़

(x) वित्तीय वर्ष के अन्त में कंपनी को कोई संचित घाटा नहीं हुआ है। हमारे द्वारा लेखा परीक्षित वर्ष तथा इससे पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को कोई नकद घाटा नहीं हुआ है।

(xi) रिकार्डों के सत्यापन के आधार पर तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय संस्थाओं या बैंकों को देय के पुनर्भुगतान में कंपनी ने किसी भी प्रकार की चूक नहीं की है।

(xiii) हमारे द्वारा प्रयुक्त लेखा परीक्षा की प्रविधियों के आधार पर और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने शेयर, डिबेंचर्स तथा अन्य प्रतिभूतियाँ गिरवी रखकर प्रतिभूतियों के आधार पर कोई ऋण या अग्रिम राशियां स्वीकृत नहीं की हैं।

(xiii) कंपनी किसी भी प्रकार की चिटफण्ड या निधि या म्युच्युअल बेनिफिट फण्ड/सोसायटी नहीं है। अतः कंपनी (लेखा-परीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2003 के खण्ड 4 (xiii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

(vii) Although the Company has an Internal Audit department and also some of the areas got audited by firms of Chartered Accountants, scope of work covered, reporting system, compliance thereof need to be further strengthened.

(viii) In our opinion and as informed to us, the Company has maintained cost records as required under Section 209 (1) (d) of the Companies Act, 1956. We have not, however, made detailed examination of the records with a view to determine whether they are accurate and complete.

ix) a) Undisputed statutory dues including Provident Fund, Income Tax, Wealth Tax, Service Tax, Sales Tax and any other statutory dues have been generally deposited by the Company in time with appropriate authorities except in the cases of petty contractors' labour where P.F. Code has not been assigned by the appropriate authorities and R&D Cess tax liability of Rs. 95.68 lakh. We have been informed that the provisions of Employees' State Insurance are not applicable to the Company.

b) According to the information and explanation given to us,as per records of the Company, there are no disputed dues outstanding in the books of account for income tax /sales tax /wealth tax / service tax / custom duty / excise duty /cess except for the following demands raised on disputed matters pending before appropriate authorities:

Name of Statue	Nature of the Dues	Amount (Rs. In Lacs)	Forum where dispute is pending
The Central Excise Act 1944	Excise Duty Penalty	1.00	CESTAT
The Service Tax Act	Service Tax	1236	Commissioner Excise & Service Tax, Chandigarh

(x) The Company does not have any accumulated losses at the end of the financial year. The Company has not incurred any cash loss during the year covered by our audit and in the immediately preceding financial year.

(xi) On the basis of verification of records and according to the information and explanations given to us, the Company has not defaulted in repayment of dues to financial institutions / banks.

(xii) Based on the audit procedures applied by us and information and explanation provided to us, the Company has not granted loans and advances on the basis of securities by way of pledge of shares and debentures and other securities.

(xiii) The Company is not a chit fund or a nidhi or mutual benefit fund/society. Therefore the provision of clause 4(xiii) of the Companies (Auditors' Report) Order, 2003 are not applicable to the Company.

(xiv) कंपनी किसी भी प्रकार के शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचर्स तथा अन्य निवेशों का कार्य नहीं करती है।

(xv) किसी भी के द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के संबंध में कंपनी ने किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं दी है।

(xvi) सावधि ऋणों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है, जिसके लिए ये ऋण लिए गए थे।

(xvii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों और कंपनी के तुलन-पत्र के समूचे मुआयने के अनुसार हमारी यह रिपोर्ट है कि अल्पावधि आधार पर जुटाई गई किसी भी निधि का उपयोग दीर्घावधि निवेश हेतु नहीं किया गया है।

(xviii) कंपनी अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में सम्मिलित कंपनियों तथा पार्टियों को कंपनी ने शेयरों का किसी भी प्रकार का अधिमान आबंटन नहीं किया है।

(xix) कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार के डिबेंचर्स जारी नहीं किए गए हैं। अतः तत्संबंधी किसी भी प्रकार की प्रतिभूति अथवा चार्ज निर्मित नहीं किया गया है।

(xx) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी पब्लिक इश्यू नहीं निकाला गया।

(xxi) हमारे द्वारा की गई जाँच के दौरान तथा प्रबंधन वर्ग के प्रतिवेदन के अनुसार समीक्षाधीन रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी न तो पाई गई है और न ही इसकी सूचना दी गई है।

कृते आर.बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

(आर.एस.बंसल)
भागीदार
सदस्यता सं.013000

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 04 अगस्त,2009

(xiv) The Company is not dealing or trading in shares, securities, debentures and other investments.

(xv) The Company has not given any guarantee for loans taken by others from banks or financial institutions.

(xvi) The term loans were applied for the purpose of which the loans were obtained.

(xvii) According to the information and explanations given to us and on an overall examination of the balance sheet of the Company, we report that no funds raised on short-term basis have been used for long-term investment.

(xviii) The Company has not made any preferential allotment of shares to parties and Companies covered in the register maintained under section 301 of the Companies Act.

(xix) The Company has not issued debentures and hence no securities have been created in respect thereof.

(xx) No public issue was made by the Company during the year.

(xxi) During the checks carried out by us and as per management representation, no fraud on or by the Company has been noticed or reported during the year under report.

For R.Bansal & Co.
Chartered Accountants

(R.S.Bansal)
Partner
Membership No.013000

Place : New Delhi
Date : 4th August, 2009

अनुलग्नक - 'ग'
Annexure – 'C'

कम्पनी के वर्ष 2008-09 के वार्षिक लेखों के संबंध में सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के संबंध में प्रबंधन वर्ग के उत्तर

MANAGEMENTS'S REPLY ON STATUTORY AUDITORS QUALIFICATIONS ON ANNUAL ACCOUNTS OF THE COMPANY FOR THE YEAR 2008-09

सांविधिक लेखा–परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों की अनुसूची–20 के नीति क्र. 3.1 एवं नोट सं 16(i) एवं 16(ii) के प्रति ध्यान आकर्षित किया है।

नीति सं.3.1 के तहत उन मामलों में अचल परिसंपत्तियों के अंतिम मूल्य के निर्धारण का आधार स्पष्ट किया गया है, जहाँ ठेकेदारों के बिलों का अंतिम रूप से निपटान अभी लंबित/विवादाधीन है। इसे लेखा संबंधी नीति के मुताबिक लेखागत किया गया है।

नोटः सं 16(i) एवं 16(ii) में यथा आवश्यक अपेक्षित है, लेखा नीतियों और उनके प्रभावों के विषय में बताया गया है।

The Statutory Auditors in their Report at Para-5 have drawn attention to policy No.3.1 and Note No.16(i) and 16(ii) of Schedule-20 forming part of the Annual Accounts.

The Policy No. 3.1 explains the basis of determination of final value of fixed assets in cases where final settlement of bills with the contractors is pending/under dispute. Accounting treatment has been carried out as per the Accounting Policy.

Note No. 16(i) & 16(ii) discloses the changes in the Accounting Policies and impact thereof as required mandatorily.

अनुलग्नक - 'घ'
Annexure – 'D'

दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, शिमला के लेखों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619 (4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE ACCOUNTS OF SATLUJ JAL VIDYUT NIGAM LIMITED, SHIMLA FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2009

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, शिमला का दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष का वित्तीय विवरण तैयार करने का दायित्व कंपनी पर है। भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 619(2) के तहत नियुक्त सांविधिक लेखा–परीक्षक कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी व्यावसायिक संस्था दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकांउटैंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा एवं आश्वासन मानकों के अनुसार की गई स्वतंत्र लेखा–परीक्षा के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के प्रति जिम्मेवार है। यह सूचित किया गया है कि उन्होंने यह कार्य दिनांक 04 अगस्त, 2009 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार निष्पादित कर दिया है।

भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैंने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अनुसार सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, शिमला के दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा–परीक्षा संपन्न की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा–परीक्षकों की टिप्पणियों का संदर्भ लिए बिना स्वतंत्र रूप से संपन्न की गई है और यह प्राथमिक तौर पर सांविधिक लेखा–परीक्षकों तथा कंपनी के कर्मचारियों की पूछताछ और कुछ लेखापरक रिकार्ड की चुनिंदा जांच तक सीमित है। मेरे द्वारा संपन्न लेखा–परीक्षा से मेरी जानकारी में ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य उदघाटित नहीं हुआ है, जो सांविधिक लेखा–परीक्षकों की कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 619(4) के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट पर किसी टिप्पणी या अनुपरकता का रूप ले सकें।

भारत के लेखा नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक के लिए
एवं उनकी ओर से

ग़ज़ाला मीनाई

(गज़ाला मीनाई)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा–परीक्षा एवं
पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–III
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 अगस्त, 2009

The preparation of financial statements of Satluj Jal Vidyut Nigam Limited, Shimla, for the year ended 31 March, 2009 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 1956, is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 619(2) of the Companies Act, 1956, are responsible for expressing opinion on these financial statements under Section 227 of the Companies Act, 1956, based on independent audit in accordance with the auditing and assurance standards prescribed by their professional body, the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 04 August, 2009.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under Section 619(3) (b) of the Companies Act, 1956, of the financial statements of Satluj Jal Vidyut Nigam Limited, Shimla, for the year ended 31 March, 2009. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditors' report under Section 619(4) of the Companies Act, 1956.

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Ghazala Meenai

(Ghazala Meenai)
Principal Director of Commercial Audit &
Ex-officio Member, Audit Board - III
New Delhi

Place : New Delhi
Dated : 27 August, 2009

31 मार्च,2009 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2009

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	अनुसूची सं. Schedule No	31 मार्च,2009 की स्थिति As at 31st March, 2009		31 मार्च,2008 की स्थिति As at 31st March, 2008
निधियों के स्रोत				
SOURCES OF FUNDS				
शेयरधारकों की निधियाँ				
SHAREHOLDERS' FUNDS				
शेयर पूंजी				
Share Capital	1	410,881		410,881
आरक्षित एवं अधिशेष				
Reserves and Surplus	2	193,853		129,759
			604,734	540,640
ऋण निधियाँ				
LOAN FUNDS				
प्रतिभूति सहित ऋण				
Secured Loans	3	130,751		171,093
प्रतिभूति रहित ऋण				
Unsecured Loans	4	83,493		30,915
			214,244	202,008
अग्रिम के रूप में हुई आय				
INCOME RECEIVED IN ADVANCE				
(मूल्यहास के लिए अग्रिम)				
(Advance Against Depreciation)			84,935	70,480
योग				
Total			903,913	813,128
निधियों का उपयोग				
APPLICATION OF FUNDS				
अचल परिसंपत्तियाँ				
FIXED ASSETS	5			
सकल ब्लाक				
Gross Block		862,455		845,184
घटाएँ: मूल्यहास				
Less: Depreciation		130,511		112,438
निवल ब्लाक				
Net Block		731,944		732,746
चालू पूंजीगत कार्य				
Capital Works In Progress	6	56,922		26,098
पूंजीगत कार्यों के लिए अग्रिम				
Advances for Capital Works	7	15,599		6,155
निर्माण भण्डारण एवं स्पेयर्स				
Construction Stores and Spares	8	63		66
			804,528	765,065
निवेश				
INVESTMENTS	9		----	----
आस्थगित कर				
DEFERRED TAX				
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)				
Deferred Tax Assets (Net)		26,636		(223)
घटाएँ: देय				
Less: Payable		26,636		(223)
			----	----

31 मार्च,2009 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2009

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	अनुसूची सं. Schedule No	31 मार्च,2009 की स्थिति As at 31st March, 2009		31 मार्च,2008 की स्थिति As at 31st March, 2008
चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम				
CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES	10			
संपत्ति सूची Inventories		5,585		5,363
विविध कर्जदार Sundry Debtors		36,318		11,609
रोकड़ एवं बैंक अधिशेष Cash and Bank Balances		127,144		69,360
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ Other Current Assets		8,257		3,286
ऋण एवं अग्रिम Loans and Advances		46,246		66,626
		223,550		**156,244**
घटाएँ:चालू देयताएँ एवं प्रावधान				
Less: CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS				
देयताएँ Liabilities	11	49,823		54,274
प्रावधान Provisions	12	74,342		53,907
		124,165		**108,181**
निवल चालू परिसंपत्तियाँ **Net Current Assets**			**99,385**	**48,063**
योग **Total**			**903,913**	**813,128**

लेखा संबंधी नीतियाँ, लेखागत अनुसूचियां
1 से 20 संबंधी टिप्पण लेखों का एक अभिन्न अंग है।
Accounting Policies & Notes on Accounts — 20
Schedules 1 to 20 form integral part of accounts

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते आर.बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
As per our report of even dated attached
For R. Bansal & Co.
Chartered Accountants

आर.एस.बंसल भागीदार R.S. Bansal Partner M.No.013000	पी.एस.आर.मूर्ति कंपनी सचिव P.S.R.Murthy Company Secretary	के.के. गर्ग निदेशक (वित्त) K.K.Garg Director (Finance)	हेमंत कुमार शर्मा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक H.K. Sharma Chairman & Managing Director

स्थान : नई दिल्ली
Place: New Delhi
दिनांक 4 अगस्त, 2009
Date : 4th August, 2009

31 मार्च,2009 की स्थिति के अनुसार लाभ एवं हानि लेखा विवरण
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2009

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	अनुसूची सं. Schedule No	31 मार्च,2009 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended 31st March, 2009		31 मार्च,2008 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended 31st March, 2008	
आय **INCOME**					
बिक्री **SALES**	13	188,660		150,426	
घटाएँ: Less:					
टैरिफ समायोजन Tariff Adjustment		(1,754)		6,456	
मूल्यहास के प्रति अग्रिम Advance Against Depreciation:					
- चालू वर्ष - Current Year		20,024		18,936	
- गत वर्षों हेतु समायोजन - Adjustments for earlier years		(5,569)	175,959	----	125,034
अन्य आय **OTHER INCOME**	14		26,965		33,187
योग **Total**			**202,924**		**158,221**
व्यय **EXPENDITURE**					
उत्पादन प्रशासन व अन्य व्यय Generation , Administration and Other Expenses	15		17,135		10,643
मूल्यहास Depreciation			23,325		25,981
पिछले वर्षों के रिट्टन बैक के लिए मूल्यहास प्रावधान Depreciation provision of earlier years written back			----		(50,693)
प्रावधान एवं राइट बैक (शुद्ध) Provisions and Write Back (Net)	16		823		15
ब्याज एवं वित्त प्रभार Interest and Finance Charges	17		33,249		28,818
योग **Total**			**74,532**		**14,764**
कर से पहले लाभ तथा पूर्व अवधि समायोजन **Profit Before Tax and Prior Period Adjustments**			128,392		143,457
पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध) Prior Period Adjustments(Net)	18		(198)		55,034
कर से पहले लाभ **PROFIT BEFORE TAX**			**128,590**		**88,423**
कराधान हेतु प्रावधान **Provision for Taxation**					
चालू वर्ष Current Year		24,255		10,024	
आरंभिक वर्षों से संबंधित समायोजन Adjustments relating to earlier years		2,735		1,883	
फ्रिंज लाभ कर Fringe Benefit Tax		67		64	
संपत्ति कर Wealth Tax		1	27,058	1	11,972

31 मार्च,2009 की स्थिति के अनुसार लाभ एवं हानि लेखा विवरण
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2009

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	अनुसूची सं. Schedule No	31 मार्च,2009 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended 31st March, 2009		31 मार्च,2008 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended 31st March, 2008	
आस्थगित कर Deferred Tax		26,859		18,206	
घटाएं : उगाहीनय/देय Less: Recoverable / Payable		26,859	----	18,206	----
कराधान के लिए सकल प्रावधान **Total Provision for Taxation**			**27,058**		**11,972**
कर के पश्चात् लाभ **PROFIT AFTER TAX**			**101,532**		**76,451**
पिछले वर्ष से अग्रेणीत शेष Balance brought forward from last Year			129,759		81,854
विनियोग के लिए कुल उपलब्धता Total available for Appropriation			**231,291**		**158,305**
विनियोग **Appropriations**					
लाभांश **Dividend**					
- अंतरिम - Interim		11,000		13,600	
- प्रस्तावित - Proposed		21,000		10,800	
कुल लाभांश **Total Dividend**			**32,000**		24,400
लाभांश पर कर **Tax on Dividend**					
- अंतरिम - Interim		1,869		2,311	
- प्रस्तावित - Proposed		3,569		1,835	
लाभांश पर कुल कर **Total Tax on Dividend**			**5,438**		**4,146**
तुलन-पत्र में अग्रेनीत शेष **Balance carried to Balance Sheet**			**193,853**		**129,759**
प्रति शेयर आय (रू 1000/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर) **Earning Per Share (Equity Share, face value of Rs.1000 each) -** **बेसिक एवं डायल्यूटेड** **Basic and Diluted**			**247.11**		186.07

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते आर.बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
As per our report of even dated attached
For R. Bansal & Co.
Chartered Accountants

आर.एस.बंसल भागीदार एम.नं.013000	पी.एस.आर.मूर्ति कंपनी सचिव	के.के. गर्ग निदेशक (वित्त)	हेमंत कुमार शर्मा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
R.S. Bansal Partner M.No.013000	P.S.R.Murthy Company Secretary	K.K.Garg Director (Finance)	H.K. Sharma Chairman & Managing Director

स्थानः नई दिल्ली
Place: New Delhi
दिनांक 4 अगस्त, 2009
Date : 4th August, 2009

अनुसूची-1
Schedule - 1
शेयर पूंजी
SHARE CAPITAL

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च,2009 की स्थिति As at 31st March, 2009	31 मार्च,2008 की स्थिति As at 31st March, 2008
प्राधिकृत पूंजी प्रत्येक रू 1000/- के 45,000,000 (गत वर्ष 45,000,000) इक्विटी शेयर **AUTHORISED *** 45,000,000(Previous Year 45,000,000) Equity Shares of Rs 1000/- Each	450,000	450,000
जारी, अभिदत्त तथा प्रदत्त पूंजी प्रत्येक रू 1000/- के 41088140 (गत वर्ष 41088140) पूर्णतया प्रदत्त इक्विटी शेयर नकदी के अलावा उक्त में से 1,46,923 शेयर (गत वर्ष 1,46,923 शेयर) पूर्ण प्रदत्त शेयरों के रूप में आबंटित किए गए हैं। **ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID UP** 41088140(Previous Year 41088140) Equity Shares of Rs 1000/- each fully paid up. Of the above shares, 1,46,923 shares (Previous Year 1,46,923 Shares) were allotted as fully paid up for consideration other than cash.	410,881	410,881
योग Total	**410,881**	**410,881**

*** कंपनी के निदेशक मंडल ने अधिकृत पूंजी में 700000 लाख रुपए की वृद्धि अनुमोदित की है, जो सरकार के अनुमोदनाधीन है।**

*** The Board of Directors of the Company has approved increase in the Authorised Capital to Rs.700000 Lakh which is in the process of approval.**

अनुसूची-2
Schedule - 2
आरक्षित एवं अधिशेष
RESERVES AND SURPLUS

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च,2009 की स्थिति As at 31st March, 2009	31 मार्च,2008 की स्थिति As at 31st March, 2008
लाभ एवं हानि खाता **Profit & Loss Account**		
अंतिम तुलन–पत्र के अनुसार As per last Balance Sheet	129,759	81,854
जमा: वर्ष के दौरान संवर्धन Add: Additions during the year	101,532	76,451
घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजन Less: Adjustments during the year	37,438	28,546
तुलन-पत्र में अग्रेनीत शेष **Balance carried to Balance Sheet**	**193,853**	**129,759**

अनुसूची-3
Schedule - 3
प्रतिभूति सहित ऋण
SECURED LOANS

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च, 2009 की स्थिति As at 31st March, 2009	31 मार्च, 2008 की स्थिति As at 31st March, 2008
प्रतिभूति सहित ऋण **SECURED LOANS**		
पावर फाइनेंस कारपोरेशन* Power Finance Corporation*	82,685	97,065
आर.ई.सी. लिमिटेड* REC Limited*	25,701	31,412
भारतीय जीवन बीमा निगम* Life Insurance Corporation of India*	22,365	27,628
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया* United Bank of India *	----	625
देना बैंक* Dena Bank *	----	1,531
ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स* Oriental Bank of Commerce *	----	1,438
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया* Union Bank of India*	----	1,312
जे.एण्ड के.बैंक* J & K Bank *	----	1,344
यूको बैंक* UCO Bank*	----	1,438
बैंक ऑफ इंडिया* Bank of India*	----	1,312
बैंक ऑफ महाराष्ट्र* Bank of Maharashtra*	----	1,250
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर* State Bank of Mysore*	——	632
पंजाब नैशनल बैंक* Punjab National Bank*	——	1,250
सिंडीकेट बैंक* Syndicate Bank*	----	188
इंडियन ओवरसीज़ बैंक* Indian Overseas Bank*	----	375
आन्ध्रा बैंक* Andhra Bank*	----	281
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया# Central Bank of India #	----	2,012
योग **Total**	130,751	171,093
आगामी वर्ष में पुनर्भुगतान के लिए देय राशि Amount due for repayment within next one year	25,354	40,339

अनुसूची-4 में दर्शाई विदेशी मुद्रा ऋणों के अंतर्गत वित्त पोषित उपकरण पर नकारात्मक धारणाधिकार (Lien) के अध्यधीन पहले से ही निर्मित प्रभार में समरूप प्रभार सहित नाथपा झाकड़ी जलविद्युत परियोजना की वर्तमान तथा भविष्य की सभी अचल परिसंपत्तियां तथा बही ऋण प्रभार प्रथम प्रभार के रूप में साम्यिक बंधक/दृष्टिबंधन द्वारा सुरक्षित

* Secured by equitable mortgage/hypothecation of all present & future fixed assets and book debts of NJHPS as first charge ranking pari passu with charge already created subject to negative lien on the equipment financed under foreign currency loans shown in Schedule-4.

टीडीआर के लिए अल्पावधि,प्रतिभूति सहित
Short Term, Secured against TDRs.

अनुसूची-4
Schedule - 4
प्रतिभूति सहित ऋण
UNSECURED LOANS

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च,2009 की स्थिति As at 31st March, 2009		31 मार्च,2008 की स्थिति As at 31st March, 2008	
प्रतिभूति रहित ऋण				
UNSECURED LOANS				
विश्व बैंक				
World Bank		**33,956**		----
विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)*				
Foreign Currency Loans (Guaranteed by Government of India) *				
क्रेडिटेंस्टाल्ट फुर वाइडरआफबाउ (केएफडब्ल्यू) जर्मनी, एफ–2402				
Kreditanstalt fur Wiederaufbau(Kfw), Germany, F-2402	3,205		6,153	
कंर्सोटियम ऑफ स्विस बैंक, स्विटजरलैंड (निर्यात ऋण)				
Consortium of Swiss Banks, Switzerland(Exp. Credit)	1,837		3,289	
एक्सपोर्टफिनान्स नार्वे				
Eksportfinans, Norway	4,214		5,665	
नार्डिक इन्वैस्टमेंट बैंक, फिनलैंड				
Nordic Investment Bank, Finland	3,652		3,321	
बैंक नैशनल दि पेरिस, फ्रांस (निर्यात ऋण)				
Banque Nationale De Paris, France(Exp. Loan)	7,018		8,680	
		19,926		27,108
घरेलू ऋण				
Domestic Loans				
कामकाजी पूंजीगत ऋण $				
Working Capital Loan $		**29,611**		3,807
योग				
Total		**83,493**		**30,915**
आगामी वर्ष में पुनर्भुगतान के लिए देय राशि				
Amount due for repayment within next one year		**39,005**		12,686

*संबंधित ऋण के प्रतिज्ञा–पत्र के साथ वित्तपोषित उपकरण पर शेष परिसंपतियों पर समान रूप से अधिकार
*Loans are with covenant of negative lien on the equipment financed under the respective loan ranking pari-passu.

$ कामकाजी पूंजीगत ऋण का ब्यौरा:
$ Details of Working Capital Loan:

	31 मार्च,2009	31 मार्च,2008
आन्ध्रा बैंक		
Andhra Bank	9,350	----
इलाहाबाद बैंक		
Allahabad Bank	10,000	----
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया		
Central Bank of India	5,761	----
इंडियन ओवरसीज बैंक		
Indian Overseas Bank	4,500	----
कारपोरेशन बैंक		
Corporation Bank	----	3,807
कुल कामकाजी पूंजीगत ऋण		
Total Working Capital Loan	**29,611**	**3,807**

अनुसूची-5
Schedule - 5
अचल परिसंपत्तियाँ
FIXED ASSETS

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

क्र.सं Sl.No.	विवरण Particulars	सकल ब्लॉक Gross Block				मूल्यह्रास Depreciation				निवल ब्लॉक Net Block	
		01.04.08 स्थिति As at 01-04-08	वर्ष के दौरान संवर्धन Additions during the year	कटौतियां समायोजन Deductions/ Adjustments	31.03.09 की स्थिति As at 31-03-09	01.04.08 की स्थिति Upto 01-04-08	वर्ष के लिए For the year	कटौतियाँ समायोजन Deductions/ Adjustments	31.03.09 की स्थिति Upto 31-03-09	31.03.09 की स्थिति As at 31-03-09	31.03.08 की स्थिति As at 31-03-08
1	भूमि (फ्रीहोल्ड) Land(Freehold)	10,033	1,942	----	11,975	----	----	----	----	11,975	10,033
2	भूमि (लीजहोल्ड) Land(Leasehold)	36	----	----	36	2	----	----	2	34	34
3	भवन Buildings	74,023	362	636	73,749	8,284	1,789	----	10,073	63,676	65,739
4	सड़क एवं पुल Roads and Bridges	4,262	133	----	4,395	349	93	----	442	3,953	3,913
5	संयंत्र एवं मशीनरी Plant and Machinery*	1,315	22	25	1,312	421	70	10	481	831	894
6	उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी Generating Plant and Machinery	184,758	6,276	6,343	184,691	32,895	4,721	5,368	32,248	152,443	151,863
7	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, सुरंग आदि) Hydraulic Works(Dam,Tunnel, etc.)	558,862	14,174	635	572,401	61,764	15,962	----	77,726	494,675	497,098
8	वाहन Vehicles	178	11	2	187	99	21	1	119	68	79
9	फर्नीचर फिक्चर एवं उपस्कर Furniture, Fixture and Equipments	410	80	----	490	180	32	----	212	278	230
10	विद्युत कार्य Electrical Works	1,855	531	24	2,362	200	96	4	292	2,070	1,655
11	विद्युत उपकरण Electrical Equipments	61	26	1	86	23	8	1	30	56	38
12	कार्यालय उपकरण Office Equipments	620	102	----	722	190	46	----	236	486	430
13	डाटा प्रोसेसिंग उपकरण Data processing Equipments	614	324	(831)	1,769	391	394	(96)	881	888	223
14	**अमूर्त परिसंपत्तियाँ: Intangible Assets:**										
	...सॉफ्टवेयर ...Software	204	13	----	217	155	30	----	185	32	49
	...प्रतिपूरक वन्यरोपण पर व्यय ...Expenditure on Compensatory Afforestation	489	11	----	500	196	100	1	295	205	293
15	कंपनी की स्वामित्व रहित परिसंपत्तियाँ Capital Assets not owned by Company	7,464	99	----	7,563	7,289	----	----	7,289	274	175
	योग Total:	845,184	24,106	6,835	862,455	112,438	23,362	5,289	130,511	731,944	732,746
	गत वर्ष Previous Year :	817,771	28,596	1,183	845,184	136,726	26,407	50,695	112,438	732,746	681,045

	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
वर्ष के लिए मूल्यह्रास का आबंटन निम्नवत् है:– Depreciation for the year is allocated as given below:-		
लाभ एवं हानि खाते के प्रति प्रभारित Charged to Profit and Loss Account	23,325	25,981
निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय के प्रति प्रभारित (अनुसूची-19) Charged to Incidental Expenditure During Construction (Schedule-19)	293	326
पूर्वअवधि के प्रति प्रभारित (अनुसूची-18) Charged to Prior Period (Schedule-18)	(257)	96
सीडब्ल्यूआईपी के प्रति प्रभारित (अनुसूची-6) Charged to CWIP (Preliminary Schedule-6)	1	4
लाभ व हानि खाते में रिट्टेन बैक Written Back in Profit and Loss Account	----	50,693
वर्ष के दौरान प्रापण और पूर्णतः मूल्यह्रासित की गई रु. 5000/- अथवा इससे कम मूल्य तक की अचल परिसंपत्तियों को बट्टेखाते में डाला जाता है। Fixed Assets costing Rs. 5000 or less procured and depreciated fully during the year.	25	48

संयंत्र एवं मशीनरी की परिसंपत्तियों को हुई क्षति संबंधी हानि में रु.64 लाख (गत वर्ष रु. 64 लाख) की राशि सम्मिलित है, जिसके लिए प्रावधान किया गया है।

*Plant & Machinery includes Rs.64 Lakh (Previous Year Rs.64 Lakh) being loss due to damage to assets for which provision has been made.

अनुसूची-6
Schedule - 6
चल रहे पूंजीगत कार्य
CAPITAL WORKS-IN-PROGRESS

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

क्र.सं Sl.No.	विवरण Particulars	31.03.08 की स्थिति As at 31-03-08	वर्ष के दौरान संवर्धन Additions during the year	वर्ष के दौरान अंतरण/समायोजन Transfers/ Adjustments during the year	31.03.09 को योग Total as on 31-03-09	वर्ष के दौरान पूंजीगत की गई राशि Capitalised During the Year	31.03.09 को अधिशेष Balance as at 31.03.09
1	भवन Buildings	528	449	20	957	355	602
2	सिविल कार्य Civil Works	7,160	29,134	1,332	34,962	12,435	22,527
3	सड़क, पुल एवं पुलियां Roads, Bridges & Culverts	842	967	1	1,808	110	1,698
4	संयंत्र एवं मशीनरी Plant and Machinery	----	5	----	5	5	----
5	विद्युत कार्य Electrical Works	102	434	----	536	536	----
6	ठेकेदारों के पास पूंजीगत परिसंपत्तियाँ (इलेक्ट्रो–मैकेनिकल पैकेज) Capital Assets with Contractors (Electro Mechanical Packages)	726	3,161	(64)	3,951	2,784	1,167
7	प्रारंभिक Preliminary	2,571	3,991	112	6,450	----	6,450
8	कंपनी की स्वामित्व रहित पूंजीगत परिसंपत्तियाँ Capital Assets not owned by Company	1,289	123	----	1,412	148	1,264
9	निर्माण के दौरान व्यय (अनुसूची-19) Expenditure During Construction (Schedule-19)	12,880	10,357	21	23,216	----	23,214
	योग Total	**26,098**	**48,621**	**1,422**	**73,297**	**16,373**	**56,922**
	गत वर्ष Previous Year	**14,785**	**37,376**	**1,476**	**50,685**	**24,587**	**26,098**

अनुसूची-7
Schedule - 7
पूंजीगत कार्यों के लिए अग्रिम
ADVANCES FOR CAPITAL WORKS

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च, 2009 की स्थिति As at 31st March, 2009		31 मार्च, 2008 की स्थिति As at 31st March, 2008	
रक्षित				
Secured		8,249		620
(उपकरणों को दृष्टिबंधक रखकर) (By hypothecation of Equipment)				
प्रतिभूति रहित - वापसी सुनिश्चित				
Unsecured - Considered Good				
बैंक गारन्टीयुक्त Covered by Bank Guarantees	7,089		4,902	
अन्य Others	261		628	
ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज Accrued Interest on Advances to Contractors	----		5	
कुल प्रतिभूति रहित अग्रिम Total Unsecured Advances		7,350		5535
योग Total		15,599		6,155
घटाएँ: अशोध्य/संदिग्ध ऋणों संबंधी मामलों के लिए प्रावधान Less: Provision for Bad/Doubtful Cases		----		----
शुद्ध अग्रिम Net Advances		15,599		6,155

अनुसूची-8
Schedule - 8
निर्माण पूंजीगत भण्डारण एवं स्पेयर
CONSTRUCTION STORES AND SPARES

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च, 2009 की स्थिति As at 31st March, 2009	31 मार्च, 2008 की स्थिति As at 31st March, 2008
निर्माण भण्डारण (लागत पर)		
CONSTRUCTION STORES (At Cost)		
(प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित) (As certified by Management)		
(इस्पात) Steel	57	60
(सीमेंट) Cement	6	6
योग Total	63	66

अनुसूची-9
Schedule - 9
निवेश
INVESTMENTS

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च, 2009 की स्थिति As at 31st March, 2009	31 मार्च, 2008 की स्थिति As at 31st March, 2008
गैर-व्यावसायिक निवेश अनकोटेड (लागत पर)		
Non Trade Investment- Others Unquoted (at Cost)		
नाथपा झाकड़ी परियोजना कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भण्डार झाकड़ी में प्रत्येक रु 50/- के 60 पूर्णयता प्रदत्त साधारण शेयर 60 Fully Paid up Ordinary Shares of Rs 50/- each in NJP Employees Consumer Co-operative Store, Jhakri	----	----
योग Total	----	----

निवेशित राशि केवल रु. 3000/- है, जिसे शून्य के बराबर लिया गया है।
Amount of investment being Rs.3000/- only, has been rounded off to nil.

अनुसूची-10
Schedule - 10
चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम
CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च, 2009 की स्थिति As at 31st March, 2009			31 मार्च, 2008 की स्थिति As at 31st March, 2008	
संपत्ति सूची (लेखा नीति सं.8 के अनुरूप मूल्यांकित) **INVENTORIES (Valued as per Accounting Policy No.8)**					
अबद्ध औजार Loose Tools	5			5	
उपकरण तथा स्पेयर Components and Spares	2,990			2,943	
उपभोज्य भण्डारण तथा स्पेयर Consumable Stores & Spares	2,593			2,415	
अधिशेष भण्डारण/उपकरण Surplus Stores/Equipments	4			104	
	5,592			5,467	
घटाएँ : कमी तथा अप्रयुक्त मदों के लिए प्रावधान Less: Provision for Shortage and Obsolescence	7			104	
		5,585			5,363
			5,585		
विविध कर्जदार **SUNDRY DEBTORS**					
छह माह से अधिक बकाया Outstanding over six months					
- प्रतिभूति रहित (परंतु वसूली सुनिश्चित) - Unsecured (considered good)		----		1,050	
अन्य Others					
- प्रतिभूति रहित (परंतु वसूली सुनिश्चित) - Unsecured (considered good)		36,318		10,559	
			36,318		11,609
नकद एवं बैंक अधिशेष **CASH & BANK BALANCES**					
-उपलब्ध रोकड़ -Cash on Hand		----		1	
-उपलब्ध चेक एवं ड्राफ्ट -Cheques & Drafts in hand		----		11	
प्रेषित मार्गस्थ रकम Remitances in Transit		1		----	
-अनुसूचित बैंकों में अधिशेष -Balances with scheduled banks :					
- चालू खाते - Current Accounts		453		231	
- अल्पावधि जमा राशियाँ $ - Short Term Deposits $		126,690		69,117	
			127,144		69,360
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ **OTHER CURRENT ASSETS**					
प्रोद्भूत परंतु अदेय ब्याज Interest Accrued but not due					
बैंकों में जमा अल्पावधि जमाराशियों पर On Short Term Deposits with Banks			**8,257**		**3,286**

अनुसूची-10
Schedule - 10
चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम
CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च, 2009 की स्थिति As at 31st March, 2009		31 मार्च, 2008 की स्थिति As at 31st March, 2008
ऋण एवं अग्रिम*			
LOANS AND ADVANCES*			
ऋण			
LOANS			
कर्मचारी			
Employees			
- प्रतिभूति प्राप्त			
- Secured	892		821
- प्रतिभूति रहित (परंतु वसूली सुनिश्चित)			
- Unsecured(considered good)	203		107
		1,095	928
अग्रिम			
ADVANCES			
नकद या वस्तु अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिम			
Advances recoverable in cash or in kind or for value to be received			
क)ठेकेदार एवं आपूर्तिकार			
a) Contractors & Suppliers			
- प्रतिभूति रहित (परंतु वसूली सुनिश्चित)			
- Unsecured (considered good)	5,723		10,480
- संदिग्ध			
- Considered doubtful	10		10
	5,733		10,490
घटाएँ: अशोध्य अग्रिमों के लिए प्रावधान			
Less: Provision for doubtful advances	10		10
		5,723	10,480
ख)डिपाजिट कार्यों के लिए सरकारी विभाग			
b) Govt.Deptts.for Deposit Works	2,325		962
घटाएँ: व्ययगत प्रावधान			
Less: Provision for Expenditure	828		----
		1,497	962
ग) कर्मचारी (प्रतिभूति रहित अग्रदाय सहित (परंतु वसूली सुनिश्चित)			
c) Employees[including imprest unsecured (considered good)]		137	138
घ)अन्य			
d) Others			
- प्रतिभूति रहित (परंतु वसूली सुनिश्चित)			
- Unsecured (considered good)	582		1,568
- संदिग्ध			
- Considered doubtful	7		4
	589		1,572
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			
Less: Provision for doubtful advances	7		4
		582	1,568
ड.)बीमा कंपनियों से वसूलनीय			
e) Recoverable from Insurance Company		----	25,744

अनुसूची-10
Schedule - 10
चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम
CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च, 2009 की स्थिति As at 31st March, 2009			31 मार्च, 2008 की स्थिति As at 31st March, 2008	
च) प्रतिभूति जमा राशियाँ :					
f) Security Deposit with:					
- सरकारी विभाग - Government Departments	84			86	
- अन्य - Others	6			6	
		90		92	
छ)पूर्व प्रदत्त व्यय **g) Prepaid Expenses**		43		10	
ज)आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव संबंधी परिसंपत्तियाँ **h) Deferred Foreign Currency Fluctuation Assets**		2,485		2,017	
झ)अग्रिम रूप से अदा कर तथा स्रोत पर कर कटौती **i) Advance Tax Deposit and Tax Deducted at Source**		34,167		24,310	
ञ)स्टॉफ अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज **j) Interest Accrued on Staff Advances:-**					
- प्रतिभूति सहित - Secured	368			344	
- प्रतिभूति रहित (परंतु वसूली सुनिश्चित) - Unsecured (considered good)	59			33	
		427		377	
			46,246		**66,626**
योग **Total**			**223,550**		**156,244**

$ इसमें रु.9 लाख (गत वर्ष रु.2118 लाख) शामिल हैं, जिस पर लघु अवधि ऋण/बही ओवरड्राफ्ट लिया गया है (अनुसूची-3 एवं 11 में दर्शाया गया है) तथा रु.5091 लाख (गत वर्ष रु 1229 लाख) जो पुनर्ग्रहणाधिकार में है।

$ Includes Rs.9 Lakh (Previous year Rs. 2118 Lakh) against which short term loan/book overdraft has been taken (shown in Schedule-3 & 11) and Rs.5091 Lakh (Previous year Rs. 1229 Lakh) which are under lien.

* ऋण एवं अग्रिमों के विवरण जो निदेशकों एवं अधिकारियों द्वारा देय है * Particulars of Loans and Advances due from Directors and officers:	**अधिकतम राशि** **Maximum Amount**			
	2008-09	2007-08		
कंपनी के निदेशकों द्वारा देय Due from Directors of the company	20	25	6	8
कंपनी के अधिकारियों द्वारा देय Due from Officers of the company	241	232	174	202

अनुसूची-11
Schedule - 11
चालू देयताएँ
CURRENT LIABILITIES

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च, 2009 की स्थिति As at 31st March, 2009		31 मार्च, 2008 की स्थिति As at 31st March, 2008	
चालू देयताएँ				
CURRENT LIABILITIES				
विविध ऋणदाता				
Sundry Creditors				
लघु स्तरीय औद्योगिक उपक्रम				
Small Scale Industrial Undertakings	----		----	
अन्य				
Others	36,561		41,850	
बुक ओवरड्राफ्ट (बैंक)				
Book Overdraft (Banks)	9		106	
		36,570		41,956
ठेकेदारों एवं अन्य से जमा राशियाँ, प्रतिधारण राशि				
Deposits, Retention Money from Contractors and Others	4,276		2,843	
घटाएँ: प्रतिभूति के रूप में रखे गए निवेश/बैंकों में जमा राशियाँ				
Less: Bank Deposits/Investments held as Security	309		243	
		3,967		2,600
आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव संबंधी देयता				
Deferred Foreign Currency Fluctuation Liability		3,670		2,899
अन्य देयताएँ				
Other Liabilities		1,608		2,793
प्रोद्भूत परंतु अदेय ब्याज:				
Interest Accrued but not due on:				
- कामकाजी पूंजीगत ऋण				
- Working Capital Loan	24		----	
- विदेशी मुद्रा ऋण				
- Foreign Currency Loans	162		238	
- भारतीय मुद्रा ऋण				
- Term Loans in Indian Currency	3,527		3,788	
- अन्य				
- Others	295		----	
		4,008		4,026
योग				
Total		49,823		54,274

अनुसूची-12
Schedule - 12
प्रावधान
PROVISIONS

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	01.04.2008 की स्थिति As at 01.04.2008	संवर्धन Additions	राइट बैक Write Back	उपयोग Utilization	31.03.2009 की स्थिति As at 31.03.2009
		वर्ष के दौरान During the year			
सृजित: **Created:**					
प्रस्तावित लाभांश Proposed Dividend	10,800	21,000	----	10,800	21,000
प्रस्तावित लाभांश पर कर Tax on Proposed Dividend	1,835	3,569	----	1,835	3,569
आयकर Income Tax	23,870	24,255	----	13,846	34,279
फ्रिंज लाभ कर Fringe Benefit Tax	339	128	----	207	260
संपत्ति कर Wealth Tax	1	1	----	1	1
वेतन पुनर्निधारण Wage Revision	1,794	2,240	214	589	3,231
निष्पादनगत वेतन Performance Related Pay	300	2,402	----	300	2,402
सेवानिवृत्ति लाभ Retirement Benefits	1,716	1,012	----	140	2,588
टैरिफ समायोजन Tariff Adjustment	6,456	----	1,754	4,702	----
मध्यस्थता अवार्डों पर ब्याज Interest on Arbitration Awards	6,752	6,232	1,906	4,110	6,968
अन्य Others	44	----	----	----	44
योग **Total**	**53,907**	**60,839**	**3,874**	**36,530**	**74,342**
गत वर्ष **Previous Year**	**35,374**	**38,431**	**----**	**19,898**	**53,907**

अनुसूची-13
Schedule - 13
बिक्री
SALES

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2009	31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2008
बिजली की बिक्री Energy Sales	157,132	138,622
गैर–अनुसूचित आंतरिक परिवर्तन प्रभार (यू.आई.) UI Charges	4,479	3,137
लाभग्रहियों से विनियम दर में भिन्नता की वसूली योग्य राशि Exchange Rate Variation recoverable from beneficiaries	1,510	254
लाभग्रहियों से वसूली योग्य कर की राशि Tax recoverable from beneficiaries	25,539	8,413
योग **Total**	**188,660**	**150,426**

अनुसूची-14
Schedule - 14
अन्य आय
OTHER INCOME

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

		31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2009		31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2008
परामर्श कार्य **Consultancy Works**				
प्राप्तियाँ Receipts	84		158	
घटाएँ : व्यय Less: Expenditure	28		61	
(अनुसूची–15 से अंतरित) (Transferred from Schedule-15)		56		97
निम्न से ब्याज Interest From:				
बैंक Banks	11,865		7,513	
(स्रोत पर कर कटौती रु 222.42 लाख, गत वर्ष रु. 0.75 लाख) (Tax Deducted at Source Rs.222.42 Lakh, Previous year Rs.0.75 Lakh)				
कर्मचारी Employees	65		54	
ठेकेदार Contractors	1		4	
		11,931		7,571
आयकर वापसी पर ब्याज Interest on Income Tax Refund	76		----	
घटाएँ: ग्राहकों को प्रतिदेय Less: Refundable to Customers	76		----	
		----		----
उपभोक्ताओं से विलंब से प्राप्त भुगतान पर सरचार्ज Surcharge on Late Payment from Customers		432		10
जनरेटरों से इंटर कनेक्शन सुविधा के अनुरक्षण से प्राप्ति Receipt of Maintenance of Inter Connection Facility from Generators		126		119
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ Profit on Sale of Fixed Assets		74		11
कबाड़ की बिक्री Sale of Scrap		(14)		35
विविध आय * Miscellaneous Income *		2,378		239
मुनाफे के नुकसान के लिए बीमा कंपनियों से दावे Claim from Insurance Company for loss of profit		----		23,668
विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव संबंधी समायोजन (जमा) Foreign Currency Fluctuation Adjustment (Credit)		1,207		1,437
ग्राहकों से ब्याज Interest from Customers		10,775		----
योग **Total**		**26,965**		**33,187**
विविध आयगत ब्यौरा: *** Details of Miscellaneous Income:**				
ठेकेदारों से वसूला गया भाड़ा/किराया Hire/Rental Charges Recovered from Contractors		36		30
क्वार्टर संबंधी लाइसेंस फी Licence Fee from Quarters		26		24
बट्टाकृत अतिरेक प्रावधान Excess Provision written back		2,227		124
एल.डी. की वसूली Recovery of L.D.		72		52
अन्य Others		17		9
योग **Total**		**2,378**		**239**

अनुसूची-15
Schedule - 15
बिजली उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य खर्चे
GENERATION, ADMINISTRATION & OTHER EXPENSES

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2009		31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2008	
कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं लाभ **EMPLOYEES' REMUNERATION AND BENEFITS**				
वेतन, मजदूरी, भत्ते एवं लाभ Salaries,Wages, Allowances and Benefits	6,288		3,695	
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों हेतु अंशदान Contribution to Provident and Other Funds	290		184	
छुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान Leave Salary and Pension Contribution	205		162	
कल्याण संबंधी खर्च Welfare Expenses	554	7,337	422	4,463
मरम्मत एवं अनुरक्षण **REPAIRS AND MAINTENANCE**				
सड़कें एवं भवन Roads and Buildings	553		497	
संयंत्र एवं मशीनरी Plant & Machinery	124		115	
कार्यालय उपकरण एवं फर्नीचर Office Equipments & Furnitures	8		7	
सिविल कार्य Civil Works	367		492	
इलेक्ट्रो–मैकेनिकल कार्य Electro Mechanical Works	2,477		2,237	
वाहन Vehicles	307		304	
अन्य Others	67		85	
	3,903		3,737	
घटाएँ : बीमा कंपनियों से प्राप्त दावे Less: Claim Received from Insurance Companies	----	3,903	2,319	1,418
प्रशासन तथा अन्य व्यय **ADMINISTRATION AND OTHER EXPENSES**				
किराया Rent		194		68
बीमा Insurance		1,689		1,764
सुरक्षा संबंधी खर्चे Security Expenses		639		876
विद्युत प्रभार Electricity Charges	757		532	
घटाएँ : कर्मचारियों एवं ठेकेदारों से वसूल की गई राशि Less: Recovered from Employees & Contractors	34	723	30	502
यात्रा एवं वाहन Travelling & Conveyance		132		82
प्रशिक्षण एवं भर्ती सबंधी व्यय Training and Recruitment Expenses	93		44	
घटाएँ : प्राप्त आवेदन फार्म की लागत Less: Cost of Application Forms Received	4	89	2	42
विधि संबंधी व्यय Legal Expenses		57		43
प्रोफेशनल एवं परामर्श संबंधी प्रभार Professional and Consultancy Charges		63		22
संचार व्यय Communication Expenses		88		61
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी Printing & Stationery	50		41	
घटाएँ: निविदा दस्तावेजों की बिक्री से प्राप्त राशि Less: Receipts from Sale of Tenders	10	40	6	35

अनुसूची-15
Schedule - 15
बिजली उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य खर्चे
GENERATION, ADMINISTRATION & OTHER EXPENSES

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2009		31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2008	
लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिकः Remuneration to Auditors:				
लेखा–परीक्षा शुल्क Audit Fees	2		2	
अन्य तौर पर In Other Capacity	1		2	
फुटकर खर्च Out of Pocket Expenses	1		1	
		4		5
विज्ञापन एवं प्रचार Advertisement & Publicity		77		88
ईडीपी व्यय EDP Expenses		32		22
आतिथ्य सत्कार संबंधी व्यय Entertainment Expenses		11		9
ट्रांजिट कैंपों पर व्यय Expenses on Transit Camps		20		12
पुस्तकें एवं पत्रिकाएं Books & Periodicals		4		3
दान Donations		98		----
सामाजिक कल्याण पर व्यय Social Welfare Expenses		185		305
अचल परिसंपत्तियों को बट्टे खाते डालने/उनके निपटान पर हानि Loss on Disposal/Write off of Fixed Assets		6		1
बट्टाकृत उधार/अग्रिम Debts/ Advances Written Off		----		1
निदेशकों की सिटिंग फीस Directors Sitting Fees		2		----
बट्टे खाते डाले गए आस्थगित राजस्व व्यय Deferred Revenue Expenditure Written Off		----		206
आवाह क्षेत्र उपचार पर व्यय Expenditure on Catchment Area Treatment		----		162
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर व्यय Environment & Ecology Expenses		19		49
सुरक्षा व्यय Safety Expenses		94		163
विविध व्यय Miscellaneous Expenses		53		50
विनिमय दर में भिन्नता Exchange Rate Variation		96		2
विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव समायोजन (नामे) Foreign Currency Fluctuation Adjustment (Debit)		1,510		254
योग Total		17,165		10,708
घटाएँ : परामर्श सेवाओं संबंधी व्यय Less: Expenditure on Consultancy Works (अनुसूची–14 में अंतरित) (Transferred to Schedule-14)		28		61
लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक Remuneration to Auditors (अनुसूची-19 में अंतरित) (Transferred to Schedule-19)		2		4
योग Total		17,135		10,643
मरम्मत एवं रखरखाव में सम्मिलित उपभोज्य भण्डारण, Stores Consumption Included in Repairs and Maintenance		1,513		1,109

अनुसूची-16
Schedule - 16
प्रावधान
PROVISIONS

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2009	31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2008
सृजित **Created:**		
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण Bad and Doubtful Debts	2	----
परिसंपत्तियों को हुई क्षति Damages to Assets	----	44
भण्डारण/स्पेयर्स में कमी/अप्रचलन में Shortage/Obsolescence of Stores/Spares	2	2
आवाह क्षेत्र उपचार व्यय Expenditure on Catchment Area Treatment	819	----
योग **Total**	**823**	**46**
घटाएँ : रिट्टन बैक **Less: Written Back :**		
स्टोर एवं स्पेयर्स में कमी Shortage in Stores & Spares	----	31
शुद्ध **Net**	**823**	**15**

अनुसूची-17
Schedule - 17
ब्याज एवं वित्त प्रभार
INTEREST AND FINANCE CHARGES

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2009		31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2008
ब्याज			
INTEREST			
कामकाजी पूंजीगत ऋण			
Working Capital Loan	533		----
बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)			
External Commercial Borrowings (ECBs)	1,441		1,791
सावधि ऋण			
Term Loans	14,959		16,704
मध्यस्थता आवर्डों पर ब्याज (6232 लाख रुपए के प्रावधान सहित) (गत वर्ष 6382 लाख रुपए)			
Interest on Arbitration Awards [includes provision of Rs.6232 Lakh (Previous year Rs.6382 Lakh)]	7,066		6,382
विनियम अंतरों को ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना गया			
Exchange differences regarded as adjustment to interest cost	971		1,308
ग्राहकों को ब्याज			
Interest to Customers	5,620		----
		30,590	26,185
वित्त प्रभार			
FINANCE CHARGES			
वित्त प्रभार			
Finance Charges	342		369
ग्राहकों को छूट			
Rebate to Customers	1,689		2,136
विनियम दर में उतार–चढ़ाव (शुद्ध)			
Exchange Rate Variation (Net)	628		128
		2,659	2,633
योग			
Total		33,249	28,818

अनुसूची-18
Schedule - 18
पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS (NET)

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2009		31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2008
आय			
INCOME			
बिक्री			
Sales	20		(3,203)
मूल्यहास के लिए अग्रिम का प्रावधान			
Provision for Advance Against Depreciation	----		(51,545)
रिट्टन बैक ब्याज			
Interest Written Back	----		(137)
अन्य			
Others	2		(13)
		22	(54,898)
व्यय			
EXPENDITURE			
मरम्मत एवं अनुरक्षण			
Repairs and Maintenance	97		1
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी			
Environment and Ecology	----		(489)
संचारगत व्यय			
Communication Expenses	23		----
मूल्यहास			
Depreciation	(257)		(61)
अन्य			
Others	(20)		316
		(157)	(233)
योग			
Total		(179)	54,665
घटाएँ: निर्माण के दौरान व्यय			
Less : Expenditure During Construction			
(अनुसूची-19 में अंतरण)			
(Transferred to Schedule - 19)		19	(369)
योग			
Total		(198)	55,034

अनुसूची-19
Schedule - 19
निर्माण के दौरान व्यय
EXPENDITURE DURING CONSTRUCTION

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2009		31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2008	
कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं लाभ				
EMPLOYEES' REMUNERATION AND BENEFITS				
वेतन, मजदूरी, भत्ते एवं लाभ Salaries, Wages, Allowances and Benefits	5,700		3,902	
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों हेतु अंशदान Contribution to Provident and Other Funds	245		227	
छुट्टी, वेतन एवं पेंशन अंशदान Leave Salary and Pension Contribution	193		262	
कल्याण संबंधी खर्च Welfare Expenses	348		311	
		6,486		4,702
मरम्मत एवं अनुरक्षण				
REPAIRS AND MAINTENANCE				
सड़कें एवं भवन Roads and Buildings	74		42	
संयंत्र एवं मशीनरी Plant & Machinery	4		4	
कार्यालय उपकरण एवं फर्नीचर Office Equipments & Furnitures	10		7	
वाहन Vehicles	211		169	
अन्य Others	43		24	
		342		246
प्रशासनिक एवं अन्य व्यय				
ADMINISTRATION AND OTHER EXPENSES				
किराया Rent		211		157
बीमा Insurance		2		3
सुरक्षा संबंधी व्यय Security Expenses		156		91
विद्युत प्रभार Electricity Charges		74		46
यात्रा एवं वाहन Travelling & Conveyance		178		121
प्रशिक्षण संबंधी व्यय Training and Recruitment Expenses		92		74
विधि संबंधी व्यय Legal Expenses		17		3
प्रोफेशनल एवं परामर्श संबंधी प्रभार Professional and Consultancy Charges		66		53
संचार व्यय Communication Expenses		76		65
प्रिटिंग एवं स्टेशनरी Printing & Stationery	43		37	
घटाएं : निविदा दस्तावेजों की बिक्री से प्राप्त राशि Less: Receipts from Sale of Tenders	2		1	
		41		36
लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक Remuneration to Auditors (अनुसूची-15 से अंतरित) (Transferred from Schedule-15)		2		4
विज्ञापन एवं प्रचार Advertisement & Publicity		85		100
ईडीपी व्यय EDP Expenses		22		15
आतिथ्य सत्कार संबंधी व्यय Entertainment Expenses		11		10
ट्रांजिट कैम्पों पर व्यय Expenses on Transit Camps		33		40
पुस्तकें एवं पत्रिकाएं Books & Periodicals		5		5

अनुसूची-19
Schedule - 19
निर्माण के दौरान व्यय
EXPENDITURE DURING CONSTRUCTION

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2009		31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2008	
दान Donations		102		----
सामाजिक कल्याण संबंधी व्यय Social Welfare Expenses		4		1
मूल्यह्रास Depreciation		293		327
अचल परिसंपत्तियों को बट्टे खाते डालने/उनके निपटान पर हानि Loss on Disposal/Write off of Fixed Assets		----		2
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण Bad and Doubtful Debts		----		3
बट्टाकृत उधार/अग्रिम Debts/ Advances Written Off		1		----
विनिमय दर में भिन्नता Exchange Rate Variation	3,444			
घटाएँ : ब्याजगत लागत के समायोजन के तौर पर विनिमय अन्तर Less: Exchange Difference regarded as adjustment to interest cost	1,547	1,897		(15)
निदेशकों की सिटिंग फीस Directors Sitting Fees		2		----
कराधान हेतु प्रावधान (एफबीटी) Provision for Taxation (FBT)		65		68
अन्य Others		5		6
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी व्यय Environment & Ecology Expenses		50		1
विविध व्यय Miscellaneous Expenses		57		26
कुल व्यय **TOTAL EXPENSES**		10,375		6,190
ब्याज एवं वित्त प्रभार **INTEREST AND FINANCE CHARGES**				
विश्व बैंक से ऋण पर On Loan from World Bank	1,010		----	
अन्य Others	136		43	
	1,146		43	
घटाएँ : सीडब्ल्यूआईपी में आबंटित Less: Allocated to CWIP	1,010	136	----	43
योग **TOTAL**		10,511		6,233
घटाएँ : प्राप्तियाँ एवं उगाहियाँ **LESS RECEIPTS AND RECOVERIES**				
निम्न से ब्याज Interest from:-				
बैंक Banks	137		----	
कर्मचारी Employees	13		6	
ठेकेदार Contractors	----		6	
	150		12	
विविध आय Miscellaneous Income	23		11	
योग **TOTAL**		173		23
पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध) **Prior Period Adjustments (Net)** (अनुसूची-18 से अंतरित) (Transferred from Schdule -18)		19		(369)
शुद्ध व्यय (अनुसूची-6 में अंतरित) **NET EXPENDITURE** (Transferred to Schedule-6)		10,357		5,841

अनुसूची-20
Schedule - 20

लेखा संबंधी नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ संबंधित लेखों का एक भाग है।

क. लेखा संबंधी नीतियाँ

1.0 लेखा प्रणाली

1.1 वित्तीय विवरण प्रोद्‌भवन आधार पर ऐतिहासिक लागत प्रथा के अनुसार, जब अन्यथा न बताया गया हो, विवेकशीलता, संगतता और वस्तुगतता के मौलिक लेखागत सिद्धांतों के मुताबिक तैयार किए गए हैं।

1.2 वित्तीय विवरण भारतीय रूपए में व्यक्त किए गए हैं और सभी मूल्यों, जब अन्यथा न बताया गया हो, को निकटतम लाख रुपए में दर्शाया गया है।

2.0 अनुपालन संबंधी वक्तव्य

वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखागत सिद्धांतों और कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के मुताबिक तैयार किए गए हैं।

3.0 अचल परिसंपत्तियाँ

3.1 अचल परिसंपत्तियाँ संचित मूल्यह्रास तथा मूल्य में किसी भी हानि को घटाकर मूल लागत में दर्शाई गई हैं। जहां ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निबटान लंबित/विवादाधीन है, वहां उन्हें अंतिम निपटान के वर्ष में जरूरी समायोजन के अध्यधीन आकलित/अस्थायी आधार पर पूंजीगत किया गया है।

3.2 कंपनी से असंबद्ध भूमि पर सृजित अचल परिसंपत्तियों को अचल परिसंपत्तियों में डाला गया है।

3.3 कंपनी की स्वामित्व रहित परिसंपत्तियों संबंधी पूंजीगत व्यय को चल रहे पूंजीगत कार्यों/चल परिसंपत्तियों में एक विशिष्ट मद के रूप में डाला गया है।

3.4 भूमि संबंधी प्रतिपूर्ति एवं अन्य व्यय के तौर पर की गई अस्थायी अदायगियों को भूमि की लागत में डाला गया है।

3.5 क्षतिपूरक वनीकरण, भूसंरक्षण तथा पुनः वनीकरण के लिए वनभूमि के प्रति किए गए खर्च को 'प्रतिपूरक वन्यीकरण पर हुए अमूर्त परिसंपत्ति संबंधी व्यय' के रूप में दर्शाया गया है तथा इसे उपयोग की संभावित अवधि में मूल्यह्रास के माध्यम से प्रो-राटा आधार पर प्रभारित किया गया है।

3.6 उन परिसंपत्तियों तथा प्रणालियों जो एक से अधिक उत्पादन-इकाईयों के लिए समान रूप से लागू हैं, को इंजीनियरिंग के आकलनों/मूल्यांकनों के आधार पर पूंजीगत किया गया है।

3.7 अधिशेष घोषित निर्माण उपस्करों को बही मूल्य तथा शुद्ध उगाहनीय मूल्य से कम दर्शाया गया है।

4.0 मशीनरी स्पेयर्स

4.1 संयंत्र एवं मशीनरी के साथ या अनुवर्ती रूप से प्राप्त किए गए मशीनरी स्पेयर्स, जिन्हें नियमित रूप से उपयोग में लाए जाने की संभावना नहीं है, को पूंजीगत कर संबंधित प्लांट एवं मशीनरी के जीवन काल तक पैरा 4.2 में यथा बताए गए के सिवाए उनका पूर्ण मूल्यह्रास किया जाता है।

4.2 मशीनरी स्पेयर्स की लागत/डब्ल्यूडीवी उस वर्ष के राजस्व में पूर्णतः प्रभार्य है, जिसमें ऐसे स्पेयर्स बदले गए हैं (ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें निकाले गए स्पेयर्स मरम्मत के बाद उपयोग योग्य थे)।

4.3 इन्वेंटरी के हिस्से के रूप में अन्य स्पेयरों को खपत होने पर व्ययगत किया जाता है।

Accounting Policies & Notes forming part of Accounts

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1.0 SYSTEM OF ACCOUNTING

1.1 The financial statements are prepared according to the historical cost convention on accrual basis and in line with the fundamental accounting principles of prudence, consistency and materiality except when otherwise stated.

1.2 The financial statements are reported in Indian rupees and all values are rounded to the nearest lakh except when otherwise stated.

2.0 STATEMENT OF COMPLIANCE

The financial statements are prepared on the basis of generally accepted accounting principles in India and the provisions of Companies Act, 1956.

3.0 FIXED ASSETS

3.1 Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation and any impairment in value. Where final settlement of bills with contractors is pending/under dispute, capitalization is done on estimated/provisional basis subject to necessary adjustment in the year of final settlement.

3.2 Fixed Assets created on land not belonging to the Company are included under Fixed Assets.

3.3 Capital expenditure on assets not owned by the Company is reflected as a distinct item in Capital Work-in-Progress / Fixed Assets.

3.4 Payments made provisionally towards compensation and other expenses relatable to land are treated as cost of land.

3.5 Expenditure incurred for compensatory afforestation, soil conservation and re-forestation towards forest land is shown as "Intangible Assets-Expenditure on compensatory afforestation" and is amortized pro-rata through depreciation over the period of likely use.

3.6 Assets and systems common to more than one generating unit are capitalized on the basis of engineering estimates/assessments.

3.7 Construction equipments declared surplus are shown at lower of book value and net realisable value.

4.0 MACHINERY SPARES

4.1 Machinery spares procured along with the Plant & Machinery or subsequently and whose use is expected to be irregular are capitalized and depreciated fully over the residual useful life of the related plant and machinery except as stated as para 4.2.

4.2 Cost / WDV of Machinery Spares is fully charged to revenue in the year in which such spares are replaced except in cases where retrieved spares have useful life after repairs.

4.3 Other spares forming part of inventory are expensed when consumed.

5.0 चल रहे पूंजीगत कार्य

5.1 आपूर्ति-सह-उत्थापन ठेकों के संबंध में परियोजना स्थल/निर्माण भण्डार में प्राप्त एवं स्वीकृत आपूर्तियों को चल रहे पूंजीगत कार्यो के रूप में माना जाता है।

5.2 कारपोरेट कार्यालय तथा निर्माणाधीन/सर्वेक्षण एवं अन्वेषणाधीन परियोजनाओं में चल संपत्तियां बनाने के रूप में माने गए प्रशासनिक एवं अन्य सामान्य ओवरहैड व्यय भूमि, आधारभूत ढांचे तथा परियोजनाओं की कमीशनिंग पर प्रदर्शित की गई मदों को छोड़कर मुख्य अचल परिसंपत्तियों में व्यवस्थित आधार पर चिन्हित एवं आबंटित किया जाता है। हालांकि कारपोरेट कार्यालय संबंधी ऐसे व्ययों का बूट आधार (बनाओ, स्वामित्व लो, चलाओ और हस्तांतरित करो) ली गई परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन लाइसेंस दिए जाने की तिथि तक कोई आबंटन नहीं किया जाता।

5.3 परियोजनाओं के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संबंधी व्यय को चल रहे पूंजीगत कार्य माना जाता है और इन्हें परियोजना निर्माण कार्य पूरा होने पर परियोजना लागत के रूप में पूंजीगत किया जाता है या इसे उस वर्ष में व्ययगत किया जाता है, जिसमें ऐसी परियोजना को छोड़ने का निर्णय लिया जाता है।

5.4 "डिपॉजिट वर्क्स" के प्रति भुगतानों का लेखा-जोखा ठेकेदारों से प्राप्त एवं निगम द्वारा स्वीकृत खाता विवरणों के आधार पर किया जाता है। तथापि, इसके लिए जहाँ जरूरी समझा जाए, प्रावधान किया जाता है।

5.5 ठेके के संबंध में दावों के लिए मूल्य भिन्नता/विनिमय दरों में भिन्नता संबंधी भिन्नताओं को स्वीकृति के आधार पर परिकलित किया जाता है ।

6.0 मूल्यह्रास एवं परिशोधन

6.1 मूल्यह्रास केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों के अनुसरण द्वारा स्ट्रेट लाईन मेथड से परिसंपत्तियों की लागत की 90% की हद तक प्रभारित किया जाता है। जिन परिसंपत्तियों के लिए सीईआरसी के विनियमनों द्वारा दरें अधिसूचित न हों, मूल्यह्रास संबंधी प्रावधान आयकर अधिनियम,1961 में विहित दरों के अनुरूप दरों पर स्ट्रेट लाईन तरीके से किया जाता है (कंप्यूटरों एवं परिफेरल संबंधी मामलों को छोड़कर, जहाँ इसे 25% वार्षिक की दर से मूल्यह्रासित किया जाता है)।

6.2 मूल्यह्रास परिसंपत्ति उपयोगार्थ उपलब्ध होने वाले महीने से आनुपातिक आधार पर किया जाता है।

6.3 अधिशेष/अप्रयुक्त घोषित परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान इस प्रकार की घोषणा के महीने के अंत तक किया गया है।

6.4 रु.5000/- या इससे कम मूल्य की परिसंपत्तियाँ प्रापण के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित की जाती हैं।

6.5 सॉफ्टवेयर संबंधी व्यय को "अमूर्त परिसंपत्ति" माना गया है, जिसका चार वर्ष में परिशोधन किया जाता है।

6.6 जहां कंही भी मूल्यह्रासित परिसंपत्तियों में विनिमय संबंधी उतार-चढ़ाव तथा ड्यूटी अथवा इसी तरह के अन्य कारणों की वजह से वर्ष के दौरान दीर्घकालीन दायित्वों की दृष्टि से बदलाव हुए हैं, वहां पर मूल्यह्रास की दर के आधार पर निश्चित की गई इस प्रकार की परिसंपत्तियों का आशोधित गैर-परिशोधित शेष संभावित रूप से पूरे

5.0 CAPITAL WORK-IN-PROGRESS

5.1 In respect of supply-cum-erection contracts, the value of supplies received at site/construction store and accepted is treated as Capital Work-in-Progress.

5.2 Administration and Other General Overhead expenses at the Corporate Office and Projects under Construction / Survey & Investigation attributable to construction of fixed assets are identified and allocated on systematic basis on major immovable assets other than land, infrastructure and bought out items on commissioning of Projects. However, no allocation of such expenses pertaining to Corporate Office is made on projects taken on BOOT (Build, Own, Operate & Transfer) basis till the date of grant of generation license.

5.3 Expenditure on Survey and Investigation of the Projects is carried as capital work in progress and capitalized as cost of Project on completion of construction of the Project or the same is expensed in the year in which it is decided to abandon such project.

5.4 Expenditure against "Deposit Works" is accounted for on the basis of statement of account received from the concerned agency and acceptance by the Company. However, the provision is made wherever considered necessary.

5.5 Claims for price variation /exchange rate variation in case of contracts are accounted for on acceptance.

6.0 DEPRECIATION AND AMORTISATION

6.1 Depreciation is charged on straight-line method to the extent of 90% of the Cost of Asset following the rates notified by the Central Electricity Regulatory Commission (CERC) for the purpose of fixation of tariff. In respect of assets, where rate has not been notified by regulations by the CERC, depreciation is provided on straight line method at the rates corresponding to the rates laid down under the Income Tax Act, 1961, except in case of computers and peripherals where it is depreciated @ 25% p.a.

6.2 Depreciation is provided on pro rata basis from the month in which the asset becomes available for use.

6.3 Depreciation on assets declared surplus/obsolete is provided till the end of the month in which such declaration is made.

6.4 Assets costing Rs. 5000/- or less are depreciated fully in the year of procurement.

6.5 Expenditure on software is recognized as "Intangible Asset" and amortized fully over four years.

6.6 Where the cost of depreciable assets has undergone a change during the year due to increase/decrease in long term liability on account of exchange fluctuation, change in duties or similar factors, the revised unamortized balance of such assets is depreciated prospectively over the residual life.

अवशिष्ट जीवन हेतु मूल्यह्रास को सुनिश्चित किया गया है। मामलों के निबटारे की वजह से मौजूदा परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि/कमी पर मूल्यह्रास पूर्व-प्रभाव रूप से प्रभारित किया जाता है।

6.7 नीति सं. 3.3 में संदर्भित पूंजीगत व्यय का परिशोधन चार वर्षों में उस वर्ष से, जिनमें परियोजना की प्रथम इकाई का वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ हुआ तथा उसके बाद उस वर्ष से जिसमें संबंधित परिसंपत्तियाँ उपयोग हेतु उपलब्ध हुई, किया गया है। तथापि, प्रचालनाधीन परियोजना के मामले में ऐसे खर्चे, जो सामुदायिक विकास हेतु किए जाते हैं, उन्हें राजस्व के प्रति प्रभारित किया जाता है।

6.8 लीजहोल्ड भूमि लीज की अवधि तक मूल्यह्रास किए जाने के जरिए यथानुपात परिशोधित की गई है।

6.9 निर्माण के दौरान बांध सहित आवाह क्षेत्र सुधार योजना (कैट) पर होने वाला व्यय पूंजीगत किया गया है। ओ.एण्ड एम. अवस्था के दौरान ऐसे व्यय को इसके घटित होने वाले वर्ष के राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

7.0 पूंजी निवेश

7.1 दीर्घावधि पूंजी निवेश का मूल्य लागत में से मूल्य में स्थायी कमी के लिए किए गए प्रावधान को घटाकर तय किया गया है।

7.2 वर्तमान पूंजी निवेश का मूल्य लागत से नीचे एवं उचित मूल्य पर तय किया गया है।

8.0 संपत्ति सूची

8.1 संपत्ति सूची का मूल्य भारित औसत आधार तथा शुद्ध उगाहनीय मूल्य पर निकली लागत से नीचे तय किया गया है।

8.2 वर्ष के दौरान जारी अबद्ध औजारों को उपभोज्य शीर्ष के अंतर्गत प्रभारित किया गया है।

8.3 प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए इशू किए गए स्टोर, जो परियोजना स्थल पर अप्रयुक्त पड़े हैं, इन्वेंटरी का हिस्सा माने जाते हैं।

9.0 विदेशी मुद्रा-कारोबार

9.1 विदेशी मुद्रा कारोबार को प्रारंभिक चरण में सौदों की तिथि को लागू दरों पर रिकार्ड किया जाता है। विदेशी मुद्रा में दर्शित मौद्रिक मदों का तुलन-पत्र तिथि को लागू विनिमय दरों पर वर्ष के अंत में पुनर्निर्धारण किया जाता है।

9.2 विनिमय अंतरों को (एएसआई-10 के साथ पठित एएस-16 के अनुसार ऋणपरक लागत के प्रति समायोजन मानी गई हद को छोड़कर) प्रचालित परियोजनाओं के मामले में जिस वर्ष के दौरान ये घटित होते हैं तथा निर्माणाधीन परियोजना के मामले में ईडीसी में आय या व्यय के रूप में माना गया है। तथापि, अचल परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्यों से संबंधित अंतरों, जो 01.04.2004 से पहले हुए कारोबार के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए हैं (उन अंतरों के अतिरिक्त जिन्हें ऋणपरक लागत माना गया है), को अचल परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्यों की वर्तमान लागत में समायोजित किया गया है।

10.0 ऋण लागत

निर्माण/मरम्मत तथा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के दौरान अचल परिसंपत्तियों के प्रति ऋण लागतें पूंजीगत की गई हैं। अन्य ऋण लागतों को (उस अवधि में, जिसमें वे वास्तव में खर्च की गई हैं), व्यय के रूप में स्वीकृत किया गया है।

11.0 आय

11.1 ऊर्जा की बिक्री केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित टैरिफ के आधार पर की जाती है। विभिन्न विदेशी मुद्रा से जुड़े विदेशी मुद्रा ऋणों की वसूली/वापसी तथा सीईआरसी की

Depreciation on increase/decrease in the value of existing assets on account of settlement of disputes is charged retrospectively.

6.7 Capital Expenditure referred to in Policy No. 3.3 is amortized over a period of four years starting from the year in which the first unit of the project comes into commercial operation and thereafter from the year in which the relevant asset becomes available for use. However, such expenditure for community development in case of projects under operation is charged off to revenue.

6.8 Leasehold land is amortized pro-rata through depreciation over the period of lease.

6.9 Expenditure on Catchment Area Treatment (CAT) Plan during construction is capitalized along with dam. Such expenditure during O&M stage is charged to revenue in the year of incurrence of such expenditure.

70. INVESTMENTS

7.1 Long Term Investments are valued at cost less provision for permanent diminution in value.

7.2 Current Investments are valued at lower of cost and fair value.

8.0 INVENTORIES

8.1 Inventories are valued at the lower of cost arrived at on weighted average basis and net realizable value.

8.2 Loose tools issued during the year are charged to consumption.

8.3 Stores issued for operation and maintenance but lying unused at site are treated as part of inventory.

9.0 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

9.1 Foreign currency transactions are initially recorded at the rates of exchange ruling at the date of transaction. Monetary items denominated in foreign currency are restated at the year end at exchange rates prevailing on the Balance Sheet date.

9.2 Exchange differences, except to the extent considered as adjustment to borrowing cost as per AS-16 read with ASI-10, are recognized as income or expense in the period in which they arise in case of operating projects and to EDC in case of projects under construction. However, the differences relating to Fixed Assets/Capital Works-in-Progress arising out of transactions entered into prior to 01.04.2004 over & above those considered as borrowing cost are adjusted to the carrying cost of Fixed Assets/Capital Work-in-Progress.

10.0 BORROWING COSTS

Borrowing costs attributable to fixed assets during construction/renovation and modernization are capitalized. Other borrowing costs are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

11.0 INCOME

11.1 Sale of energy is accounted for based on tariff approved by the Central Electricity Regulatory Commission (CERC). Recovery/refund towards foreign currency variation in respect of foreign

अधिसूचना के अनुसार लाभग्राहियों से वसूल किए गए आयकर का वर्ष-प्रति-वर्ष के आधार पर आकलन किया गया है।

11.2 केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित मापदण्डों के आधार पर प्रोत्साहन/गैर-प्रोत्साहन का परिकलन किया जाता है।

11.3 ऋणों के पुनर्भुगतान की दृष्टि से मूल्यह्रास की एवज में लिए अग्रिम, जो टैरिफ का एक हिस्सा है, को विक्रय की राशि में से घटा दिया गया है तथा आस्थगित राजस्व के रूप में मानते हुए इसे आगे के वर्षों की बिक्री में सम्मिलित किया जाना है।

11.4 ऊर्जा की बिक्री हेतु विभिन्न कर्जदारों के द्वारा देरी से किए गए भुगतान/अतिदेय राशि पर लगने वाले सरचार्ज को, उसकी प्राप्ति होने या जब वसूली की समुचित निश्चितता होने पर ही उसका परिकलन किया जाता है।

11.5 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा लिए गए अग्रिमों पर वसूली योग्य ब्याज तथा ठेकेदारों/आपूर्तिकर्त्ताओं के विवादाधीन अन्य दावों को, इनकी प्राप्ति होने के पश्चात् ही इनका परिकलन किया जाता है।

11.6 परामर्शक सेवाओं से होने वाली आय को वास्तविक प्रगति/निष्पादित कार्य के तकनीकी मूल्यांकन अथवा लागत की प्रतिपूर्ति या संबंधित परामर्शक सेवाओं की शर्तों के अनुरूप प्रतिपूर्ति किए गए लागतों के आधार पर परिकलित किया जाता है ।

12.0 कर्मचारी लाभ

उपदान, छुट्टी के नकदीकरण, अवकाश यात्रा रियायत तथा सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ संबंधी प्रावधान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के वर्षांत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किए जाते हैं। भविष्य निधि संबंधी देयता का आकलन प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

13.0 विविध

13.1 बीमा दावों की गणना बीमाकर्त्ता द्वारा इन दावों को प्राप्त/स्वीकार किए जाने वाले वर्ष में की जाती है।

13.2 रु.50000/- एवं इससे कम मूल्य की मदों के पूर्व प्रदत्त व्यय और पूर्व कालिक व्यय/आय को भुगतान/प्राप्ति वाले वर्ष में नेचुरल लेखा-शीर्ष में प्रभार्य किया जाता है।

13.3 कंपनी के विरूद्ध दावों की देयता कंपनी द्वारा स्वीकार किए जाने/मध्यस्थ द्वारा दिए गए अवार्ड की प्राप्ति पर मान्य होगी और शेष दावे को, ठेकेदार द्वारा विवादित/न माने जाने पर आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया जाता है। मध्यस्थता अवार्ड की अवस्था से पहले के दावे आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाए जाते हैं।

14.0 आय पर कर

आय पर कर आयकर अधिनियम,1961 के तहत कर-योग्य आय के आधार पर तय किया जाता है। आयकर का संबंध, जिस सीमा तक मुख्य कार्यकलाप अर्थात् बिजली उत्पादन से है, उस सीमा तक तत्संबंधी दायित्व लाभग्राहियों पर डाला जाता है।

आस्थगित कर तुलन-पत्र की तिथि को अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों तथा कानूनों के आधार पर तय किया जाता है।

currency loans and recovery towards income tax from beneficiaries as per CERC notification is accounted for on year to year basis.

11.2 The incentives /disincentives are accounted for based on the norms notified/approved by the Central Electricity Regulatory Commission.

11.3 Advance against depreciation, forming part of tariff to facilitate repayment of loans, is reduced from sales and considered as deferred revenue to be included in the sales in subsequent years.

11.4 The surcharge on late payment/overdue sundry debtors for sale of energy is accounted for on receipt basis or when there is reasonable certainty of realisation.

11.5 Interest recoverable on advances to contractors/suppliers and other claims from contractors/suppliers under dispute are accounted for on receipt/ acceptance.

11.6 Income from consultancy services is accounted for on the basis of actual progress / technical assessment of work executed or costs reimbursable, in line with the terms of respective consultancy contracts.

12.0 EMPLOYEE BENEFITS

Provision for gratuity, leave encashment, leave travel concession and post retirement benefits is made on the basis of actuarial valuation at the end of financial year. Provident fund liability is accounted for on accrual basis.

13.0 MISCELLANEOUS

13.1 Insurance claims are accounted for in the year of receipt/acceptance by the insurer/certainty of realisation.

13.2 Prepaid and prior period expenses/income of items of Rs.50, 000/- and below are charged to natural heads of accounts in the year of payment/receipt.

13.3 Liability for claims against the Company is recognized on acceptance by the Company/receipt of award by the Arbitrator and the balance claim, if disputed/ contested by the contractor is shown as contingent liability. The claims prior to Arbitration award stage are disclosed as contingent liability.

14.0 TAXES ON INCOME

Taxes on income are determined on the basis of taxable income under the Income Tax Act, 1961. Income Tax is a pass-through to beneficiaries to the extent relatable to core activity i.e. Generation of electricity.

Deferred tax is recognized using the tax rates and laws enacted or substantively enacted as on the balance sheet date.

अनुसूची-20
Schedule - 20

लेखा संबंधी नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ संबंधित लेखों का एक भाग है।

ख. लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

1. क. निम्नलिखित के संबंध में कंपनी के विरूद्ध दावों को ऋण के रूप में नहीं दर्शाया गया है :-

i. पूंजीगत कार्य:
रु.34423 (पिछले वर्ष रु.88414 लाख)
उक्त राशि में एनजेएचपीएस के संबंध में ठेकेदारों द्वारा किए गए दावों की रु.30544 लाख (पिछले वर्ष रु.83026 लाख) की राशि शामिल है। विवाद समीक्षा मण्डलों (डीआरबी)/अतिरिक्त विवाद समीक्षा मण्डलों (एडीआरबी) ने जहां कहीं भी राशि की संस्तुति की है, वह ठेकेदारों द्वारा किए गए दावों की राशि से काफी कम है, जिसके कारण ब्याज तथा बढ़ोत्तरी से बनने वाले दावों को आकस्मिक देयता में शामिल नहीं किया गया है।

ii. भू-क्षतिपूर्ति:
रु.1449 लाख (पिछले वर्ष रु.2297 लाख)

iii. सेवा कर की विवादित मांग:
रु.1236 लाख (पिछले वर्ष शून्य)

iv. अन्य:
रु.34 लाख (पिछले वर्ष रु.35 लाख)

ख. सेवा एवं अन्य ऐसे मामलों, जिनमें राशि का निर्धारण नहीं हो सकता, के संबंध में लंबित मसलों से संबंधित दावों को उक्त आकस्मिक देयताओं में शामिल नहीं किया गया है।

ग. आउटफ्लो का निर्धारण करना और प्रतिपूर्ति की कोई संभावना व्यवहारणीय नहीं है।

2. पूंजीगत लेखे में निष्पादित किए जाने बकाया ठेकों, जिनके लिए प्रावधान नहीं रखा गया है, की आकलित राशि (अग्रिम राशियों सहित) रु.125295 लाख (पिछले वर्ष रु.87355 लाख) है।

3. भारत सरकार ने नाथपा झाकड़ी जलविद्युत स्टेशन (एनजेएचपीएस) के 8187.71 करोड़ रुपए राशि के संशोधित लागतगत आकलन (आरसीई-III) को अनुमोदित किया है। आरसीई-III के अनुमोदनापंरात निपटाए गए मध्यस्थता अवार्डों एवं न्यायालयी अवार्डों और निपटानाधीन मामलों की राशियां इस राशि में सम्मिलित नहीं हैं। लागतगत अनुमान को और संशोधित करने संबंधी प्रस्ताव यथा समय भारत सरकार के सम्मुख रखा जाएगा।

4. 220 लाख रुपए राशि की (पिछले वर्ष 1121 लाख रुपए) 01-18-59 हैक्टेयर (पिछले वर्ष 14-71-20 हैक्टेयर) क्षेत्रफल वाली जमीन तथा 15 लाख रुपए (पिछले वर्ष 15 लाख रुपए) के सकल ब्लाक वाले भवनों की टाइटल डीडें/टाइटल अभी निष्पादित /पारित किए जाने हैं। पंजीकरण से संबंधित स्टांप ड्यूटी इत्यादि संबंधी व्यय घटित होने पर लेखागत किए जाएंगे।
01-07-76 हैक्टेयर (पिछले वर्ष 01-12-71 हैक्टेयर जमीन अभी भी कंपनी के नाम की जानी है।

5. हिमाचल प्रदेश सरकार तथा कंपनी के मध्य हुए करार के अनुसार लूहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण हिमाचल प्रदेश सरकार एवं एसजेवीएनएल की शेयरहोल्डिंग से एक एसपीवी के जरिए किया जाएगा। कंपनी द्वारा इस परियोजना का निर्माण किए जाने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है। इस मामले/एसपीवी के गठन के बारे में निर्णय होने तक, परियोजना के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संबंधी कार्यों पर व्यय हुई 4184 लाख रुपए (गत वर्ष 2701 लाख रुपए) की राशि को बतौर चल परिसंपत्ति एवं प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य दिखाया गया है।

Accounting Policies & Notes forming part of Accounts

B. NOTES ON ACCOUNTS

1.a. Claims against the Company not acknowledged as debt in respect of :

i. Capital Works:
Rs. 34423 lakh (Previous Year Rs. 88414 lakh)
The above includes Rs. 30544 lakh (Previous Year Rs. 83026 lakh) representing the amount of basic claims by the contractors of NJHPS. Since the amount, wherever recommended by the Dispute Review Boards (DRBs)/Additional Dispute Review Boards (ADRBs) are much less than the amount claimed by the contractors, the claims on account of interest and escalation have not been included in the contingent liability.

ii. Land Compensation:
Rs. 1449 lakh (Previous Year Rs 2297 lakh)

iii. Disputed Service Tax Demand:
Rs.1236 lakh (Previous Year NIL)

iv. Others:
Rs. 34 lakh (Previous Year Rs. 35 lakh)

b. The above contingent liabilities do not include claims against pending cases in respect of service matters and others where the amount cannot be quantified.

c. It is not practicable to work out the outflow and possibilities of any reimbursement.

2. Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account net of advances and not provided for Rs. 125295 lakh (Previous Year Rs. 87355 lakh).

3. The revised cost estimate (RCE -III) of Nathpa Jhakri Hydro Power Station (NJHPS) has been approved by the Govt. of India at Rs.8187.71 crore. This does not include the amount of Arbitration Awards / Court Awards settled after the approval of RCE - III and under settlement. The proposal for further revision of the Cost Estimate shall be submitted to the Govt. after inclusion of the above in due course.

4. Title deeds/ title in respect of land amounting to Rs. 220 lakh (Previous Year Rs. 1121 lakh) covering an area of 01-18-59 hectare (Previous Year 14-71-20 hectare) and buildings having Gross Block of Rs. 15 lakh (Previous Year Rs. 15 lakh) are yet to be executed/passed. Expenses on stamp duty etc. relating to registration shall be accounted for as and when incurred.
Possession of land measuring 01-07-76 hectare (Previous Year 01-12-71 Hectare) is still to be handed over to the Company.

5. As per the agreement between GoHP and the Company, Luhri Hydroelectric Project shall be executed by an SPV with the shareholding of GoHP and SJVNL. A proposal for execution of this project by the Company itself is under consideration. Pending decision on this matter/formation of SPV, expenditure of Rs. 4184 lakh (Previous year Rs. 2701 lakh) incurred on survey and investigation of the project has been shown as fixed assets and capital work in progress. The expenditure amounting to

सर्वेक्षण एवं अन्वेषणाधीन अन्य परियोजनाओं पर खर्च हुई 4482 लाख रुपए (गत वर्ष 997 लाख रुपए) की राशि को भी बतौर चल परिसंपत्ति एवं प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य दिखाया गया है।

6. विभिन्न कर्जदारों एवं बिक्री में वित्तीय वर्ष के बाद उगाही गई 17666 लाख रुपए (गत वर्ष 9419 लाख रुपए) के बिलों की राशि शामिल है। चालू वर्ष की बिक्री में कर संबंधी 2826 लाख रुपए (गत वर्ष (-) 2597 लाख रुपए) की राशि भी शामिल है, जिसका बिल अभी तैयार किया जाना है।

7. चल परिसंपत्तियों संबंधी मूल्यह्रास कंपनी की मुख्य लेखागत नीति सं.6 (अनुसूची-20) के मुताबिक प्रभारित है। विद्युत मंत्रालय द्वारा पहले ही अधिसूचित टैरिफ नीति में यह प्रावधान है कि टैरिफ के उद्देश्य के साथ-साथ लेखाकरण के उद्देश्य के लिए सीईआरसी द्वारा मूल्यह्रास की यथा अधिसूचित दर लागू होगी। सीईआरसी द्वारा मूल्यह्रास संबंधी यथा अधिसूचित संशोधित दरें दिनांक 01.04.2009 से लागू कर दी गई हैं। इस वर्ष के लिए प्रभारित मूल्यह्रास तदनुसार मौजूदा टैरिफ संबंधी मानदण्डों के तहत अधिसूचित दरों पर आधारित है। कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के तहत परिकलित करने पर वर्ष के लिए मूल्यह्रास की राशि सीईआरसी दरों के मुताबिक परिकलित राशि से 17939 लाख रुपए अधिक (गत वर्ष 12730 लाख रुपए) बनती है। हालांकि, प्रबंधन का यह मानना है कि लेखा संबंधी समतुल्यता की संकल्पना के आलोक में मूल्यह्रास के लिए बहियों में किया गया प्रावधान उचित एवं यथेष्ट है।

8. वर्ष 2004-05 से 2008-09 की अवधि संबंधी अंतिम टैरिफ आदेश वर्ष के दौरान प्राप्त हो गया है। तदनुसार, 31.03.2008 तक की अवधि के लिए 11734 लाख रुपए (शुद्ध) की राशि का बिल एरियर्स के रूप में बनाकर बिक्रियों मे शामिल किया गया है। इसी तरह, वर्ष के दौरान एरियर बिलिंग संबंधी क्रमशः प्राप्य एवं देय 10775 लाख रुपए एवं 5620 लाख रुपए राशियों के बिल भी बनाए गए हैं।

9. कंपनी में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों से संबंधित अवकाश वेतन/पेंशन अंशदान को उधारदाता संगठनों से प्राप्त हुई अस्थायी मांग के आधार पर अदा/प्रदान किया गया है। यदि कोई अंतर है तो उसे अंतिम मांग प्राप्त होने पर समायोजित किया जाएगा।

10. कर्मचारियों के दिनांक 01.01.2006/01.01.2007 से संशोधित वेतनमान क्रियान्वित होने तक, चालू वर्ष के लिए 4642 लाख रुपए (गत वर्ष 2094 लाख रुपए) राशि का प्रावधान निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) समेत किया गया है।

11. उपयोग किए जाने संबंधी प्रमाण-पत्र की प्राप्ति लंबित रहने तक, कैट योजना के तहत अभी तक अदा की गई 819 लाख रुपए (गत वर्ष शून्य) राशि का प्रावधान रखा गया है।

12. हिमाचल प्रदेश सरकार के दिनांक 18.12.2006 की अधिसूचना के मुताबिक जल विद्युत परियोजना निर्माणकर्त्ताओं को परियोजना की निर्माणावस्था के दौरान स्थानीय क्षेत्र विकास (एलएडी) के लिए परियोजना की लागत की 1.5% राशि बराबर सालाना किश्तों में देनी होगी। अतः जिले के अधिकारी इस अधिसूचना के तहत रामपुर जल विद्युत परियोजना (आरएचईपी) के लिए अदायगी की मांग कर रहे हैं। इस परियोजना के निर्माण संबंधी करार पर हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ हस्ताक्षर उक्त अधिसूचना आने से पहले हुए थे और कंपनी ने एक ऐसी योजना अनुमोदित की है, जिसके अन्तर्गत विश्व बैंक के साथ हुए ऋण अनुबंध (जिस पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी हस्ताक्षर किए हैं) के प्रावधानों के अनुसार उक्त अधिसूचना के अधीन

Rs. 4482 lakh (Previous year Rs. 997 lakh) incurred on other projects under survey and investigation has also been shown as fixed assets and capital work in progress.

6. Sundry Debtors and Sales include an amount of Rs. 17666 lakh (Previous Year Rs. 9419 lakh) towards bills raised after the end of the financial year. Sales for current year also include an amount of Rs. 2826 lakh (Previous year Rs. (-) 2597 lakh) towards income tax yet to be billed.

7. The depreciation on Fixed Assets is charged as per Significant Accounting Policy No. 6 (Schedule-20) of the Corporation. Ministry of Power (MOP) has already notified tariff policy which provides that rates of depreciation as notified by the Central Electricity Regulatory Commission (CERC) would be applicable for the purpose of tariff as well as accounting. The revised rates of depreciation as notified by CERC have been made applicable w.e.f. 01.04.2009. Accordingly, the rates notified under present tariff norms have been considered for charging depreciation for the year. The depreciation for the year as per rates prescribed under schedule XIV of the Companies Act, 1956 works out to Rs.17939 lakh more than that worked out as per CERC rates (Previous year Rs.12730 lakh). However, the Management considers the depreciation provided in the books as appropriate and adequate keeping in view matching concept of Accounting.

8. Final tariff order for the period 2004-05 to 2008-09 has been received during the year. Accordingly an amount of Rs.11734 lakh (net) has been billed as arrears for the period up to 31.03.2008 and included in sales. Similarly, an amount of Rs. 10775 lakh and Rs.5620 lakh on account of interest receivable and payable respectively on arrear billing, has also been billed during the year.

9. Leave Salary/Pension Contribution in respect of employees on deputation has been paid /provided on the basis of provisional demand received from the lending organizations. The difference, if any will be adjusted on receipt of final demand.

10. Pending implementation of wage revision of employees w.e.f.01.01.2006/01.01.2007, a provision of Rs. 4642 lakh (Previous year Rs.2094 lakh) inclusive of Performance Related Pay (PRP) has been made during the current year.

11. Pending receipt of utilization certificate, provision has been made for Rs. 819 lakh (Previous year NIL) paid till date under CAT Plan.

12. As per GoHP Notification dated 18.12.2006, the developers of hydroelectric projects are required to contribute 1.5% of the project cost for Local Area Development (LAD) in equal annual installments during construction period of the project. The District Authorities are, therefore, demanding payment under this notification for Rampur HE Project (RHEP). Since the agreement for implementation of this project was signed with the GoHP before the issue of above notification and the Company has approved plan to spend more than as required under the notification in terms of the provisions of Loan Agreement with the World Bank to

अपेक्षित व्यय से भी अधिक राशि खर्च की जाएगी। कंपनी ने हिमाचल प्रदेश सरकार से अपने रामपुर जल विद्युत परियोजना संबंधी निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है और उसके प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है। अधिसूचना के अनुसार कुल अपेक्षित 3071 लाख रुपए के व्यय की तुलना में कंपनी पहले ही 31.03.09 तक 1467.00 लाख रुपए की राशि व्यय कर चुकी है।

13. ठेकेदारों के कुछ दावे तथा कंपनी के प्रतिदावे विवाद/निपटान की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। हालांकि, लेखागत नीति सं.13.3 के अनुसार देयता चिह्नित कर ली गई है, परंतु यह निश्चित नहीं है कि ठेकेदारों को/से अंतिम रूप से कितनी राशि देय/उगाहनीय होगी। इस अनिश्चितता के रहते, आयकर संबंधी कटौतियाँ ठेकेदारों से अंतिम तौर पर निपटान हो जाने पर की जाएँगी।

14. कुछ मदों की अनुमोदित मात्राओं से अधिक निष्पादित मात्राओं और अतिरिक्त मदों पर हुए अस्थायी व्यय हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लंबित होने तक चालू पूंजीगत कार्यों में डाला गया है।

15. अग्रिमों, जमा राशियों, कर्जदाताओं के तहत दिखाई गई अधिशेष राशि, मार्गस्थ सामग्री/तीसरे पक्षों के पास पड़ी सामग्री पुष्टिकरण, समाधान एवं परिणामतः समायोजन, यदि हो, के अध्यधीन है।

प्रबंधन के मतानुसार वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों की सामान्य कारोबारी तरीके से वसूली करने पर मूल्य तुलन-पत्र में दिखाए गए उनके मूल्य से कम नहीं होगा।

16. वर्ष के दौरान लेखा संबंधी नीतियों में हुए बदलावों एवं वर्ष के लेखे पर उनका असर निम्नवत् है :

i. लेखागत नीति सं.4.2 - मशीनरी स्पेयर्स

निकाले गए एवं पुनउर्पयोग के लिए ठीक मशीनरी स्पेयर्स संबंधी लेखागत नीति आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति के मतानुसार आशोधित की गई है। परिणामतः मरम्मत एवं अनुरक्षण संबंधी व्यय 262 लाख रुपए बढ़ा है, मूल्यह्रास 5262 लाख रुपए कम हुआ है और लाभ 5000 लाख रुपए बढ़ा है।

ii. लेखागत नीति सं.5.2 - प्रशासनिक एवं अन्य सामान्य ओवरहेड व्ययों का आबंटन

आईसीएआई द्वारा जारी निर्माणावस्था के आकस्मिक व्ययों संबंधी मार्गदर्शी नोट के वापस ले लिए जाने के परिप्रेक्ष में लेखागत नीति बदल दी गई है। परिणामतः लाभ 2043 लाख रुपए कम हुआ है और ईडीसी भी इतनी ही बढ़ी है। इसके फलस्वरूप, कारपोरेट कार्यालयी व्यय बिजली की बिक्री की 1% की दर पर प्रचालित यूनिटों को आबंटित करने संबंधी पहले की लेखागत नीति छोड़ दी गई है।

17. कर्मचारियों के रिहायशी उपयोग, कार्यालयों, अतिथिगृहों एवं ट्रांजिट कैंपों के लिए भवनों की प्रचालित लीजों के रूप में कंपनी ने महत्वपूर्ण लीजिंग प्रबन्ध किए हैं। ये अनिरस्तनीय प्रबन्ध सामान्यतः पारस्परिक रूप से स्वीकार्य शर्तों पर आधारित पारस्परिक सहमति के अनुसार नवीनीकरण योग्य हैं। कर्मचारियों के रिहायशी भवनों संबंधी कर्मचारी वेतन एवं लाभों की अनुसूची में लीज अदायगी (वसूली रहित) के तौर पर 135 लाख रुपए (पिछले वर्ष 135 लाख रुपए) शामिल हैं। कार्यालय, अतिथिगृह एवं ट्रांजिट कैंपों संबंधी लीज अदायगियाँ उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय/निर्माणावस्था में व्यय (ईडीसी) संबंधी अनुसूची में किराए/किराया प्रभारों के रूप में दर्शाई गई हैं।

which GoHP is also a signatory, the Company has requested GoHP to reconsider its decision for RHEP on which their response is awaited. The Company has already incurred an amount of Rs.1467 lakh up to 31.03.09 as against the total requirement of Rs.3071 lakh as per the notification. In view of the above, no provision is considered necessary.

13. Some claims of the contractors and counter claims of the Company are under various stages of dispute/settlement. Although, the liability has been recognized in terms of Accounting Policy No. 13.3, there is no certainty about the amount which may become finally payable to/receivable from the contractors. In view of this uncertainty, deductions towards Income Tax shall be made on final settlement with the contractors.

14. Pending approval of the Competent Authority, provisional payments made towards executed quantities of some of the items beyond approved quantities as also for extra items, are included in Capital Works-in Progress.

15. Some of the balances shown under advances, deposits, creditors, material in transit/material lying with third parties are subject to confirmation, reconciliation and consequential adjustment, if any.

In the opinion of the management, the value of current assets, loans and advances on realization in the ordinary course of business, will not be less than the value at which these are stated in the Balance Sheet.

16. The changes in Accounting Policies during the year and their impact on the accounts for the year are as under:

i. Accounting Policy No. 4.2 - Machinery Spares

The Accounting Policy with regard to Machinery Spares retrieved and suitable for reuse has been modified in line with the opinion of Expert Advisory Committee of ICAI. This has resulted in increase of repair & maintenance expenses by Rs.262 lakh, decrease in depreciation by Rs. 5262 lakh and increase in profit by Rs.5000 lakh.

ii. Accounting Policy No. 5.2 - Allocation of Administration and Other General Overhead Expenses

Accounting Policy has been changed in view of withdrawal of Guidance Note on Incidental Expenditure during Construction (IEDC) issued by the ICAI. This has resulted in decrease in profit by Rs. 2043 lakh and increase in EDC by the same amount. Consequently earlier Accounting Policy relating to Allocation of Corporate Office Expenses @ 1% of sale of energy to the operating units have been deleted.

17. The Company's significant leasing arrangements are in respect of operating leases of premises for residential use of employees, offices, guesthouses & transit camps. These leasing arrangements, which are not non-cancellable, are usually renewable by mutual consent on mutually agreeable terms. The Schedule of Employees remuneration and benefits include Rs.135 lakh (Previous year Rs.135 lakh) towards leases payments, net of recoveries, in respect of premises for residential use of employee. Lease payments in respect of premises for offices, guest house & transit camps are shown as Rent/Hiring charges under Schedule of Generation, Administration and other expenses / Expenditure during Construction (EDC).

18. प्रबंधन का यह मानना है कि दिनांक 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार परिसंपत्तियों की हानि संबंधी लेखापरक मानक (एएस)-28 के प्रावधानों के तहत परिसंपत्तियों की हानि का कोई मामला नहीं बनता।

19. खण्डीय (सेगमेंट) रिपोर्टिंगः

निगम का प्रमुख कार्य बिजली उत्पादन करना है। कंपनी के अन्य कार्यों जैसे परामर्श सेवाएँ प्रदान करना, बिजनेस का हिस्सा नहीं है। कंपनी का एक विद्युत उत्पादन केन्द्र देश के अंदर अवस्थित है, अतः भौगोलिक खण्ड अप्रयोज्य हैं।

20. आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ

मदवार विवरण निम्नवत् हैः- (रूपए लाख में)

	31.03.2009	31.03.2008
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ		
i) कर उद्देश्य के लिए अस्वीकृत प्रावधान	285	126
ii) कर निर्धारण लिए आय के रूप में माने जाने वाले मूल्यह्रास के लिए अग्रिम	28869	-
योग	29154	126
घटाएँ: आस्थगित कर देयता बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	2519	349
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (देयता) (शुद्ध)	26635	(223)

21. विदेशी मुद्रा संबंधी उतार-चढ़ाव का वर्ष के दौरान प्रभाव निम्नवत् है :

रुपए लाख में

	वर्ष 2008-09 के लिए	वर्ष 2007-08 के लिए
(i) लाभ एवं हानि खाते में प्रभार्य राशि (मूल्यह्रास रहित)		
- एफईआरवी के रूप में	724	130
- ऋणपरक लागत के रूप में	971	1308
(ii) निर्माण के दौरान व्यय में प्रभार्य राशि		
- एफईआरवी के रूप में	1897	(15)
- ऋणपरक लागत के रूप में	1547	-
(iii) चालू पूंजीगत कार्यों में प्रभार्य राशि (एफईआरवी के रूप में)	-	-
(iv) अचल परिसंपत्तियों की कैरिंग राशि में जोड़कर समायोजित राशि	913	-
(v) फारवर्ड एक्सचेंज संविदाओं संबंधी विनिमय अंतर की राशि	शून्य	शून्य

22. "कर्मचारियों हेतु लाभ" संबंधी एएस-15 के प्रावधानों के तहत विवरण

चालू वर्ष के लिए दिनांक 31.03.2009 तक किए गए प्रोद्भूत मूल्यांकन का इस्तेमाल करके कर्मचारियों के लाभ संबंधी प्रावधान किए गए हैं। 31.03.2009 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए "कर्मचारी संबंधी लाभों" से संबंधित लेखागत मानक 15 के प्रावधानों के तहत तदनुसार विवरण निम्नवत है :-

सारणी 1 : निम्नलिखित तिथियों को बीमांकिक मूल्यांकन हेतु मुख्य बीमांकिक अभिकल्पनाएँ :

विवरण	31.03.2009	31.03.2008
मर्त्यता सारणी	विधिवत एलआईसी (1994-96) संशोधित	विधिवत एलआईसी (1994-96) संशोधित
छूट दर	7%	8%
भविष्य में वेतनगत वृद्धि	4.5%	5.5%

18. The Management is of the opinion that no case of impairment of assets exists under the provisions of Accounting Standard (AS) - 28 on impairment of assets as on 31.03.2009.

19. Segment reporting:

Electricity generation is the principal business activity of the Company. Other operations viz., consultancy services do not form a reportable business segment. The Company has one operating station located within the country and therefore, geographical segments are not applicable.

20. Deferred Tax Asset /Liability

The item-wise details are as under: Rs. in lakh

	31.03.2009	31.03.2008
Deferred Tax Asset		
i) Provision disallowed for tax purpose	285	126
ii) Advance against Depreciation to be considered as income for tax computation	28869	-
Total	29154	126
Less: Deferred Tax Liability Difference of Book Deprecation and Tax Depreciation	2519	349
Deferred Tax Asset/(Liability) (Net)	26635	(223)

21. The effect of foreign exchange fluctuation during the year:

Rs. In lakh

	For the year 2008-09	For the year 2007-08
(i) Amount charged to Profit and Loss Account excluding depreciation.		
- As FERV	724	130
- As Borrowing cost	971	1308
(ii) Amount charged to Expenditure During Construction		
- As FERV	1897	(15)
- As Borrowing cost	1547	-
(iii) Amount charged to Capital work-in-progress (as FERV)	-	-
(iv) Amount adjusted by addition to carrying amount of fixed assets	913	-
(v) Amount of exchange difference in respect of forward exchange contracts	Nil	Nil

22. Disclosure under the provisions of AS-15 on "Employee Benefits"

Provision for employee benefits has been made for the current period using the Actuarial Valuation done as at 31.03.2009. Accordingly, disclosure under the provision of Accounting Standard 15 on "Employee Benefits" for the Financial Year ended 31.03.2009 is given below:

Table 1:- Key Actuarial assumption for Actuarial Valuation as at:

Particular	31.03.2009	31.03.2008
Mortality Table	LIC (1994-96) duly modified	LIC (1994-96) duly modified
Discount Rate	7%	8%
Future Salary Increase	4.5%	5.5 %

सारणी 2: देयताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (पीवीओ)

(लाख रुपए में)

विवरण	ग्रेज्युटी	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना	अवकाश यात्रा रियायत	सामान भत्ता/ सेवानिवृत्ति पर सेवा पुरस्कार
वर्ष के शुरू मे पीवीओ	754	1022	599	71	23
ब्याजगत लागत	53	72	42	—	—
गत सेवा लागत	20	—	—	—	—
चालू सेवा लागत	128	252	75	74	8
प्रदत्त लाभ	(19)	(110)	(5)	(24)	(1)
बीमांकिक (लाभ)/हानि	274	433	57		
वर्ष के अंत पर पीवीओ	1210	1669	768	121	30

Table 2:- Change in Present Value of Obligations (PVO)

(Rs. in lakh)

Particular	Gratuity	Leave Encashment	Retired Employee Health Scheme	Leave Travelling Concession	Baggage Allowance/ Service Reward on Retirement
PVO at Beginning of Year	754	1022	599	71	23
Interest Cost	53	72	42	---	---
Past Service Cost	20	---	---	---	---
Current Service Cost	128	252	75	74	8
Benefit paid	(19)	(110)	(5)	(24)	(1)
Actuarial (Gain)/loss	274	433	57	---	---
PVO at end of year	1210	1669	768	121	30

सारणी 3: तुलन-पत्र में दर्ज राशि

(लाख रुपए में)

विवरण	ग्रेज्युटी	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना	अवकाश यात्रा रियायत	सामान भत्ता/ सेवानिवृत्ति पर सेवा पुरस्कार
वर्ष के अंत पर पीवीओ	1210	1669	768	121	30
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	778	-	—	—	—
निधिपरक स्थिति	(432)	(1669)	(768)	(121)	(30)
अमान्यीकृत बीमांकिक लाभ/हानि	—	—	—	—	—
तुलन-पत्र में मान्यीकृत शुद्ध देयता	432	1669	768	121	30

Table 3:- Amount Recognised in Balance Sheet

(Rs. in lakh)

Particular	Gratuity	Leave Encashment	Retired Employee Health Scheme	Leave Travelling Concession	Baggage Allowance/ Service Reward on Retirement
PVO at end of year	1210	1669	768	121	30
Fair Value of Plan Assets at the end of year	778	--	--	--	--
Funded Status	(432)	(1669)	(768)	(121)	(30)
Unrecognized actuarial gain/loss	--	--	--	--	--
Net Liability recognized in Balance Sheet	432	1669	768	121	30

सारणी 4: लाभ एवं हानि खाते/ईडीसी खाते में दर्ज राशि

(लाख रुपए में)

विवरण	ग्रेज्युटी	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना	अवकाश यात्रा रियायत	सामान भत्ता/ सेवानिवृत्ति पर सेवा पुरस्कार
चालू सेवागत लागत	128	252	75	74	8
ब्याज लागत	53	72	42	—	—
गत सेवा लागत	20	—	—	—	—
योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित लाभ	(48)	—	—	—	—
वर्ष के लिए दर्ज प्रोद्-भवित शुद्ध (लाभ/हानि)	273	432	57	—	—
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी में दर्ज व्यय	426	756	174	74	8

Table 4:- Amount recognized in Profit & Loss Account/ EDC Account

(Rs. in lakh)

Particular	Gratuity	Leave Encashment	Retired Employee Health Scheme	Leave Travelling	Baggage Allowance/ Service Reward on Retirement
Current Service Cost	128	252	75	74	8
Interest Cost	53	72	42	---	---
Past Service Cost	20	---	---	---	---
Expected return on Plan Assets	(48)	---	---	---	---
Net Actuarial (gain)/loss recognized for the year	273	432	57	---	---
Expense recognized in Profit & Loss/EDC for the year	426	756	174	74	8

23. मात्रात्मक सूचना

(लाख रु.में)

(क) विदेशी मुद्रा में किए गए खर्च (नकद आधार पर)	**2008-09**	**2007-08**
i) परामर्श	196	283
ii) ठेकेदारों को अदायगी	5010	191
iii) वित्तीय प्रभार (ईसीबी)	408	5
iv) विदेशी मुद्रा वाणिज्यिक ऋण पर ब्याज (ईसीबी)	1687	1868
v) अन्य विविध मामले	3197	14
(ख) वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में आय (नकद आधार पर)	**शून्य**	**शून्य**
(ग) सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य		
i) पूंजीगत माल	2059	521
ii) स्पेयर पार्ट्स	30	107
घ) उपयोग किए गए कंपोनेंट्स, स्टोर्स तथा स्पेयर पार्ट्स का मूल्य		
i) आयातित	389 (25.71%)	456 (41.11%)
ii) स्वदेशी	1124 (74.29%)	653 (58.89%)
ड.) संस्थापित क्षमता एवं उत्पादन संबंधी आंकड़े	**(मिलियन यूनिट में)**	**(मिलियन यूनिट में)**
i) लाइसेंस प्राप्त क्षमता	लागू नहीं	लागू नहीं
ii) स्थापित क्षमता (मेगावाट)	1500	1500
iii) वास्तविक उत्पादन (मिलियन यूनिट)	6608.691	6448.977
iv) वास्तविक बिक्री(मिलियन यूनिट)-(गृह राज्य को आबंटित निश्:शुल्क बिजली के रहित)	5762.049	5619.097

23. Quantitative Information: (Rs. in lakh)

		2008-09	2007-08
(A)	**Expenditure in foreign currency (cash basis)**	**2008-09**	**2007-08**
i)	Consultancy	196	283
ii)	Payment to Contractors	5010	191
iii)	Financing Charges (ECBs)	408	5
iv)	Interest on External Commercial Borrowings (ECBs)	1687	1868
v)	Other Miscellaneous Matters	3197	14
(B)	**Earnings in foreign currency (on cash basis)**	Nil	Nil
(C)	**Value of Import on CIF basis**		
i)	Capital Goods	2059	521
ii)	Spare Parts	30	107
(D)	**Value of components, stores and spare parts consumed**		
i)	Imported	389 (25.71%)	456 (41.11%)
ii)	Indigenous	1124 (74.29%)	653 (58.89%)
(E)	**Installed Capacity and Generation Data:**	(In MUs)	(In MUs)
i)	Licensed Capacity	Not applicable	Not applicable
ii)	Installed Capacity (MW)	1500	1500
iii)	Actual Generation (MUs)	6608.691	6448.977
iv)	Actual Sales (MUs) - (Net of free power to Home State)	5762.049	5619.097

24. संबंधित पार्टी विवरणः

क) संबंधित पार्टियाँ – प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक
पूर्णकालिक निदेशकः

श्री एच.के.शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री जे.के.शर्मा	निदेशक (सिविल)
श्री आर.एस.कटोच	निदेशक (कार्मिक)
श्री के.के.गर्ग	निदेशक (वित्त)
श्री आर.पी.सिंह	निदेशक (विद्युत)

ख) संबंधित पार्टियों के साथ किए गए संव्यवहारों का सारांश(संविदापरक दायित्वों/भुगतानों के अतिरिक्त) – शून्य (पिछले वर्ष – शून्य)

24. Related Party Disclosure

a) Related Parties - Key Management Personnel:
Whole Time Directors:

Shri H.K. Sharma	Chairman & Managing Director.
Shri J.K. Sharma	Director (Civil)
Shri R.S.Katoch	Director (Personnel)
Shri K.K.Garg	Director (Finance)
Shri R.P. Singh	Director (Electrical)

b) Summary of transactions with related parties (other than for contractual obligations)-Nil. (Previous Year - Nil)

25. प्रबंधन स्तर पर निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक (समूह बीमा प्रीमियम की राशि को छोड़कर)

(रुपए लाख में)

	2008-09	2007-08
i) वेतन और भत्ते	64	50
ii) भविष्य निधि और परिवार पेंशन फण्ड के अंतर्गत अंशदान	4	4
iii) उपदान	6	1
iv) अन्य लाभ	4	5

सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रावधानों के अनुरूप पूर्णकालिक निदेशक भी भुगतान कर निजी यात्रा सहित स्टॉफ कार का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं।

25. Managerial Remuneration to the Directors. (Excluding group insurance premium): (Rs. in lakh)

	2008-09	2007-08
i) Salaries and allowances	64	50
ii) Contribution to provident fund and family pension fund.	4	4
iii) Gratuity	6	1
iv) Other benefits	4	5

Whole- time Directors were also allowed the use of staff cars including for private journey on payment in accordance with stipulations of the Department of Public Enterprises.

26. प्रति शेयर आय (बेसिक एवं डायल्यूटिड)
प्रति शेयर आय की गणना हेतु विचारित अनुबंध निम्नवत् है:-

	2008-09	2007-08
टैक्स उपरांत शुद्ध लाभ बतौर न्यूमरेटर प्रयुक्त(रु. लाख)	101532	76451
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या बतौर डिनॉमीनेटर प्रयुक्त	41088140	41088140
प्रति शेयर आय (रु.)(बेसिक एवं डायल्यूटिड	247.11	186.07
प्रति शेयर फेस वैल्यू (रु.)	1000	1000

26. Earnings per Share (Basic and Diluted):
The elements considered for calculation of earnings per share are as under:-

	2008-09	2007-08
Net Profit after Tax used as numerator (Rs. lakh)	101532	76451
Weighted Average number of equity shares used as denominator	41088140	41088140
Earnings Per Share (Rupees) (Basic & Diluted)	247.11	186.07
Face value per share (Rupees)	1000	1000

27. अति लघु, लघु एवं मझौले उद्यम विकास अधिनियम,2006 के भाग 22 के तहत यथापेक्षित विवरण निम्नवत है :- (लाख रु.में)

	31.03.2009
अति लघु, लघु एवं मझौले उद्यमों को अप्रदत्त रही मूल राशि	शून्य
वर्ष के लिए अति लघु, लघु एवं मझौले उद्यमों को वर्ष के अंत में अप्रदत्त रही राशि एवं प्रोद्भूत ब्याज	शून्य
वर्ष के दौरान डिलीवरी/सेवाएँ प्रदान किए जाने की तिथि से 15 दिन से अधिक या सहमत हुए समय से अधिक के लिए मूल राशि के भुगतान के साथ प्रदत्त ब्याज राशि	शून्य
उक्त ब्याज के संबंध में चालू वर्ष के ब्याज सहित पिछले लेखा वर्ष से अग्रेनित ब्याज राशि	शून्य

27. Disclosure as required under Section 22 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 is as follows:- Rs. in lakh

	31.03.2009
Principal amount remaining unpaid at the end of the year to Micro, Small & Medium enterprise	Nil
Interest accrued & remaining unpaid at the end of the year to Micro, Small & Medium enterprise for the current year.	Nil
Amount of interest paid during the year along with the payment of principal amount made beyond 15 days or agreed time from the date of delivery/rendering of services.	Nil
Amount of interest carried forward from last accounting year with interest for the current year on such interest	Nil

28. गत वर्ष के आंकड़ों को इस वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए यथावश्यक पुनर्समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित पुनर्रुपायित किया गया है।

28. Previous Year's figures have been re-grouped /re-arranged and recasted wherever necessary to conform to this year's classification.

29. आंकड़े निकटतम लाख रुपये में दर्शाए गए हैं।

29. Figures have been rounded off to the nearest lakh of rupees.

कृते आर.बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For R. Bansal & Co.
Chartered Accountants

आर.एस.बंसल भागीदार एम.नं.013000	पी.एस.आर.मूर्ति कंपनी सचिव	के.के.गर्ग निदेशक (वित्त)	हेमंत कुमार शर्मा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
R.S. Bansal Partner M.No.013000	P.S.R. Murthy Company Secretary	K.K.Garg Director (Finance)	H.K. Sharma Chairman & Managing Director

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक 4 अगस्त,2009
Place : New Delhi
Date : 4th August, 2009

दिनांक 31 मार्च,2009 का कैश-फ्लो विवरण
CASH FLOW STATEMENT AS AT 31ST MARCH, 2009

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2009		31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2008
क. परिचालनात्मक गतिविधियों से कैश–फ्लो			
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES			
कर पूर्व शुद्ध लाभ, पूर्व अवधि समायोजन एवं असाधारण मदें			
Net Profit Before Tax, Prior Period Adjustments and Extra Ordinary Items	128,392		143,457
निम्नलिखित के लिए समायोजन			
Adjustment for:			
मूल्यह्रास के लिए अग्रिम			
Advance Against Depreciation	14,455		18,936
टैरिफ समायोजन			
Tariff Adjustment	(6,456)		6,456
मूल्यह्रास			
Depreciation	23,325		25,981
ब्याज तथा वित्तीय प्रभार			
Interest & Finance Charges	33,249		22,436
परिशोधित आस्थगित राजस्व व्यय			
Deferred Revenue Expenditure amortised	----		206
विनिमय दर में भिन्नता (उतार–चढ़ाव संबंधी समायोजन खाता)			
Exchange rate variation/Fluctuation adjustment account	(971)		(1,181)
उपभोक्ताओं को छूट			
Rebate to Customers	(1,689)		(2,136)
पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)			
Prior Period Adjustments (net)	(59)		(3,203)
रिट्टेन बैक प्रावधान			
Provisions written back	----		(31)
रिट्टेन बैक मूल्यह्रास			
Depreciation written back	----		(50,693)
कार्यशील पूंजीगत परिवर्तनों से पूर्व परिचालानात्मक लाभ			
Operating Profit before Working Capital Changes		**190,246**	**160,228**
निम्नलिखित के लिए समायोजन			
Adjustment for:			
व्यापार तथा अन्य प्राप्तियाँ			
Trade and Other Receivables	(24,709)		2,473
सामग्री–सूची			
Inventories	(222)		508
व्यापारिक भुगतान तथा अन्य देयताएँ			
Trade Payables and Other Liabilities	(4,451)		27,083
प्रावधान			
Provisions	4,627		18,214
ऋण एवं अग्रिम			
Loans and Advances	30,237		(33,993)
अन्य चालू परिसंपतियाँ			
Other Current Assets	(4,971)		(933)
		511	13,352
परिचालन से अर्जित नकदी			
Cash generated from operations		**190,757**	**173,580**
प्रदत्त कर			
Taxes paid		(26,646)	(12,039)
परिचालनात्मक गतिवधियों से प्राप्त शुद्ध नकद-क			
Net Cash Flow from Operating Activities-A		**164,111**	**161,541**

दिनांक 31 मार्च,2009 का कैश-फ्लो विवरण
CASH FLOW STATEMENT AS AT 31ST MARCH 2009

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2009		31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2008
ख. निवेशगत गतिविधियों से कैश फ्लो			
अचल परिसंपत्तियों एवं सीडब्ल्यूआईपी, पूंजीगत कार्यों के लिए अग्रिम तथा निर्माण भण्डारण/स्पेयर पार्ट इत्यादि पर शुद्ध व्यय			
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES			
Net Expenditure on Fixed Assets & CWIP, Advance for Capital Works & Construction Stores/Spares etc.	(62,470)		(44,959)
निवेशगत गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी - ख			
Net cash used in Investing Activities - B		(62,470)	(44,959)
ग. वित्तीय गतिविधियों से कैश फ्लो			
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES			
दीर्घावधि ऋणों का पुनर्भुगतान			
Repayment of Long Term Borrowings	(47,524)		(57,356)
प्रदत्त ब्याज एवं वित्तीय प्रभार			
Interest & Finance Charges Paid	(30,589)		(20,172)
ऋणगत प्राप्तियाँ			
Proceeds from Borrowings	59,760		3,807
लाभांश			
Dividend	(21,800)		(30,433)
लाभांश पर कर			
Tax on Dividend	(3,704)		(5,172)
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध कैश फ्लो - ग			
Net Cash Flow from Financing Activities - C		(43,857)	(109,326)
नकद तथा नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/कमी (क+ख+ग))			
Net Increase/Decrease in Cash and Cash equivalents (A+B+C)		57,874	7,256
नकद तथा नकद समकक्ष (प्रारंभिक शेष)			
Cash and cash equivalents (Opening balance)		69,360	62,104
नकद तथा नकद समकक्ष (अन्त शेष)			
Cash and cash equivalents (Closing balance)		27,144	69,360

नोट:
Notes:

1. **नकद एवं नकद समतुल्य राशियों में हाथ रोकड़ एवं बैंक अधिशेष राशियाँ शामिल हैं।**
   Cash and cash equivalents consist of cash in hand and bank balances.
2. **पिछले वर्ष की रकमों को यथावश्यक पुनर्समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्रूपायित किया गया है।**
   The Previous year's figures have been regrouped/re-arranged/re-casted wherever necessary.

कृते आर.बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For R. Bansal & Co.
Chartered Accountants

आर.एस.बंसल भागीदार एम.नं.013000	**पी.एस.आर.मूर्ति** कंपनी सचिव	**के.के.गर्ग** निदेशक (वित्त)	**हेमंत कुमार शर्मा** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
R.S. Bansal Partner M.No.013000	**P.S.R.Murthy** Company Secretary	**K.K.Garg** Director (Finance)	**H.K. Sharma** Chairman & Managing Director

स्थान : नई दिल्ली
Place: New Delhi
दिनांक 4 अगस्त, 2009
Date : 4th August, 2009

तुलन-पत्र का सारांश एवं कंपनी के व्यवसाय की सामान्य रूप-रेखा
BALANCE SHEET ABSTRACT AND COMPANY'S GENERAL BUSINESS PROFILE

I. पंजीकरण संबंधी विवरण
Registration Details

पंजीकरण संख्या Registration No.	राज्य कोड State Code	तुलन-पत्र की तिथि Balance Sheet Date
0 6 - 0 8 4 0 9	0 6	3 1 0 3 2 0 0 9

II. वर्ष के दौरान पूंजी राशि में बढ़ोत्तरी
Capital Raised During the Year — शून्य Nil

III. निधियों के संग्रहण एवं विस्तारण की स्थिति
Position of Mobilisation and Deployment of Funds
(राशि रुपए लाख में) (Amount in Rs. Lakh)

कुल देयताएँ Total Liabilities	कुल परिसंपत्तियाँ Total Assets
1 0 2 8 0 7 8	1 0 2 8 0 7 8

निधियों के स्रोत
Sources of Funds

प्रदत्त पूंजी Paid-up Capital	आरक्षित एवं अधिशेष Reserves and Surplus
4 1 0 8 8 1	1 9 3 8 5 3
प्रतिभूति प्राप्त ऋण Secured Loans	प्रतिभूति रहित ऋण Unsecured Loans
1 3 0 7 5 1	8 3 4 9 3

निधियों का विनियोग
Application of Funds

शुद्ध अचल परिसंपत्तियाँ Net Fixed Assets	सीडब्ल्यूआईपी, पूंजीगत कार्यों, निर्माण भण्डारण के लिए अग्रिम CWIP, Advances for Capital Works, Construction Stores
7 3 1 9 4 4	7 2 5 8 4
निवेश Investments	शुद्ध चालू परिसंपत्तियां Net Current Assets
शू न्य N I L	9 9 3 8 5
विविध खर्च Misc. Expenditure	संचित हानियाँ Accumulated Losses
शू न्य N I L	शू न्य N I L

IV. कंपनी का कार्य निष्पादन (राशि रुपए लाख में)
Performance of Company (Amount in Rs. Lakh)

टर्नओवर (अन्य आय सहित) Turnover(Including Other Income)	कुल खर्च Total Expenditure
2 0 2 9 2 4	7 4 3 3 4
कर पूर्व लाभ/हानि Profit/Loss Before Tax	कर पश्चात् लाभ/हानि Profit/Loss After Tax
1 2 8 5 9 0	1 0 1 5 3 2
प्रति शेयर आय रूपए में Earning Per Share in Rs.	लाभांश दर Dividend Rate %
2 4 7 . 1 1	7 . 7 9

V. कंपनी के तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के जातीय नाम हैं :
1. विद्युत उत्पादन।
2. परियोजनाओं का निर्माण।
3. परामर्शी सेवाएँ

Generic Names of Three Principal Products/Services of Company
1. Generation of Electricity
2. Construction of Projects
3. Consultancy Services

कृते आर.बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For R. Bansal & Co.
Chartered Accountants

आर.एस.बंसल भागीदार एम.नं.013000	पी.एस.आर.मूर्ति कंपनी सचिव	के.के.गर्ग निदेशक (वित्त)	हेमंत कुमार शर्मा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
R. S. Bansal Partner M.No. 013000	P.S.R. Murthy Company Secretary	K.K. Garg Director (Finance)	H.K. Sharma Chairman & Managing Director

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 4 अगस्त,2009
Place : New Delhi
Date : 4th August, 2009

Payment of final Dividend for the year 2008-09 to the Govt. of Himachal Pradesh
Shri H.K Sharma, CMD, Shri K.K Garg, Director (Finance), Shri R.P Singh, Director (Elect.)
Shri N.L Sharma, Executive Director (HR) & Shri K.S Malhotra, General Manager (Finance)
presenting the Dividend cheque to hon'ble Chief Minister Prof. Prem Kumar Dhumal
and Smt. Asha Swaroop, Chief Secretary, Govt. of H.P on September 18,2009

सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड

Satluj Jal Vidyut Nigam Ltd.

(A joint venture of Govt. of India & Govt. of Himachal Pradesh)
Corp.Off. : Himfed Building, New Shimla, SHIMLA-171009
Expediting Office: Ircon Building, C-4, District Centre, Saket, New Delhi-110017
Phone: 011-41659207, 41659205 Fax: 011-41659204
Visit us at www.sjvn.nic.in

Improving the quality of life

Concept, Design & Printed by : SPEEDWAYS ADVERTISING at Ajanta Offset & Packagings Ltd.